35

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति

(2021-22)

(सत्रहवीं लोक सभा)

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एनएमडीएफसी) के कार्यकरण की समीक्षा

पैंतीसवां प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

अगस्त, *2022/* श्रावण, *1944* (शक)

पैंतीसवां प्रतिवेदन

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति

(2021-22)

(सत्रहवीं लोक सभा)

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एनएमडीएफसी) के कार्यकरण की समीक्षा

05.08.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।

05.08.2022 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

अगस्त, *2022/* श्रावण, *1944* (शक)

विषय-सूची

		पृष्ठ सं.
समिति की संरचना		(iii)
प्राक्कथन		(iv)
	प्रतिवेदन	1
	अध्याय - एक	1
एक	प्रस्तावना	
	अध्याय - दो	5
दो	एनएमडीएफसी की इक्विटी संरचना	5
	अध्याय - तीन	13
तीन	एनएमडीएफसी की ऋण योजनाएं	13
चार	शिक्षा ऋण योजना	17
पांच	विरासत योजना	22
छह	सूक्ष्म वित्त योजना	23
	अधयाय - चार	30
सात	एनएमडीएफसी की प्रोत्साहनात्मक योजना	30
आठ	महिला समृद्धि योजना	30
नौ	विपण्न सहायता योजना	31
	अध्याय - पांच	35
दस	राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियां (एससीए)	35
	अध्याय - छह	53
ग्यारह	राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को सहायतानुदान	53
	अध्याय - सात	58
बारह	लक्षित समूहों के लिए वित्तीय सहायता	58
	अध्याय - आठ	65
तेरह	जागरूकता सृजन	65
	अध्याय - नौ	70
चौदह	निगरानी	70
	अनुबंध	
	सामाजिक न्याय संबंधी स्थायी समिति की ..... को हुई दूसरी बैठक का कार्यवाही सारांश।	
	परिशिष्ट	
एक	*सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति202) 12-2(की 19.1.2021 को हुई तीसरी बैठक का कार्यवाही सारांश।	
दो	*सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति202) 12-2(की 31.3.2022 को हुई दसवीं बैठक का कार्यवाही सारांश।	
तीन	सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति202) 12-2(की 2.8.2022 को हुई चौदहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश।	
	अनुलग्नक	
	टिप्पणियों/सिफारिशों का सार	

*संलग्न नहीं

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति

(2021-22) की संरचना

श्रीमती रमा देवी - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री दीपक अधिकारी (देव)
3. श्रीमती संगीता आजाद
4. श्री भोलानाथ 'बी.पी. सरोज'
5. श्रीमती प्रमिला बिसाई
6. श्री थोमस चाजिकाडन
7. श्री छतरसिंह दरबार
8. श्री वाई. देवेन्द्रप्पा
9. श्रीमती मेनका संजय गांधी
10. श्री हंस राज हंस
11. श्री के.षणमुग सुंदरम
12. श्री अब्दुल खालेक
13. श्रीमती रंजीता कोली
14. श्रीमती गीता कोड़ा
15. श्री विजय कुमार
16. श्री अक्षयवर लाल
17. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद
18. श्री अर्जुन सिंह
19. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले
20. श्रीमती रेखा अरुण वर्मा
21. श्री तोखेहो येपथोमी

राज्य सभा

22. श्रीमती रमिलाबेन बारा
23. श्री अबीर रंजन बिस्वास
24. श्रीमती गीता उर्फ चन्द्रप्रभा*
25. श्री एन. चंद्रशेखरन
26. श्री नारायण कोरागप्पा
27. श्रीमती ममता मोहंता

*28. रिक्त

**29. रिक्त

***30. रिक्त

****31. रिक्त

---

* श्री एम मोहम्मद अब्दुल्ला 16.03.2022 को त्यागपत्र दिया।

** श्रीमती झरना दास वैद्य 02.04.2022 से सेवानिवृत्त हुई ।

*** श्रीमती छाया वर्मा 29.06.2022 से सेवानिवृत्त हुई ।

**** श्री राजकुमार वर्मा 04.07.2022 से सेवानिवृत्त हुए।

<u>लोक सभा सचिवालय</u>

1. श्रीमती अनीता बी .पांडा	-	अपर सचिव
2. श्री टी एस रंगराजन	-	संयुक्त सचिव
3. श्रीमती ममता केमवाल	-	निदेशक
4. श्री कृषेन्द्र कुमार	-	उप सचिव
5. श्री होकिप ककाई	-	कार्यकारी अधिकारी

प्राक्कथन

मैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की सभापति समिति द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर उनकी ओर से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की 'राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एनएमडीएफसी) के कार्यकरण की समीक्षा' विषय पर यह पैंतीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूँ।

2. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (17वीं लोक सभा) ने वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान जांच के लिए 'राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एनएमडीएफसी) के कार्यकरण की समीक्षा' विषय का चयन किया था। समिति ने 19.10221 को हुई बैठक में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों से विषय पर जानकारी ली और 31.3.2022 को साक्ष्य लिया।

3. समिति अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधिकारियों को 'राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एनएमडीएफसी) के कार्यकरण की समीक्षा' विषय की जांच के संबंध में समिति के समक्ष उपस्थित होने और समिति द्वारा मांगी गई सामग्री और सूचना देने के लिए धन्यवाद देती है। समिति, समिति से संबद्ध लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों द्वारा दी गई बहुमूल्य सहायता देने की भी सराहना करती है। समिति ने 2.8.2022 को हुई अपनी बैठक में प्रतिवेदन पर विचार किया और स्वीकार किया। संबंधित बैठक का कार्यवाही सारांश प्रतिवेदन के परिशिष्ट में दिया गया है।

4. संदर्भ और सुविधा की दृष्टि से समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली; रमा देवी,

2 अगस्त, 2022 सभापति,

11 श्रावण, 1944 (शक) सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति।

प्रतिवेदन

अध्याय-एक

प्रस्तावना

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एनएमडीएफसी) को 30 सितंबर 1994 को कंपनी अधिनियम, 1956 (अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8) की धारा 25 के तहत एक गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में निगमित किया गया था। एनएमडीएफसी अधिसूचित अल्पसंख्यकों अर्थात् मुस्लिमों, ईसाइयों, सिखों, बौद्धों, पारसियों और जैनों के बीच पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए स्वरोजगार और आय सृजक गतिविधियों के लिए रियायती ऋण प्रदान करता है।

1.2 एनएमडीएफसी अल्पसंख्यक समुदायों के लिए विभिन्न ऋण योजनाओं और संवर्धनात्मक योजनाओं को कार्यान्वित करता है। एनएमडीएफसी की रियायती ऋण योजनाओं अर्थात् सावधि ऋण, शिक्षा ऋण, सूक्ष्म वित्त और विरासात का कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा नामित राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) के माध्यम से किया जाता है। लक्षित समूहों की मजदूरी/ स्वरोजगार के लिए क्षमता निर्माण के लिए एससीए के माध्यम से कौशल से कुशलता योजना, महिला समृद्धि योजना और विपणन सहायता नामक संवर्धनात्मक योजनायें भी कार्यान्वित की जाती हैं। पात्रता मानदंड के अनुसार, क्रेडिट लाइन-1 के तहत वार्षिक पारिवारिक आय ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 98,000/- रुपये और शहरी क्षेत्रों के लिए 1,20,000/- रुपये है। व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, एनएमडीएफसी ने क्रेडिट लाइन -2 के तहत थोड़ा अधिक ब्याज दरों पर ऋण की बड़ी मात्रा प्रदान करने के लिए ₹ 8.00 लाख तक की उच्च वार्षिक पारिवारिक आय पात्रता का मानदंड लागू किया है।

1.3 सरकार ने 2015 में एनएमडीएफसी की प्राधिकृत शेयर पूंजी को 1,500.00 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3,000.00 करोड़ रुपये कर दिया था और केंद्र सरकार, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और संस्थानों/व्यक्तियों के लिए शेयर होल्डिंग पैटर्न को क्रमशः 65:26:9 से संशोधित करके 73:26:1 कर दिया था।भारत सरकार ने 31.12.2021 तक एनएमडीएफसी को केंद्रीय इक्विटी के रूप में 1,970.00 करोड़ रुपये का योगदान दिया है, जबकि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने 385.41 करोड़ रुपये का योगदान दिया है। और राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों ने 0.50 करोड़ रुपये का योगदान दिया है। 23.03.2022 की स्थिति के अनुसार कुल प्रदत्त पूंजी 2,355.92 करोड़ रुपये है।

1.4 एनएमडीएफसी ने 1994 में अपनी स्थापना के बाद से 31.12.2020 तक 19.18 लाख लाभार्थियों को कवर करने के लिए 6,781.92 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, एनएमडीएफसी ने अपनी वित्तपोषण योजनाओं के तहत 1.48 लाख से अधिक लाभार्थियों को 650.41 करोड़ रुपये का ऋण दिया। वित्त वर्ष 2021-22 (31.03.2022 तक) के दौरान, एनएमडीएफसी ने अपनी वित्तपोषण योजनाओं के तहत 1.60 लाख से अधिक लाभार्थियों को 700 करोड़ रुपये की राशि का ऋण दिया है।

1.5 एनएमडीएफसी उन क्षेत्रों में जहां अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय समूह स्थित हैं और उनके आस-पास के समुदायों के कल्याण के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और पोषण आदि के लिए सहायता प्रदान करके अपने सीएसआर कार्यक्रम को कार्यान्वित करता है।

1.6 2011 की जनगणना के अनुसार अधिसूचित अल्पसंख्यकों की अल्पसंख्यक जनसंख्या निम्नवत है:-

क्रम सं.	राज्य	राज्य की कुल आबादी	मुस्लिम	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	राज्य की कुल अल्पसंख्यक आबादी
1	उत्तरप्रदेश	199,812,341	38,483,857	359,662	639,399	199,812	219,794	39,902,524
2	महाराष्ट्र	112,374,333	12,967,998	1,078,794	224,749	6,528,949	1,404,679	22,205,168

3	बिहार	104,099,452	17,561,578	124,919	20,820	20,820	20,820	17,748,957
4	पश्चिमबंगाल	91,276,115	24,653,679	657,188	63,893	282,956	63,893	25,721,609
5	मध्यप्रदेश	72,626,809	4,771,581	210,618	152,516	217,880	566,489	5,919,085
6	तमिलनाडु	72,147,030	4,227,816	4,415,398	14,429	14,429	86,576	8,758,649
7	राजस्थान	68,548,437	6,217,343	95,968	870,565	13,710	623,791	7,821,377
8	कर्नाटक	61,095,297	7,893,512	1,142,482	30,548	97,752	439,886	9,604,181
9	गुजरात	60,439,692	5,844,518	314,286	60,440	30,220	580,221	6,829,685
10	आंध्रप्रदेश	49,386,799	4,721,378	661,783	24,693	19,755	29,632	5,457,241
1 1	उड़ीसा	41,974,218	910,841	1,162,686	20,987	12,592	8,395	2,115,501
12	तेलंगाना	35,193,978	4,462,596	457,522	14,078		26,395	4,960,591
13	केरल	33,406,061	8,872,650	6,140,034	3,341	3,341	3,341	15,022,706
14	झारखंड	32,988,134	4,793,176	1,418,490	72,574	9,896	16,494	6,310,630
15	असम	31,205,576	10,678,548	1,167,089	21,844	56,170	24,964	11,948,615
16	पंजाब	27,743,338	535,446	349,566	16,005,132	33,292	44,389	16,967,826
17	छत्तीसगढ	25,545,198	516,013	490,468	68,972	71,527	61,308	1,208,288
18	हरियाणा	25,351,462	1,782,208	50,703	1,244,757	7,605	53,238	3,138,511
19	दिल्ली (यूटी)	16,787,941	2,158,929	146,055	570,790	18,467	166,201	3,060,442
20	जम्मू एवं कश्मीर	12,541,302	8,566,963	35,116	234,522	112,872	2,508	8,951,981
21	उत्तराखंड	10,086,292	1,407,038	37,319	236,019	15,129	9,078	1,704,583
22	हिमाचलप्रदेश	6,864,602	149,648	12,356	79,629	78,943	2,059	322,636
23	त्रिपुरा	3,673,917	315,957	159,815	1,102	125,281	735	602,890
24	मेघालय	2,966,889	130,543	2,213,003	2,967	9,791	593	2,356,897
25	मणिपुर	2,721,756	228,628	1,123,813	1,361	6,804	1,633	1,362,239
26	नगालैंड	1,978,502	48,869	1,739,697	1,979	6,727	2,572	1,799,843
27	गोवा	1,458,545	121,497	366,095	1,459	1,167	1,167	491,384
28	अरूणाचलप्रदेश	1,383,727	26,983	418,716	3,321	162,865	830	612,714
29	पुदुचेरी (यूटी)	1,247,953	75,501	78,496	250	499	1,373	156,119
30	मिजोरम	1,097,206	14,812	956,325	329	93,372	329	1,065,168
31	चंडीगढ़ (यूटी)	1,055,450	51,400	8,760	138,369	1,161	2,005	201,696
32	सिक्किम	610,577	9,891	60,508	1,893	167,237	305	239,835
33	अंडमान एवं	380,581	32,426	80,988	1,294	343	38	115,088
34	दादरएवं नगर हवेली (यूटी)	343,709	12,923	5,121	206	619	1,203	20,073

35	दमन एवं दीव (यूटी)	243,247	19,265	2,822	170	219	292	22,768
36	लक्षद्वीप (यूटी)	64,473	62,268	316	6	13	13	62,616
	कुल (भारत)	**1,210,720,939**	**173,328,280**	**27,742,976**	**20,829,403**	**8,422,214**	**4,467,241**	**234,790,115**

अध्याय - दो

एनएमडीएफसी की इक्विटी संरचना

2.1 एनएमडीएफसी की अधिकृत शेयर पूंजी 3,000.00 करोड़ रुपये है। एनएमडीएफसी की इक्विटी में केन्द्र सरकार का हिस्सा 73% अर्थात 2,190.00 करोड़ रुपये है जबकि राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों का हिस्सा 26% अर्थात 780.00 करोड़ रुपये और अल्पसंख्यकों के विकास में रुचि रखने वाले व्यक्तियों/संस्थानों का हिस्सा 1% अर्थात 30.00 करोड़ रुपये है। 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार प्रदत्त पूंजी 2,355.92 करोड़ रुपये है।

2.2 एनएमडीएफसी की इक्विटी में निर्धारित और योगदान की गई स्थिति का विवरण निम्नवत है:-

(राशि लाख रुपये में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा दी जाने वाली इक्विटी	प्राप्त वास्तविक इक्विटी योगदान
1	अंडमान एवं निकोबार	44.65	0.00
2	आंध्र प्रदेश	1622.58	734.37
3	अरुणाचल प्रदेश	152.80	0.00
4	असम	3829.51	1632.00
5	बिहार	5688.12	2072.43
6	चंडीगढ़	78.10	39.05
7	छत्तीसगढ	389.32	194.66
8	दादरा और नगर हावेली	5.42	1.45
9	दमन और डीआईयू	6.55	0.00
10	दिल्ली	960.65	960.33
11	गोवा	186.68	0.00
12	गुजरात	2034.15	1242.07

13	हरियाणा	999.67	294.70
14	हिमाचल प्रदेश	113.40	56.70
15	जम्मू एवं कश्मीर	2937.56	2937.50
16	झारखंड	2023.29	625.00
17	कर्नाटक	3244.90	3244.45
18	केरल	5733.94	5733.97
19	लक्षद्वीप	24.05	0.00
20	मध्य प्रदेश	1800.10	297.36
21	महाराष्ट्र	7157.24	2432.25
22	मणिपुर	383.78	25.00
13	मेघालय	714.77	0.00
24	मिजोरम	351.52	99.60
25	नागालैंड	752.61	220.00
26	उड़ीसा	694.69	111.58
27	पांडिचेरी	52.38	26.19
28	पंजाब	6303.24	960.00
29	राजस्थान	2342.66	2342.00
30	सिक्किम	81.12	0.00
31	तमिलनाडु	2993.63	850.00
32	तेलंगाना	1766.80	0.00
33	त्रिपुरा	188.18	188.18
34	उत्तर प्रदेश	13148.07	700.06
35	उत्तरांचल	520.32	65.00
36	पश्चिम बंगाल	8673.52	7973.76

2.3 यह पूछे जाने पर कि एनएमडीएफसी की इक्विटी को कितनी बार संशोधित किया गया है और किन कारणों से अधिकृत शेयर पूंजी को 1,500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3,000 करोड़ रुपये कर दिया गया था और केंद्र सरकार की शेयर होल्डिंग को

2015 में 65% से संशोधित करके 73% कर दिया गया था, समिति को अन्य बातों के साथ-साथ मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया था कि:-

"स्थापना के बाद से, एनएमडीएफसी की इक्विटी को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार छह बार संशोधित किया गया है:-

क्रम सं.	अधिकृत शेयर पूंजी में बढ़ोतरी (करोड़ रुपये में)	भारत सरकार से मिली मंजूरी
1	500.00 से 650.00	22.12.2004
2	650.00 से 750.00	19.11.2007
3	750.00 से 850.00	22.09.2008
4	850.00 से 1000.00	09.09.2009
5	1000.00 से 1500.00	16.07.2010
6	1500.00 से 3000.00	17.02.2015

शेयर पूंजी को 1,500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3,000 करोड़ रुपये कर दिया गया था और उपलब्ध पूंजी और लक्षित अल्पसंख्यकों के कवरेज को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की शेयरधारिता को 2015 में 65% से संशोधित करके 73% कर दिया गया था।"

2.4 मंत्रालय द्वारा समिति को यह भी सूचित किया गया कि शेयर पूंजी में वृद्धि के परिणामस्वरूप, एनएमडीएफसी नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार 2016-17 से वर्ष-दर-वर्ष आधार पर अधिक धन का वितरण कर सका है:-

साल	राशि का संवितरण (करोड़ रुपये में)
2014-15	431.20
2015-16	473.29
2016-17	503.32

2017-18	570.83
2018-19	603.66
2019-20	602.50
2020-21	650.41
2021-22	700.00

2.5 केंद्र सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का इक्विटी हिस्सा 2015 के बाद से इष्टतम स्तर तक नहीं पहुंचा है इसके कारणों के संबंध में मंत्रालय द्वारा समिति को सूचित किया गया था कि:-

"जहां तक केन्द्र सरकार का संबंध है, उसने एनएमडीएफसी की इक्विटी में 31/5/2022 तक अपने हिस्से का 89.95% पहले ही योगदान दे दिया है। तथापि, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने अब तक केवल 49.71% का योगदान दिया है। प्रमुख राज्यों, जिन्होंने बहुत कम राशि का योगदान किया या योगदान नहीं किया है, का ब्यौरा इस प्रकार है:-

			(रु. करोड़ में)
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा किया जाने वाला इक्विटी अंशदान**	**वास्तविक रूप से प्राप्त हुआ इक्विटी अंशदान**	**शेष**
आंध्र प्रदेश	16.23	7.34	8.88
असम	38.30	16.32	21.98
बिहार	56.88	20.72	36.16
झारखंड	20.23	7.75	12.48
मध्य प्रदेश	18.00	2.97	15.03

महाराष्ट्र	71.57	26.32	45.25
पंजाब	63.03	9.60	53.43
तमिलनाडु	29.94	8.50	21.44
तेलंगाना	17.67	-	17.67
उत्तर प्रदेश	131.48	7.00	124.48

2.6 राज्य सरकारों के योगदान के लिए की गई पहलों के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया:-

"एनएमडीएफसी अपनी ओर से नियमित रूप से संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से पत्र लिखकर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, व्यक्तिगत दौरों आदि के माध्यम से संपर्क कर रहा है ताकि एनएमडीएफसी की इक्विटी में उनके निर्धारित हिस्से का योगदान किया जा सके।"

2.7 यह पूछे जाने पर कि क्या एनएमडीएफसी की वित्तीय स्थिति ने निगम को लक्ष्यों को बढ़ाने से रोक दिया है क्योंकि 2019-20 के बाद से निर्धारित लाभार्थी के लक्ष्य में बहुत अधिक वृद्धि नहीं हुई है, मंत्रालय ने समिति को सूचित किया कि:-

"वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय और वास्तविक लक्ष्य एनएमडीएफसी के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों अर्थात् राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) से अपेक्षित तिमाही पुनर्भुगतान, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा इक्विटी अंशदान को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में निर्धारित किए जाते हैं। लाभाथयों का अपेक्षित कवरेज विशुद्ध रूप से वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करता है। एनएमडीएफसी ने पहले ही मंत्रालय से एनएमडीएफसी की अधिकृत शेयर पूंजी को 3,000.00 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5,000 करोड़ रुपये करने का अनुरोध किया है।"

2.8 यह पूछे जाने पर कि किन कारणों से बहुत सीमित संख्या में राज्यों की योजनाओं का लाभ उठाया जाता है और निगम कब तक सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में योजनाओं का विस्तार करने का इरादा रखता है क्योंकि निगम अपने अस्तित्व के

26 वर्षों की अवधि में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सभी योजनाओं को लोकप्रिय बनाने में विफल रहा है, समिति को मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया है कि:-

> "भारत सरकार ने फरवरी, 2015 में एनएमडीएफसी की प्राधिकृत शेयर पूंजी को 1,500.00 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3,000 करोड़ रुपये करते हुए निर्देश दिया है कि पुनर्भुगतान करने में चूक करने वाले एससीए को और अधिक धन प्रदान नहीं किया जाए । इस वजह से, एनएमडीएफसी ने उन राज्यों में अपने वित्तपोषण को प्रतिबंधित कर दिया, जहां एससीए पुराने चूककर्ता थे। तथापि, कवरेज को बढ़ाने के लिए एनएमडीएफसी ने केनरा बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिसका उद्देश्य लक्षित लाभाथयों तक पहुंचना है जहां एससीए कार्य नहीं कर रहे हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, एनएमडीएफसी ने केनरा बैंक के माध्यम से 15.00 करोड़ रुपये की राशि जारी की थी । केनरा बैंक द्वारा उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में निधियों का संवितरण करके इसका पूरी तरह से उपयोग किया गया था जहां एनएमडीएफसी के एससीए कार्य नहीं कर रहे हैं। ये राज्य आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, ओडिशा, तेलंगाना, पंजाब, लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, अंडमान और निकोबार, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हैं।"

2.9 यह पूछे जाने पर कि किन कारणों से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने हिस्से का योगदान नहीं कर पाए हैं और योगदान में चूक के प्रभावों के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने बताया कि:-

> "एनएमडीएफसी की इक्विटी में योगदान नहीं करने का कारण उनकी वित्तीय स्थिति हो सकती है। एनएमडीएफसी स्कीमों के तहत संवितरण को किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से लंबित इक्विटी योगदान से नहीं जोड़ा गया है, क्योंकि यह ऐसे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में रहने वाले लक्षित समूहों के व्यक्तियों को एनएमडीएफसी योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने से वंचित कर देगा।"

2.10 समिति यह पाती है कि 1994 में एनएमडीएफसी की शुरूआत से अब तक इसकी इक्विटी संरचना में छह बार संशोधन किया गया है और यह 500 करोड़ रूपये से 3000 करोड़ रुपये हो गई है। अंतिम संशोधन फरवरी 2015 में किया गया था। तथापि, केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों की अधिकृत शेयर पूंजी अब तक अंतिम स्तर तक नहीं पहुंची है। 31.05.2022 तक केंद्र सरकार ने 89.95 प्रतिशत का योगदान किया है जबकि राज्य सरकारों ने 49.79 प्रतिशत मात्र का योगदान दिया है। समिति यह नोट कर व्यथित है कि कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों यथा अरुणाचल प्रदेश, गोवा, लक्षद्वीप, मेघालय, सिक्किम, तेलंगाना तथा अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह में एनएमडीएफसी की इक्विटी में एक पैसे का भी योगदान नहीं किया। समिति यह भी नोट करती है कि आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश ने अत्यंत कम धनराशि का योगदान दिया है। समिति यह नोट कर आश्चर्य व्यक्त करती है कि एनएमडीएफसी द्वारा राज्य सरकारों की इक्विटी को अधिकतम करने के लिए किए गए सारे प्रयत्न व्यर्थ हो गए। समिति यह बात अब तक समझ नहीं पायी है कि बार-बार सम्पर्क किए जाने के बावजूद राज्य सरकारों का व्यवहार इस प्रकार असहयोगात्मक रहा है। संभव है, राज्य इससे अच्छी तरह अवगत हैं कि निधियों की उपलब्धता से एनएमडीएफसी राज्यों में रहने वाले लक्षित वर्गों के हित में सरकार की कल्याण योजनाओं को वित्तपोषित करने की अपनी क्षमता को बढ़ाने में सफल होगा। इसलिए उन्हें योगदान करना चाहिए। इसलिए समिति सिफारिश करती है इस मुद्दे को उच्चतम स्तर पर उठाया जाना चाहिए ताकि योगदान करने में चूक गये राज्यों से योगदान लिया जा सके। समिति यह भी चाहती है कि मंत्रालय एनएमडीएफसी की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के वंचित तबकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए उचित उपाय करे।

समिति नोट करती है कि एनएमडीएफसी ने अधिकृत शेयर पूंजी को 3000 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5000 करोड़ रुपये करने के लिए मंत्रालय से संपर्क

किया है। समिति इच्छा व्यक्त करती है कि समिति इसकी अविलम्ब जांच करें और इस पर निर्णय लें ताकि एनएमडीएफसी की अधिकृत पूंजी के वृद्धि करने संबंधी प्रस्ताव मंजूर हो सके।

अध्याय - तीन

एनएमडीएफसी की क्रेडिट योजनाएं

एक. सावधि ऋण योजना

3.1 यह योजना व्यक्तिगत लाभाथयों के लिए है और इसे राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत क्रेडिट लाइन-1 के अंतर्गत वित्तपोषण के लिए 2000 लाख रुपए तक की लागत वाली परियोजनाओं पर विचार किया जाता है। एनएमडीएफसी परियोजना लागत के 90% की सीमा तक ऋण प्रदान करता है। परियोजना की शेष लागत एससीए और लाभार्थी द्वारा पूरी की जाती है। लाभार्थी को परियोजना लागत का न्यूनतम 5% योगदान करना होगा। लाभार्थी से वसूले जाने वाले ब्याज की दर 6% प्रति वर्ष है। क्रेडिट लाइन-2 के लिए पुरुष लाभार्थियों के लिए 8% प्रति वर्ष और महिला लाभार्थियों के लिए 6% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर ₹30.00 लाख तक दिए जाते हैं। सावधि ऋण योजना के अंतर्गत सहायता निम्नलिखित में से किसी भी वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य और तकनीकी रूप से व्यवहार्य उद्यम के लिए उपलब्ध है।

1. कृषि और इसके साथ जुड़े कार्य
2. तकनीकी ट्रेड
3. छोटे व्यापार
4. कारीगर और पारंपरिक व्यवसायों, और
5. परिवहन और सेवा क्षेत्र

3.2 मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पिछले चार वर्षों और चालू वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान सावधि ऋण के तहत संवितरण इस प्रकार है:-

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22

ऋण संवितरण	296.53	319.81	313.06	333.92	359.12
लाभार्थी	19,769	21,322	20,872	22,259	23,942

3.3 पिछले तीन वर्षों के दौरान एससीए द्वारा वितरित और वसूली गई वास्तविक राशि के राज्य-वार ब्यौरे के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने निम्नलिखित जानकारी दी:

राशि लाख रुपये में

क्रम सं.	राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र	एससीए का नाम	2017-18		2018-19		2019-20	
			संवितरित निधियाँ	वसूल की गई धनराशि	संवितरित निधियाँ	वसूल की गई धनराशि	संवितरित निधियाँ	वसूल की गई धनराशि
1	चंडीगढ़	सीएससीबीसीएमएफडीसी	10.90	9.96	16.45	11.39	14.40	12.73
2	गुजरात	जीएमएफडीसी	320.31	132.59	288.14	123.17	340.38	102.42
3	हरियाणा	एचबीसीकेएन	644.00	133.23	300.00	167.19	659.00	195.07
		एमडीए	11.07	7.75	37.13	16.18	74.25	43.8
4	हिमाचल प्रदेश	एचपीएमएफडीसी	321.25	231.96	407.34	353.71	442.62	382.79
5	जम्मू एवं कश्मीर	जेकेडब्ल्यूडीसी	819.5	1031.61	1176.67	1057.26	1197.61	851.16
		जेकेएससीएसटीबीसीडीसी	81.91	11.00	388.43	63.49	264.69	99.06
		जेकेईडीआई	5449.04	2328.22	3451.98	2549.43	947.30	2830.26
		जेकेएसएफसी	983.37	116.27	2000.00	514.49	1517.94	741.64
6	केरल	केएसबीडीसी	9856.71	4891.87	11062.84	6614.78	12009.43	9020.89
		केएसडब्ल्यूडीसी	5643.06	3436.52	5783.62	4033.31	4593.98	4751.96
		एमएटीएसवाईएएफईडी	2897.41	1994.00	3173.91	2703.93	2661.92	2873.85
		केएसएमडीएफसी	1125.04	974.12	1395.53	1253.25	869.76	1436.76
7	कर्नाटक	केएमडीसी	222.18	298.23	279.39	223.07	123.16	296.23
8	पंजाब	बीएसीकेएफआईएनसीओ	196.13	684.13	1.65	601.69	1.08	454.59
9	राजस्थान	आरएमएफडीसीसी	1155.30	1156.95	686.36	1252.27	396.35	910.32
10	त्रिपुरा	टीएमसीडीसी	2749.76	667.84	404.62	780.32	75.27	641.23
11	उत्तराखंड	यूएकेटीडब्ल्यूवीएन	15.30	30.35	85.36	40.62	4.97	24.02
12	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीएमडीएफसी	6513.00	4158.69	7964.01	4907.94	4170.37	5406.22

3.4 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए क्रेडिट लाइन-1 और 2 के तहत सावधि ऋण योजना में विभिन्न क्षेत्रों के तहत लाभार्थियों के राज्य-वार ब्यौरे इस

प्रकार हैं:-

2017-18											
		(क्रेडिट लाइन-1)					(क्रेडिट लाइन-2)				
क्रम सं.	राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र	कृषि और संबद्ध	तकनीकी ट्रेड	लघु व्यवसाय	कारीगर और पारंपरिक व्यवसाय	परिवहन और सेवा क्षेत्र	कृषि और संबद्ध	तकनीकी ट्रेड	लघु व्यवसाय	कारीगर और पारंपरिक व्यवसाय	परिवहन और सेवा क्षेत्र
		लाभार्थी	लाभार्थी	लाभार्थी	लाभार्थी	लाभार्थी	लाभार्थी	लाभार्थी	लाभार्थी	लाभार्थी	लाभार्थी
1	चंडीगढ़	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0
2	दिल्ली	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0
3	गुजरात	89	10	204	14	22	1	3	5	1	0
4	हरियाणा	10	69	485	31	98	0	0	0	0	0
5	हिमाचल प्रदेश	6	1	83	0	0	0	0	5	0	0
6	जम्मू एवं कश्मीर	233	184	1344	112	107	35	21	238	10	7
7	केरल	1856	383	2562	181	213	83	3	258	13	37
8	कर्नाटक	0	2	17	0	2	0	0	0	0	0
9	मिजोरम	304	0	84	30	0	0	0	0	0	0
10	पंजाब	110	1	6	0	0	0	0	0	0	0
11	राजस्थान	81	0	448	37	347	0	0	50	3	38
12	तमिलनाडु	15	1270	5561	0	0	0	0	0	0	0
13	त्रिपुरा	28	0	619	0	196	0	0	0	0	0
14	उत्तराखंड	4	1	9	0	0	0	0	0	0	0
15	पश्चिम बंगाल	7	0	10303	0	0	0	0	0	0	0

2018-19											
		(क्रेडिट लाइन-1)					(क्रेडिट लाइन-2)				
क्रम सं.	राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र	कृषि और संबद्ध	तकनीकी ट्रेड	लघु व्यवसाय	कारीगर और पारंपरिक व्यवसाय	परिवहन और सेवा क्षेत्र	कृषि और संबद्ध	तकनीकी ट्रेड	लघु व्यवसाय	कारीगर और पारंपरिक व्यवसाय	परिवहन और सेवा क्षेत्र
		लाभार्थी	लाभार्थी	लाभार्थी	लाभार्थी	लाभार्थी	लाभार्थी	लाभार्थी	लाभार्थी	लाभार्थी	लाभार्थी
1	चंडीगढ़	0	0	59	0	0	0	0	2	0	0
2	छतीसगढ़	0	2	25	0	0	0	0	0	0	0
3	दिल्ली	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0
4	गुजरात	40	3	204	3	0	1	0	4	0	0
5	हरियाणा	15	43	653	0	0	0	0	0	0	0

6	हिमाचल प्रदेश	4	3	110	0	0	0	0	0	0	0
7	जम्मू एवं कश्मीर	145	172	1287	159	58	20	26	192	17	10
8	केरल	1899	615	2508	7	194	75	6	214	2	28
9	कर्नाटक	1	21	19	0	0	0	0	0	0	0
10	मिजोरम	30	0	60	40	0	0	0	0	0	0
11	राजस्थान	66	0	236	20	83	0	0	26	2	9
12	तमिलनाडु	70	1967	5645	0	0	0	17	0	0	0
13	त्रिपुरा	8	0	72	0	17	0	0	0	0	0
14	उत्तराखंड	12	0	61	0	0	0	0	0	0	0
15	पश्चिम बंगाल	9	0	10533	1	0	0	0	0	0	0

2019-20

		(क्रेडिट लाइन-1)					(क्रेडिट लाइन-2)				
क्रम सं.	**राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र**	**कृषि और संबद्ध**	**तकनीकी ट्रेड**	**लघु व्यवसाय**	**कारीगर और पारंपरिक व्यवसाय**	**परिवहन और सेवा क्षेत्र**	**कृषि और संबद्ध**	**तकनीकी ट्रेड**	**लघु व्यवसाय**	**कारीगर और पारंपरिक व्यवसाय**	**परिवहन और सेवा क्षेत्र**
		लाभार्थी	लाभार्थी	लाभार्थी	लाभार्थी	लाभार्थी	लाभार्थी	लाभार्थी	लाभार्थी	लाभार्थी	लाभार्थी
1	चंडीगढ़	0	0	47	0	0	0	0	0	0	0
2	छतीसगढ़	8	11	39	0	1	0	0	0	0	0
3	दिल्ली	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
4	गुजरात	61	3	148	17	11	3	0	0	0	0
5	हरियाणा	52	25	578	1	1	0	0	0	0	0
6	हिमाचल प्रदेश	4	1	112	0	0	0	0	0	0	0
7	झारखण्ड	0	12	203	0	0	0	0	0	0	0
8	जम्मू एवं कश्मीर	76	96	663	112	4	8	15	82	21	1
9	केरल	1518	223	1915	318	172	92	21	175	15	28
10	कर्नाटक	6	4	2	0	0	0	0	1	0	0
11	मिजोरम	140	0	218	72	0	0	0	0	0	0
12	राजस्थान	1	0	125	11	26	0	0	13	1	3
13	तमिलनाडु	179	1791	5127	0	0	0	33	0	0	0
14	त्रिपुरा	1	0	8	0	0	0	0	0	0	0
15	पश्चिम बंगाल	8	0	4797	2	0	0	0	0	0	0

3.5 मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, एससीए द्वारा उपयोग की गई निधियों का गतिविधि-वार प्रतिशत निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	कार्यकलाप का नाम	एससीए द्वारा निधि उपयोग का प्रतिशत
1.	कृषि और संबद्ध	22.49%
2.	तकनीकी ट्रेड	3.44%
3.	लघु व्यवसाय	66.81%
4.	कारीगर और पारंपरिक व्यवसाय	3.26%
5.	परिवहन और सेवा क्षेत्र	4.00%

3.6 कुछ गतिविधियों पर एससीए द्वारा निधियों के कम उपयोग के कारणों के बारे में पूछे जाने पर, समिति को मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया था कि:-

> "एनएमडीएफसी की सावधि ऋण योजना के अंतर्गत निधि संवितरण मांग आधारित है। इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत आहरित निधियां लाभार्थियों से प्राप्त वास्तविक मांग पर आधारित होती हैं।"

दो. शैक्षिक ऋण योजना

3.7 यह योजना व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए है और एससीए के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। एनएमडीएफसी अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित पात्र व्यक्तियों के लिए रोजगारोन्मुखी शिक्षा को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से शैक्षिक ऋण प्रदान करता है। इस योजना के तहत, क्रेडिट लाइन - 1 और 2 केअंतर्गत 20.00 लाख रुपये तक का ऋण भारत में 'तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों' के लिए उपलब्ध है, जिनकी अवधि पांच साल तक है। इसके अलावा, विदेशों के पाठ्यक्रमों के लिए, क्रेडिट लाइन-1 और 2 केअंतर्गत अधिकतम 5 वर्षों की पाठ्यक्रम अवधि के लिए 30.00 लाख रुपये की अधिकतम राशि उपलब्ध है। इस प्रयोजनार्थ अनुसूचित जाति के सदस्यों को क्रेडिट लाइन-1 के अंतर्गत 1% वार्षिक की ब्याज दर पर निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं ताकि लाभार्थियों को 3% वार्षिक ब्याज पर ऋण दिया जा सके। क्रेडिट लाइन-2 के अंतर्गत, एससीए को पुरुष लाभाथयों के लिए 8% वार्षिक ब्याज पर और महिला लाभाथयों के लिए 5% प्रतिवर्ष की दर से लाभार्थियों को ऋण देने के लिए 2% वार्षिक की ब्याज दर पर निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं। यह ऋण अधिकतम पांच वर्षों में देय है। पुनर्भुगतान पाठ्यक्रम के पूरा होने या नौकरी पाने से 6 महीने के बाद शुरू होगा, जो भी पहले हो।

3.8 मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 2017-18 से 2020-21 तक शिक्षा ऋण योजना केअंतर्गत प्राप्त आवेदनों और लाभार्थियों की संख्या का विवरण इस प्रकार है:-

क्रम सं .	राज्य /संघ राज्य क्षेत्र	2017-18		2018-19		2019-20		2020-21	
		प्राप्त आवेदनों की संख्या	वित्त पोषित किये गये लाभार्थियों की संख्या	प्राप्त आवेदनों की संख्या	वित्त पोषित किये गये लाभार्थियों की संख्या	प्राप्त आवेदनों की संख्या	वित्त पोषित किये गये लाभार्थियों की संख्या	प्राप्त आवेदनों की संख्या	वित्त पोषित किये गये लाभार्थियों की संख्या
1	चंडीगढ़	1	1	0	0	0	0		
2	छत्तीसगढ	0	0	1	1	0	0		
3	दिल्ली	1	1	4	2	2	2	2	2
4	गुजरात	103	80	62	48	43	36		
5	हरियाणा	7	7	3	1	0	0		
6	हिमाचल प्रदेश	5	3	3	1	5	2	2	2
7	जम्मू एवं कश्मीर	164	164	146	144	98	90	24	22
8	केरल	535	449	343	319	412	386	419	400
9	कर्नाटक	24	24	15	15	15	15		
10	राजस्थान	71	69	53	52	52	50	10	6
11	तमिलनाडू	6	1	12	9	15	9		
12	त्रिपुरा	46	32	43	24	33	1		
13	उत्तराखंड	0	0	2	2	0	0		
14	पश्चिम बंगाल	2639	2498	2708	2504	2186	1966	2066	1999

3.9 मंत्रालय ने आगे यह भी सूचित किया कि पिछले पांच वर्षों के दौरान, एनएमडीएफसी की शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत 16,011 लाभार्थियों ने सहायता प्राप्त की थी। इसमें 4,361 महिला लाभार्थी और 11,650 पुरुष लाभार्थी थे। शिक्षा ऋण योजना केअंतर्गत वित्तपोषित महिला लाभार्थियों का प्रतिशत 27.24% है।

3.10 पिछले पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान शैक्षिक ऋण योजना के अंतर्गत उपलब्ध निधियों और उन कारणों के बारे में पूछे जाने पर जिनके कारण सभी आवेदकों को 2017-18, 2018-19 और 2019-20 और 2020-21 के दौरान ऋण स्वीकृत नहीं किया गया था, समिति को अन्य बातों के साथ-साथ सूचित किया गया कि:-

"एनएमडीएफसी की शैक्षिक ऋण योजना सावधि ऋण योजना का एक हिस्सा है। एससीए शैक्षिक ऋण आवश्यकता को पूरा करने के लिए वित्त वर्ष के दौरान सावधि ऋण योजना केअंतर्गत प्राप्त धन का 10% और पुराने स्वीकृत मामलों के प्रति प्रतिबद्ध देयता को पूरा करने के लिए समान रूप से 10% का उपयोग कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत न करना आवेदन पर विचार नहीं करने का मुख्य कारण है, जैसा कि एससीए द्वारा सूचित किया गया है।"

3.11 इस योजना के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों के दौरान एससीए द्वारा उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

राज्य	एससीए का नाम	2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22	
		राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी
छत्तीसगढ़	सीएसीडीएफसी			0.153	2						
दिल्ली	डीएसएफडीसी	0.010	1	0.100	2	0.100	4	0.030	2		
गुजरात	जीएमएफडीसी			0.687	46	0.893	50				
हरियाणा	एचबीसीकेएन			0.000	0					0.004	1
	एमडीए	0.057	6	0.020	2						
हिमाचल प्रदेश	एचपीएमएफडीसी	0.150	3	0.037	1	0.080	6	0.060	2	0.108	2
जम्मू एवं कश्मीर	जेकेईडीआई	9.431	130	8.847	113	1.740	58			0.769	29
	जेकेएसएफसी	0.181	5			0.080	3				
	जेकेडब्ल्यूडीसी	0.882	41	1.724	151	1.328	27	1.320	22	1.902	33
	जेकेएससीएसटी					0.167	3	0.160	0	0.015	1
कर्नाटक	केएमडीसी	2.160	51							1.208	40
केरल	केबीसीडीसी	14.568	338	11.811	155	9.514	183	7.050	158	6.483	83
	केएससीएफएफडी							0.010	1		
	केएसएमडीएफसी	2.399	203	4.500	247	5.019	179	5.160	224	9.440	245
	केएसडब्ल्यूडीसी	0.126	3	0.198	3	0.494	17	0.480	17	0.599	18
पुदुचेरी	पीडीबीसीएमडीसी										
पंजाब	बैकफिनको	0.080									
राजस्थान	आरएमएफडीसी	1.699	51							1.079	39
तमिलनाडु	टैमको	0.009	1	0.132	9	0.201	9	0.070	6	0.077	7
त्रिपुरा	टीएमसीडीसी	1.031	34			0.387	1			0.481	20
उत्तरप्रदेश	यूपीएमएफडीसी					0.449	21				
उत्तराखंड	यूएमएफडीसी			0.050	2	0.050	2			0.083	4
पश्चिमबंगाल	डब्ल्यूबीएमडीएफसी	11.250	2498	21.830	2504	17.471	1966	24.030	1999	14.3	1304
समग्र कुल		**44.031**	**3,365**	**50.089**	**3,237**	**37.973**	**2,529**	**38.370**	**2,431**	**36.55**	**1,826**

3.12 चूंकि एनएमडीएफसी के कार्यकरण पर मूल्यांकन अध्ययनों में से एक में यह पाया गया है कि केवल 40% छात्रों ने उच्च शिक्षा के लिए एनएमडीएफसी ऋण का उपयोग किया है अतएव योजना के बेहतर निष्पादन के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने बताया कि:-

> "एनएमडीएफसी की शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत व्यावसायिक और रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों के लिए सहायता उपलब्ध है। शिक्षा ऋण योजना सहित एनएमडीएफसी योजनाओं के अंतर्गत ऋण मांग आधारित है। 2017-18 की प्रभाव अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार, बी.टेक , एमबीबीएस, एमसीए और एमबीए पाठ्यक्रमों जैसे पाठ्यक्रमों के लिए लगभग 66.80% शिक्षा ऋण का लाभ उठाया गया था। 2018-19 के दौरान किए गए प्रभाव अध्ययन के दौरान, यह बताया गया था कि B.Tech, एमबीबीएस, बी फार्मा जैसे पाठ्यक्रमों के लिए लगभग 65% ऋण प्राप्त किया गया है। लगभग 77% छात्रों को सरकारी/निजी क्षेत्र में रोजगार मिला है जबकि 3% छात्र स्व-नियोजित हैं। इस प्रकार एनएमडीएफसी की शिक्षा ऋण योजना केअंतर्गत सहायता प्राप्त करने के बाद 80% छात्रों को लाभप्रद रोजगार मिला।"

3.13 योजना के अंतर्गत वित्त पोषित महिला लाभार्थियों का वर्तमान हिस्सा केवल 27.24 प्रतिशत है अतः महिला छात्रों के बीच इस योजना को बढ़ावा देने/लोकप्रिय बनाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछे जाने पर ताकि वे अपने वांछित व्यवसाय को आगे बढ़ा सकें, मंत्रालय ने समिति को बताया कि:-

"शिक्षा ऋण के अंतर्गत पुरुषों के लिए लागू दर %8और महिलाओं के लिए %5है। महिला छात्रों को उच्च/तकनीकी पाठ्यक्रमों में शिक्षा ऋण लेने के लिए ब्याज छूट की पेशकश की जाती है।"

3.14 यह पूछे जाने पर कि क्या प्रत्येक छात्र को स्वीकृत शिक्षा ऋण की राशि चुने हुए पाठ्यक्रम के लिए पर्याप्त है, समिति को सूचित किया गया कि:-

> "एनएमडीएफसी की शैक्षिक ऋण योजना के अंतर्गत, विदेशों में अध्ययन के लिए व्यावसायिक और रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों को करने के लिए 6.0 लाख रुपये प्रति वर्ष की दर से 30.00 लाख रुपये तक की अधिकतम राशि उपलब्ध

है और घरेलू पाठ्यक्रमों के लिए 4.0 लाख रुपये प्रति वर्ष की दर से लेकर 20.00 लाख रुपये प्रति वर्ष तक की दर से उपलब्ध है। वर्तमान में इस सीमा को बढ़ाने के लिए किसी भी एससीए से कोई मांग नहीं है।"

3.15 यह पूछे जाने पर कि क्या प्रत्येक छात्र को स्वीकृत शिक्षा ऋण की राशि एक चुने हुए पाठ्यक्रम के लिए पर्याप्त है, समिति को बताया गया कि:-

"एससीए ने सूचित किया है कि वे इस तरह के डेटा नहीं रख रहे हैं। हालांकि -2018 की प्रभाव अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार 19, लगभग %77छात्र सरकारीनिजी क्षेत्र में / कार्यरत थे, जबकि %3स्व %80 नियोजित थे। इस प्रकार लगभग-छात्र लाभकारी रूप से कार्यरत थे।"

तीन. <u>विरासत योजना</u>

3.16 इस योजना का उद्देश्य,कार्यशील पूंजी और उपकरणों/उपकरणों/मशीनरी की निश्चित पूंजी दोनों की आवश्यकता के संदर्भ में कारीगरों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करना है। इस योजना केअंतर्गत अधिकतम ₹10.00 लाख तक का ऋण लिया जा सकता है। हाल ही में इस योजना केअंतर्गत क्रेडिट लाइन -2 शुरू की जा रही है जिसमें ₹ 8.00 लाख तक की उच्च वार्षिक पारिवारिक आय वाले लाभार्थी भी ऋण का लाभ उठा सकते हैं। क्रेडिट लाइन-1 के तहत, ऋण पुरुष कारीगरों के लिए 5% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर और महिला कारीगरों के लिए 4% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 1% रियायत के साथ उपलब्ध है। क्रेडिट लाइन-2 के तहत, ऋण पुरुष कारीगरों के लिए 6% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर और महिला कारीगरों के लिए 5% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 1% की रियायत के साथ उपलब्ध है।

3.17 2018-19 से 2021-22 तक योजना के अंतर्गत वित्त पोषित लाभार्थियों के लिंगवार आंकड़ों का विवरण निम्नवत है:-

क्रम संख्या	राज्य	योजना	2018-2019		2019-2020		2020-2021		2021-2022		**कुल योग**	
			पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	**पुरुष**	**महिला**
1	गुजरात	विरासत	0	0	54	19	0	0	-	-	**54**	**19**
2	जम्मू और कश्मीर	-वही-	0	8	0	0	0	3	-	-	**0**	**11**
3	केरल	-वही-	0	0	0	0	0	88	-	-	**0**	**88**
4	केनरा बैंक	-वही-	0	0	0	0	0	0	196	102	**196**	**102**

	कुल		0	8	54	19	0	91	196	102	250	220

3.18 जिन कारणों से इस योजना को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लोकप्रियता नहीं मिली है, उनके बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय द्वारा समिति को सूचित किया गया कि:-

> "विरासत योजना को वित्त वर्ष 2018-19 में पेश किया गया था और केनरा बैंक के सहयोग से, इस योजना में तेजी आई है और इसने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान योजना के अंतर्गत 298 कारीगरों की सहायता के लिए 4.16 करोड़ रुपये की ऋण राशि वितरित की है।"

3.19 योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए देश भर के कारीगरों और पारंपरिक कारीगरों द्वारा इस योजना का व्यापक रूप से लाभ उठाया जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछे जाने पर समिति को मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया कि:-

> "इस योजना के अंतर्गत निधियों का लाभ उठाने के लिए एनएमडीएफसी द्वारा एससीए को प्रोत्साहित किया जाता है। केनरा बैंक ने भी विरासत योजना का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है और वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान योजना के अंतर्गत 4.16 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की है। एनएमडीएफसी देश के विभिन्न भागों में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित हुनरहाटों के दौरान इस योजना को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से एक स्टाल भी लगा रहा है। कारीगरों को जानकारी और आवेदन पत्र प्रदान करने के लिए केनरा बैंक/एनएमडीएफसी/एससीए के कर्मचारियों को पूरे मेले में तैनात किया जाता है।"

चार. <u>माइक्रो फाइनेंसिंग स्कीम (सूक्ष्म वित्त योजना)</u>

3.20 सूक्ष्म वित्त योजना के अंतर्गत, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के सदस्यों को मुख्यरूप से एससीए और सिद्ध ट्रैक रिकार्ड वाले गैर-सरकारी संगठनों और उनके स्व-सहायता समूहों के नेटवर्क के माध्यम से ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत, एसएचजी के प्रति सदस्य अधिकतम 1.00 लाख रुपये तक का

छोटा ऋण प्रदान किया जाता है। गैर-सरकारी संगठनों/एससीए को 1% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर निधियां दी जाती हैं, जो क्रेडिट लाइन-1 के अंतर्गत 7% प्रतिवर्ष से अधिक की ब्याज दर पर स्व-सहायता समूहों को आगे उधार देती हैं। क्रेडिट लाइन-2 के अंतर्गत, एसएचजी के प्रति सदस्य 1.50 लाख रुपये पुरुष लाभ के लिए 10% प्रति वर्ष और महिला लाभार्थियों के लिए 8% प्रति वर्ष से अधिक ब्याज दर पर दिए जाते हैं। इस योजना केअंतर्गत पुनर्भुगतान की अवधि अधिकतम 36 महीने है।

3.21 पिछले चार वर्षों के दौरान और चालू वित्तीय वर्ष के लिए इस योजना के अंतर्गत वित्तीय और वास्तविक उपलब्धियां निम्नवत हैं :-

(करोड़ रुपये में)

विवरण	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**
ऋण संवितरण	274.30	283.85	289.44	316.49	340.88
लाभार्थी	1,09,720	1,13,540	1,15,777	1,26,597	1,36,352

3.22 वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक सूक्ष्म वित्त योजना केअंतर्गत जिन स्वयं सहायता समूहों और महिला लाभार्थियों को सहायता दी गई उनकी संख्या का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

		2015-16		**2016-17**		**2017-18**		**2018-19**		**2019-20**		**2020-21**	
क्रम सं.	**राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	एसएचजी की संख्या	महिला लाभार्थियों के सं. जिन्हें सहायता प्रदान की गई	एसएचजी की संख्या	महिला लाभार्थियों के सं. जिन्हें सहायता प्रदान की गई	एसएचजी की संख्या	महिला लाभार्थियों के सं. जिन्हें सहायता प्रदान की गई	एसएचजी की संख्या	महिला लाभार्थियों के सं. जिन्हें सहायता प्रदान की गई	एसएचजी की संख्या	महिला लाभार्थियों के सं. जिन्हें सहायता प्रदान की गई	एसएचजी की संख्या	महिला लाभार्थियों के सं. जिन्हें सहायता प्रदान की गई
1	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	10	78	21	165	21	174
2	जम्मू एवं कश्मीर	20	159	17	105	22	149	13	77	14	83	19	115
3	केरल	923	13752	1355	17165	3452	18989	4050	24709	3249	20427	4770	28622
4	नागालैंड	0	0	0	0	35	511	67	1042	20	417		
5	पुदुचेरी	51	528	5	50	0	0	0	0	0	0		

6	राजस्थान	12	128	2	17	3	11	1	10	0	0		
7	तमिलनाडु	450	6730	369	5312	383	5458	402	5508	353	4963	291	4087
8	पश्चिम बंगाल	9093	107041	8937	102005	9404	106999	9692	108564	9503	101077	7683	107574

3.23 यह पूछे जाने पर कि किन कारणों से योजना कुछ राज्यों तक ही सीमित है और सभी राज्यों में योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं, मंत्रालय ने बताया कि:-

"यह देखा जा सकता है कि स्थापना के बाद से एनएमडीएफसी ने 20 राज्योंसंघ / राज्य क्षेत्रों अर्थात् आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुदुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के माध्यम से सूक्ष्म वित्त का संचालन किया है। जिन एससीए ने पुनर्भुगतान में चूक की है वे एनएमडीएफसी से निधि प्राप्त करने के पात्र नहीं है परिणामस्वरूप सूक्ष्म वित्त उन राज्यों तक ही सीमित हो गया है जो एनएमडीएफसी को नियमित रूप से पुनर्भुगतान करते हैं। एनएमडीएफसी इस मामले को संबंधित राज्य सरकार के साथ उठा रही है ताकि वित्तपोषण को फिर से शुरू करने के लिए अतिदेय को निपटाया जाए इसके अलावा, एनएमडीएफसी ने अन्य एससीए को भी माइक्रो फाइनेंस के अंतर्गत मानित निधियों का आवंटन शुरू कर दिया है। हाल ही में केनरा बैंक ने भी के 22-2021 महिलाओं 156 से (एसएचजी) दौरान सूक्ष्म वित्त योजना के तहत स्वयं सहायता समूह कोर "करोड़ प्रदान किया है। 3.45

3.24 यह पूछे जाने पर कि क्या लाभार्थियों से ली जा रही उच्च ब्याज दर के बोझ को कम करने के लिए सरकार की कोई योजना है, मंत्रालय ने निवेदन किया कि:-

"क्रेडिट लाइन-1 केअंतर्गत वित्तपोषण अंतिम लाभार्थी/एसएचजी को 7% प्रतिवर्ष की ब्याज दर से किया जाता है। एनएमडीएफसी एससीए/एनजीओ से 1% प्रति वर्ष ब्याज लेता है जबकि एससीए एसएचजी/लाभार्थी से 7% प्रति वर्ष का ब्याज लेता है और इस प्रकार यदि यह योजना को सीधे लागू करता है

तो 6% प्रति वर्ष ब्याज का मार्जिन प्राप्त करता है, यदि एससीए गैर-सरकारी संगठन के माध्यम से कार्यान्वित करता है, तो एससीए गैर-सरकारी संगठन से 2% प्रतिवर्ष लेता है और गैर-सरकारी संगठन बदले में एसएचजी/लाभार्थी से 7% प्रति वर्ष लेता है जिससे 5% प्रति वर्ष ब्याज मार्जिन प्राप्त होता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि एससीए/गैर-सरकारी संगठन को अधिक मार्जिन प्रदान किया जाता है ताकि उन्हें सूक्ष्म ऋण प्रदान करने से पहले और बाद में एसएचजी के गठन, पोषण और नियमित निगरानी के लिए व्यय को पूरा करने में मदद मिल सके। ब्याज मार्जिन में किसी भी प्रकार की कमी का एससीए/गैर-सरकारी संगठन के स्तर पर सूक्ष्म वित्त योजना के कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि सूक्ष्म वित्त पोषण योजना के अंतर्गत प्रभारित ब्याज दर बाजार में सबसे कम ब्याज दरों में से एक है।"

3.25 समिति यह नोट करने को विवश है कि एनएमडीएफसी की क्रेडिट योजनाएं नामत: सावधि ऋण योजना, शिक्षा ऋण योजना, विरासत योजना और लघु-वित्तपोषण योजना जो स्वरोजगार और आय-सृजन क्रियाकलापों के लिए रियायती दरों पर ऋण प्रदान करने के लिए है, से अधिसूचित अल्पसंख्यक आबादी को लाभ नहीं मिला है जिनकी संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 23 करोड़ से अधिक है। समिति यह भी नोट कर व्यथित है कि महाराष्ट्र, बिहार, असम, उड़ीसा और तेलंगाना जहां अल्पसंख्यक आबादी पर्याप्त मात्रा में है, में भी एनएमडीएफसी की सभी ऋण योजनाओं के अंतर्गत कोई लाभग्राही नहीं है। समिति को दी गई जानकारी के अनुसार सावधि ऋण योजना 17 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, शिक्षा ऋण योजना 14 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और विरासत योजना मात्र 3 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तक पहुंची है। समिति महसूस करती है शायद इन योजनाओं के क्रियान्वयन में ही दोष है क्योंकि ऐसा नहीं माना जा सकता कि सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में अल्पसंख्यक समुदायों की तरफ से कोई मांग नहीं है। इसलिए समिति महसूस करती है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को अपनी क्रियान्वयन रणनीति की पुन: जांच करने की आवश्यकता है और उन कारकों को पहचानने की जरूरत है जो सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इन

योजनाओं को लोकप्रिय बनाने में बाधा बन गये है तथा कमियों को दूर करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की जरूररत है। समिति यह भी सुझाव देती है कि शायद राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही इसी तरह की समान योजनाएं अधिक सफल है, इसलिए एनएमडीएफसी योजनाओं की उपयोगिता की जांच राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा चलाई जा रही समान योजनाओं के आलोक में की जाए तथा यदि ऐसा पाया जाता है कि इन योजनाओं को राज्य सरकार की समान योजनाओं के ऊपर वरीयता नहीं दी जा रही है तो इन्हें समाप्त कर दिया जाए/नवीनीकृत किया जाए। समिति को इस बारे में मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई के परिणामों से अवगत कराया जाए।

3.26 एनएमडीएफसी अल्पसंख्यक समुदायों के पात्र व्यक्तियों को रोजगारोन्मुख शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए आशय से शिक्षा ऋण प्रदान करता है। समिति यह जानकर आश्चर्यचकित है कि गत पांच वर्षों में केवल 16011 लाभग्राहियों ने एनएमडीएफसी की शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त की है। इसके अलावा मंत्रालय ने 14 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से ही शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत लाभग्राहियों की जानकारी दी। समिति यह नोट कर अत्यंत क्षुब्ध है कि अल्पसंख्यक समुदायों की विशाल आबादी वाले राज्यों यथा महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब और असम में शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत एक भी लाभार्थी नहीं है और आश्चर्य व्यक्त करती है कि क्या योजना के बारे में पर्याप्त जागरूकता नहीं है। समिति यह भी पाती है कि शिक्षा ऋणों के लिए प्राप्त कुछ आवेदनों पर आवश्यक कागजात जमा नहीं करने के कारण विचार नहीं किया गया। समिति यह महसूस करती है कि आवेदकों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए एनएमडीएफसी/एससीए द्वारा हर प्रयत्न किया जाऐ ताकि उनके आवदेन कागजातों की कमी के कारण अस्वीकार न किए जाए, विशेषकर इस स्थिति में जबकि शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत उपलब्धि अत्यन्त निराशाजनक है। समिति इस बात पर अत्यंत नाराजगी व्यक्त करती है कि एससीए के पास उन अभ्यर्थियों का आंकड़ा नहीं है जिन्होंने एनएमडीएफसी से प्राप्त ऋण से अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद लाभप्रद रोजगार प्राप्त किया हैं क्योंकि इस

प्रकार के आंकड़े से न केवल योजना के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की सफलता का पता चलेगा बल्कि यह भी सुनिश्चित होगा कि स्वीकृत ऋण को लाभार्थियों द्वारा लौटाया जाता है अन्यथा लाभार्थियों के लम्बे समय तक बेरोजगार रहने के मामले में ऋण के वापस न होने की स्थिति बन सकती है। समिति की दृढ मत है कि शिक्षा की बढ़ती लागत के मद्देनजर शिक्षा ऋण की मात्रा का आवधिक आधार पर आकलन किए जाने की आवश्यकता है ताकि ऋण प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को अपने अध्ययन के दौरान वित्तीय संकट का सामना न करना पड़े और वे बीच में अपनी शिक्षा अधूरी न छोड़ दें।

3.27 समिति यह नोट करती है कि 2018-19 में विरासत योजना की शुरूआत कारीगरों को कार्यशील पूंजी के संदर्भ में क्रेडिट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की गई थी क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय के अनेक कारीगर कच्ची सामग्री खरीदने के लिए कार्यशील पूंजी को पूरा करने में नकदी के संकट का सामना करते हैं। समिति को ऐसा लगता है कि शुरूआत में यह योजना नही चली क्योंकि 2018-19 और 2019-20 में क्रमश: इस योजना के तहत जम्मू-कश्मीर से मात्र 8 व्यक्ति और गुजरात से 73 व्यक्ति इसका लाभ ले सकें। तथापि बाद में इस योजना में केनरा बैंक के सहयोग से गति आई क्योंकि उन्होने कथित तौर पर 2021-22 में 298 कारीगरों को सहायता प्रदान की। समिति को विश्वास है कि चूंकि योजना सापेक्षिक रूप से नई है और 2018-2021 की अवधि के अधिकांश भाग के दौरान कोविड महामारी फैली थी इसलिए यह योजना अच्छी तरह से कार्यनिष्पादित नहीं हो पायी। तथापि लाभार्थियों की संख्या में हाल में काफी वृद्धि होने से समिति को आशा है कि योजना सफल होगी क्योंकि केनरा बैंक के सहयोग से इसमें उत्साहजनक परिणाम देखने को मिले हैं। समिति चाहती है कि योजना के साथ और अधिक सरकारी क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जुड़े ताकि पूरे देश के शिल्पकारों और परंपरागत कारीगर इसका लाभ उठा सके। समिति यह भी चाहेगी कि मंत्रालय कारीगरों के बीच विशेषकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रभावी उपाय करें ताकि कई क्षेत्रीय परंपरागत शिल्पकारी जो विलुप्त होने के कगार पर है उन्हें बचाया

जा सके। मंत्रालय को अल्पसंख्यक समुदाय के कारीगरों के बीच योजना को ओर बढावा देने के लिए अपेक्षित सुधार लाने हेतु सभी हितधारकों से फीडबैक/सुझाव भी लेने चाहिए।

3.28 समिति यह देखकर चिंतित है कि केवल आठ राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से लाभार्थियों ने सूक्ष्म वित्तीय योजना के अंतर्गत 2015-16 से ऋण लिया है और योजना के अंतर्गत स्वीकृत ऋण पर लिया गया ब्याज दर क्रेडिट लाइन-1 ने 7 प्रतिशत और क्रेडिट लाइन-2 में 10 प्रतिशत है। अधिकतम लाभार्थी पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और जम्मू और कश्मीर से संबंधित हैं। समिति का दृढ मत है कि राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों द्वारा लाभार्थियों से लिया गया 7 प्रतिशत और 10 प्रतिशत ब्याज दर थोड़ा अधिक है क्योंकि योजना का उद्देश्य स्वसहायता समूह के गरीब सदस्यों की जरूरतों को पूरा करना है जिससे वे अपनी आजीविका चला सके। विशेषकर जब एनएमडीएफसी द्वारा प्रभावित ब्याज एससीएस से केवल 1 प्रतिशत है। सूक्ष्म वित्तीय योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए समिति का मत है कि लिये जाने वाले ब्याज दर की पुन: जांच और समीक्षा करने की जरूरत है ताकि बड़ी संख्या में लोगों को योजना की ओर आकर्षित किया जा सके। समिति सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए किए गये उपायों से अवगत होना चाहेगी।

अध्याय - चार
एनएमडीएफसी की प्रचार योजनाएं

एक. <u>महिला समृद्धि योजना</u>

4.1 यह एक अनूठी योजना है जो माइक्रो क्रेडिट (सूक्ष्म ऋण) को कौशल प्रशिक्षण के साथ एसएचजी के महिला सदस्यों को सिलाई, कटाई और कढ़ाई आदि जैसे महिलाओं के अनुकूल ट्रेडों में कौशल प्रशिक्षण के साथ जोड़ती है। इसे एनएमडीएफसी की राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत, किसी भी उपयुक्त महिला अनुकूल शिल्प गतिविधि में लगभग 20 महिलाओं के एक समूह को प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान ही महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में गठित किया जाता है। बाद में, इस प्रकार गठित एसएचजी के सदस्यों को माइक्रो-क्रेडिट प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण की अधिकतम अवधि छह महीने है जिसमें प्रति प्रशिक्षु ₹ 1,500 प्रति माह का अधिकतम प्रशिक्षण खर्च होता है। प्रशिक्षण के दौरान, प्रशिक्षणार्थियों को ₹1,000 प्रति माह की वृत्ति भी दी जाती है प्रशिक्षण लागत और वजीफा एनएमडीएफसी द्वारा अनुदान के रूप में पूरा किया जाता है। इस प्रकार गठित एसएचजी के प्रत्येक सदस्य को प्रशिक्षण के बाद, आवश्यकता के आधार पर अधिकतम 1.00 लाख रुपये तक माइक्रो क्रेडिट प्रति वर्ष 7% की साधारण ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है।

4.2 पिछले पांच वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत महिला लाभार्थियों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

क्रम संख्या	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**लाभार्थियों की संख्या**
1	जम्मू और कश्मीर	874
2	महाराष्ट्र	40
3	राजस्थान	100
4	त्रिपुरा	120
5	उत्तराखंड	40
6	उत्तर प्रदेश	40
कुल		**1214**

4.3 महिला लाभार्थियों के बीच लोकप्रिय शिल्प गतिविधियों के बारे में पूछे जाने पर, समिति को मंत्रालय द्वारा बताया गया कि:-

"एमएसवाई के अंतर्गत प्रशिक्षण किसी भी महिला-अनुकूल व्यापार जैसे कटिंग/टेलरिंग और कढ़ाई, जूट सहायक उपकरण, जूट बैग/फैंसी बैग, सॉफ्ट खिलौने, फैब्रिक आर्ट्स, फैशन डिजाइनिंग, जरी जरदोजी आदि में दिया जाता है। एमएसवाई केअंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम के पूरा होने के बाद एसएचजी सदस्य को स्व-रोजगार और आय सृजन गतिविधि के लिए किसी भी महिला अनुकूल व्यापार को करने के लिए माइक्रो क्रेडिट दिया जाता है।"

दो. <u>विपणन सहायता योजना</u>

4.4 विपणन सहायता योजना व्यक्तिगत शिल्प-व्यक्तियों, एनएमडीएफसी के लाभार्थियों के साथ-साथ एसएचजी के लिए है और इसे एससीए के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। लाभकारी मूल्यों पर अपने उत्पादों के विपणन और बिक्री को बढ़ावा देने के लिए शिल्पकारों-व्यक्तियों की सहायता करने की दृष्टि से, एनएमडीएफसी चयनित स्थानों पर राज्य/जिला स्तरीय प्रदर्शनियों के आयोजन में एससीए की सहायता करता है। इन प्रदर्शनियों में, अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित शिल्पकारों के हथकरघा/हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन और बिक्री की जाती है। प्रदर्शनी के दौरान, स्टाल नि:शुल्क प्रदान किए जाते हैं और योजना के अनुसार शिल्पकारों को टीए/डीए भी प्रदान किया जाता है। इस तरह की प्रदर्शनियां "क्रेता-विक्रेता बैठक" के आयोजन के लिए अवसर भी प्रदान करती हैं, जिसे उत्पाद विकास और बाजार संवर्धन के लिए घरेलू बाजार के साथ-साथ निर्यात के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। एनएमडीएफसी प्रदर्शनियों के आयोजन के लिए एससीए को अनुदान प्रदान करता है।

4.5 एससीए द्वारा 2016-17 से 2020-21 के दौरान आयोजित प्रदर्शनियों का विवरण निम्नवत है:-

						राशि ₹ लाख में
वर्ष	**राज्य**	**एससीए आयोजित प्रदर्शनी का नाम**	**प्रदर्शनी का नाम**	**अवधि**	**लाभार्थियों की संख्या**	**प्रदर्शनी के दौरान बिक्री**

2016-17						
1	जम्मू एवं कश्मीर	जेकेडब्ल्यूडीसी	जम्मू	20/11/2016 से 29/11/2016	80	25.16
2	जम्मू एवं कश्मीर	जेकेडब्ल्यूडीसी	चंडीगढ़	05/01/2017 से 14/01/2017	80	41.45
3	केरल	केएसबीसीडीसी	पल्लकड़	26/12/2016 से 02/01/2017	46	78.00
2017-18						
1	जम्मू एवं कश्मीर	जेकेडब्ल्यूडीसी-एक	चंडीगढ़	19/11/2017 से 08/12/2017	71	30.50
2	जम्मू एवं कश्मीर	जेकेडब्ल्यूडीसी-दो	जम्मू	10/01/2018 से 19/01/2018	73	29.85
3	नागालैंड	एनएसएसडब्ल्यूबी	कोहिमा	01/12/2017 से 10/12/2017	40	38.58
4	केरल	केएसबीसीडीसी	एलेप्पी	26/12/2017 से 02/01/2018	80	152.00
2018-19						
1	गुजरात	जीएमएफडीसी	गांधीनगर	14/02/2019 से 28/02/2019	40	10.88
2	जम्मू एवं कश्मीर	जेकेएससीएसटी	जम्मू	22/12/2018 से 30/12/2018	39	34.42
3	जम्मू एवं कश्मीर	जेकेडब्ल्यूडीसी	चंडीगढ़	15/01/2019 से 24/01/2019	73	46.34
4	नागालैंड	एनएसएसडब्ल्यूबी	कोहिमा	01/12/2018 से 10/12/2018	40	62.19
5	जम्मू एवं कश्मीर	जेकेडब्ल्यूडीसी	जम्मू	18/11/2018 से 27/11/2018	67	42.32
2019-20						
1	गुजरात	जीएमएफडीसी	गांधीनगर	06/03/2020 से 20/03/2020	80	19.94
2	जम्मू एवं कश्मीर	जेकेडब्ल्यूडीसी	चंडीगढ़	26/12/2019 से 02/01/2020	79	38.61
3	केरल	केएसबीसीडीसी	पलक्कड़	24/02/2020 से 02/03/2020	80	200.00
2020-21						
1	गुजरात	जीएमएफडीसी	गांधीनगर	08/02/2021 से 22/02/2021	80	25.03

2	राजस्थान	आरएमएफडीसी	अर्बनहाट जयपुर	28/02/2022 से 14/03/2022	80	3.86

4.6 विपणन सहायता योजना के ठीक नहीं होने के कारणों और इस संबंध में उठाए जा रहे कदमों के बारे में पूछे जाने पर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने बताया कि:-

> "एनएमडीएफसी की विपणन सहायता योजना व्यक्तिगत शिल्पकारों, एनएमडीएफसी के लाभार्थियों के साथ-साथ स्वयम सहायता समूहों के लिए है और इस योजना को एससीए के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। एनएमडीएफसी द्वारा प्रदर्शनियों के आयोजन के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है। मंत्रालय द्वारा देश के विभिन्न भागों में एक मेगा इवेंट के रूप में हुनरहाट के आयोजन के परिणामस्वरूप, कारीगर सीधे हुनरहाट में भाग लेते हैं और एससीए को हुनरहाट में भागीदारी के लिए अपने लाभार्थियों को प्रायोजित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है।"

4.7 एनएमडीएफसी देश में राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से प्रोत्साहनात्मक योजनाएं यथा महिला समृद्धि योजना और बाजार सहायता योजना चला रही है। महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत किसी उपयुक्त महिला अनुकूल क्राफ्ट क्रियाकलाप में लगभग 20 महिलाओं के समूह को प्रशिक्षण दिया जाता है जबकि बाजार सहायता योजना में एनएमडीएफसी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को चुनिंदा स्थानों में राज्य/जिला स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन करने में सहायता देती है। समिति यह देखकर आश्चर्यचकित है कि पिछले 5 वर्षों के दौरान महाराष्ट्र, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तराखंड, जम्मू व कश्मीर और उत्तर प्रदेश से केवल 1214 महिलाएं योजना से लाभान्वित हुई। समिति आयोजित प्रदर्शनियों की बारंबारता से भी आश्चर्यचकित है क्योंकि बाजार सहायता योजना के अंतर्गत 2016-17 से 2020-21 की 6 वर्ष की अवधि में जम्मू व कश्मीर, केरल, गुजरात, नागालैंड और राजस्थान में केवल 17 प्रदर्शनी आयोजित की गई। समिति इन योजनाओं की धीमी प्रगति के कारण और योजनाओं के खराब निष्पादन के लिए जिम्मेदार खामियों को दूर करने के लिए एनएमडीएफसी की परिकल्पित कार्य के बारे में अवगत होना चाहती है। समिति

महसूस करती है कि केवल राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को इन योजनाओं के खराब क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए क्योंकि मंत्रालय से आशा की जाती है कि वह अपनी योजनाओं को सफल बनाने के लिए ठोस और लगातार प्रयास करेगी। चूंकि योजनाओं के समग्र निष्पादन की जिम्मेदारी मंत्रालय और एनएमडीएफसी की है इसलिए समिति चाहती है कि वे कार्रवाई करें ताकि अल्पसंख्यक महिलाओं को पर्याप्त प्रशिक्षण देने के बाद सूक्ष्म ऋण सहायता और अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को विपणन संबंधी सहायता देने का उच्च उद्देश्य असफल न हो।

अध्याय - पांच

राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियां (एससीए)

5.1 एनएमडीएफसी की योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियाँ (एससीए) मुख्य माध्यम हैं। संबद्ध राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों द्वारा राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को मनोनीत किया जाता है। संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों द्वारा जारी की गई शासकीय गारंटी के आधार पर राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को निधियाँ जारी की जाती हैं। वर्तमान में, 27राज्यों एवं 8 संघ राज्य क्षेत्रों में एनएमडीएफसी की 45 राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियाँ हैं। एनएमडीएफसी स्कीमों को कार्यान्वित करने वाले अधिकांश एससीए कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत निगम हैं। एससीए की भूमिका एनएमडीएफसी की वित्तपोषण योजनाओं को कार्यान्वित करना है जिसमें ऋण की स्वीकृति और संवितरण, रिकार्ड कीपिंग, लाभार्थियों से ऋण की वसूली और एनएमडीएफसी को पुनर्भुगतान करना शामिल है। एससीए के माध्यम से महिला समृद्धि, विपणन सहायता योजना और कौशल से कुशलता योजना नामक संवर्धनात्मक स्कीमें भी कार्यान्वित की जाती हैं।

5.2 मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्तमान में 39 एससीए संचालित हो रहे हैं जबकि 06 एससीए मुख्य रूप से लंबित सामान्य ऋण करार और संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा सरकारी गारंटी प्रस्तुत करने जैसे कारणों से प्रचालन में नहीं हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यरत एससीए का विवरण प्रकार है:-

क्र.सं.	राज्य	एससीए
1	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एपीएसएमएफसी)
2	असम	असम अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एएमडीएफसी)
3	बिहार	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम (बीएसएमएफसी)
4	चंडीगढ़	चंडीगढ़ अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम (सीएससीबीसीएम एफडीसी)
5	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यवासी सहकारी वित्त एवं विकास निगम (सीजीएसएएसवीएन)
6	दिल्ली	दिल्ली अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अपिव अल्पसंख्यक एवं दिव्यांगजन वित्त एवं वि कास निगम

		(डीएसएफडीसी)
7	गुजरात	गुजरात अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम (जीएमएफडीसीसी)
8	हरियाणा	मेवात विकास एजेंसी (एमडीए)
9	हरियाणा	एचबीसीकेएन (हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम प्रा. लि.)
10	हिमाचल प्रदेश	एचपी अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम (एचपीएमएफडीसी)
11	झारखंड	झारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम (जेएसएमडीएफसी)
12	जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू एवं कश्मीर महिला विकास निगम (JKडब्ल्यूडीसी)
13	जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू एवं कश्मीर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अपिव विकास निगम (जेकेएससीएसटी बीसीडीसी) जम्मू एवं कश्मीर उद्यमशीलता विकास संस्था (जेकेईडीआई)
14	जम्मू एवं कश्मीर	
15	जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख वित्त निगम (जेकेएलएफसी)
16	केरल	केरल राज्य पिछड़ा वर्गविकास निगम (केएसबीसीडीसी)
17	केरल	केरल राज्य महिला विकास निगम (केएसडब्ल्यूडीसी)
18	केरल	केरल राज्य के मत्स्य पालन के विकास के लिए सहकारी विकास परिसंघ (एमएटीएसवाईएएफईडी)
19	केरल	केरल राज्य अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (केएसएमडीएफसी) कर्नाटक अल्पसंख्यक विकास निगम (केडीएमसी) मौलाना आजाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास निगम (एमएएवीएम)
20	कर्नाटक	
21	महाराष्ट्र	
22	मिजोरम	मिजोरम सहकारी एपेक्स बैंक (एमसीएएबी)
23	मिजोरम	मिजोरम औद्योगिक विकास निगम (जेडआईडीसीओ)
24	मध्य प्रदेश	एम.पी.पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम
25	मणिपुर	मणिपुर अल्पसंख्यक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक विकास सोसाइटी
26	नगालैंड	नगालैंड औद्योगिक विकास निगम (एनआईडीसी)
27	नगालैंड	नगालैंड हैंडलूम एंड हैंडिक्राफ्ट्स विकास निगम (एनएचएचडीसी)
28	नगालैंड	नगालैंड राज्य समाज कल्याण बोर्ड (एनएसएसडब्ल्यूबी)
29	ओडिशा	ओडिशा पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास सहकारी निगम (ओबीसीएफडीसी)
30	पंजाब	पंजाब राज्य पिछड़ा वर्ग भूमि विकास एवं वित्त निगम (बीएसीकेएफआईएनसीओ)
31	पुदुच्चेरि	पुदुच्चेरि पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास निगम
32	राजस्थान	राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम (आरएमएफडीसीसी)
33	तमिलनाडु	तमिलनाडु अल्पसंख्यक आर्थिक विकास निगम (टीएएमसीओ)
34	त्रिपुरा	त्रिपुरा अल्पसंख्यक सहकारी विकास निगम (टीएमसीडीसीएल)
35	उत्तर प्रदेश	यूपीएमएफडीसी
36	उत्तराखंड	उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम
37	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम
38	गोवा	गोवा राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम
39	सिक्किम	सिक्किम अजा, अजजा, ओबीसी विकास निगम लिमिटेड.

5.3 साक्ष्य के दौरान समिति द्वारा पूछे जाने पर एससीए के चयन के बारे में सीएमडी, एनएमडीएफसी द्वारा समिति को सूचित किया गया कि:-

"स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसीज स्टेट गवनर्मेंट की होती हैं और उनका चयन आदि सब काम स्टेट गवनर्मेंट ही करती हैऔर चयन करनेकेबाद हमेंबता देतेहैं कि यहहमारी चैनलाइजिंग एजेंसी है।"

5.4 सभी एससीए के संचालन को शुरू करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने जानकारी दी कि:-

"वर्तमान में, एनएमडीएफसी के पास 45 एससीए हैं जिनमें से 39 एससीए संचालित हो रही हैं और 6 एससीए चालू नहीं हैं। सिक्किम एससी एसटी कॉर्पोरेशन वर्ष 2020-21 में चालू हो गया है और एनएमडीएफसी द्वारा लगातार उसका फॉलो अप किया जा रहा है। एनएमडीएफसी सामान्य ऋण करार पर हस्ताक्षर करने और एनएमडीएफसी स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए सरकारी गारंटी प्रदान करने के लिए गैर-प्रचालनात्मक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के एससीए/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के साथ नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई करता है।"

5.5 इस संबंध में आगे यह जानकारी दी गई कि:-

"जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख वित्त निगम को लद्दाख में एनएमडीएफसी की योजनाओं को लागू करने के लिए नामित किया गया है।इसके अलावा, तेलंगाना सरकार को तेलंगाना में एनएमडीएफसी की योजनाओं को लागू करने के लिए एक एजेंसी का नामांकन करने के लिए अतीत में कई बार संपर्क किया गया है। मुख्य सचिव, तेलंगाना सरकार को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सचिव स्तर पर कई पत्र लिखे गए हैं। सीएमडी, एनएमडीएफसी ने प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, तेलंगाना सरकार को एनएमडीएफसी की योजनाओं को लागू करने के लिए एससीए के नामित करने के लिए पत्र लिखा है। एनएमडीएफसी की योजनाओं को लागू करने के लिए एससीए के नामांकन

के लिए हैदराबाद में आयोजित एससीए के वार्षिक सम्मेलन के दौरान माननीय केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री के समक्ष इस मामले को उठाया था। तेलंगाना सरकार ने अपने पत्र दिनांक 08.07.2021 द्वारा सूचित किया कि वे एनएमडीएफसी की एससीए के रूप में किसी एजेंसी को नामित करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि राज्य में यह अपनी योजनाओं को लागू करता है।"

5.6 साक्ष्य के दौरान, एनएमडीएफसी के प्रतिनिधि ने समिति को आगे बताया कि:-

"जहां वे किसी भी कारणवश फंक्शन नहीं करती हैं, वहां हम स्टेट गवनर्मेंट को लिखते हैं कि आपके एससीए फंक्शन नहीं कर रहे हैं, आप इसे फंक्शनल करा लीजिये।"

5.7 सीएमडी, एनएमडीएफसी ने विचार-विमर्श के दौरान समिति को यह भी सूचित किया कि:-

"जहां पर केनरा बैंक के साथ एम .ओ .यू .साइन हुआ है और केनरा बैंक इन 17 राज्यों में लोन दे रही है। हमने इन 17 राज्यों को इसिलए चूज किया है कि इन 16 राज्यों में जो हमारी स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसीज हैं, वे पूरी तरह से काम नहीं कर पा रही हैं और वहां लोगों को लोन नहीं मिल पा रहा है, इसिलए हमने केनरा बैंक से टाइ-अप करके इन 17 राज्यों में व्यवस्था की है।"

5.8 मंत्रालय ने सूचित किया कि एनएमडीएफसी उन बैंकों के साथ करार करने का प्रयास कर रहा है जहां कोई संचालन रहित एससीए है। एनएमडीएफसी योजनाओं के तहत ऋणों की मंजूरी के लिए बैंकों द्वारा अपनाए गए तंत्र और इस संबंध में प्रगति के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने कहा कि:

"बैंकों द्वारा एनएमडीएफसी की योजनाओं को लागू करने में एससीए द्वारा अपनाए जा रहे तंत्र को ही अपनाया जाएगा। आय पात्रता मानदंड को पूरा करने वाले लक्ष्य समूह के व्यक्ति से बैंक शाखा द्वारा प्राप्त ऋण आवेदनों को एनएमडीएफसी की ऋण नीति के अनुसार ऋण स्वीकृत किया जाएगा। बैंक, एनएमडीएफसी से अग्रिम

राशि प्राप्त करेंगे और उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करेंगे। बैंक लाभार्थी से ऋण की वसूली भी करेंगे और एनएमडीएफसी को पुनर्भुगतान करेंगे। केनरा बैंक के साथ अगस्त 2021 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं और इसने 16 राज्योंकेंद्र/ शासित प्रदेशों में602 लाभार्थियों के वित्तपोषण के लिए 10.00 का आहरणउपयोग/ किया है। हाल ही में केनरा बैंक ने 5.00 करोड़ रूऔर लिए हैं . और उसी का उपयोग भी किया जाता है। इस प्रकार केनरा बैंक ने सावधि ऋण, सूक्ष्म ऋण और विरासत योजनाओं के तहत 1028 लाभार्थियों को ऋण प्रदान करने के लिए 2021-22 के दौरान ₹ 15.00 करोड़ का उपयोग किया है।

"

5.9 एससीए और बैंकों द्वारा लाभार्थियों को ऋण के वितरण में लगने वाले समय के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय द्वारा समिति को सूचित किया गया कि:-

> "बैंक आमतौर पर ऋण की मात्रा के आधार पर ऋण आवेदन को मंजूरी देने में 15-20 दिन का समय लेते हैं जबकि एनएमडीएफसी के एससीए को ऋण स्वीकृत करने में 30-35 दिन लगते हैं। एनएमडीएफसी के अन्य सहयोगी निगमों ने ऋण की स्वीकृति और संवितरण के लिए 120 दिन तक का समय निर्धारित किया है। बेहतर शाखा नेटवर्क और स्वचालन वाले बैंक लाभार्थियों को ऋण स्वीकृत करने के लिए समयावधि को कम करने में मदद करते हैं।"

5.10 ऋण के संवितरण में समयावधि को कम करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत की:-

> "ऋण की स्वीकृति और संवितरण के लिए समय को कम करने के लिए एससीए द्वारा उठाए गए कदमों में कुछ एससीए द्वारा ईमेल और व्हाट्स-अप, आदि के माध्यम से डिजिटल रूप से ऋण आवेदन और दस्तावेजों की मांग; आवेदन के साथ प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों का सरलीकरण; ऋण स्वीकृति और संवितरण प्रक्रिया, ऋण लेखांकन का स्वचालन; शाखा कार्यालय/जिला स्तरीय कार्यालय को ऋण स्वीकृत करने के लिए प्राधिकरण का विकेन्द्रीकरण; ऋण प्रलेखन के लिए ऋण समझौते, गारंटी, डिमांड प्रो नोट, आदि के पूर्व मुद्रित प्रारूप; लाभार्थी के आधार/केवाईसी सीडेड खाते में ऋण राशि का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण शामिल हैं।"

5.11 ऋण आवेदनों की धीमी प्रक्रिया /ऋण राशि के वितरण में देरी के कारणों के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने बताया कि:-

"एससीए के पास फील्ड स्तर के बुनियादी ढांचे और कर्मचारियों की कमी ऋण आवेदन की प्रक्रिया और ऋण के संवितरण में देरी का प्रमुख कारण है। ऋण की स्वीकृति और संवितरण की धीमी प्रक्रिया के लिए ऋण में स्वचालन की कमी भी एक मुद्दा है।

मंत्रालय, एनएमडीएफसी के माध्यम से संबंधित एससीए के ऋण संवितरण और वसूली बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सहायता अनुदान (जीआईए) योजना के तहत अनुदान प्रदान कर रहा है। जीआईए योजना के तहत ऋण अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण के लिए एससीए को अनुदान भी प्रदान किया जाता है। एससीए को यह सलाह भी दी गई है कि आवेदनों के साथ जमा कराए जाने वाले दस्तावेजों को सरल बनाया जाए; ऋण स्वीकृति और संवितरण प्रक्रिया एवं ऋण लेखांकन का आटोमेशन शाखा कार्यालय/जिला स्तर के कार्यालय को ऋण स्वीकृत करने के अधिकार का विकेंद्रीकरण; ऋण दस्तावेज के लिए ऋण समझौते, गारंटी, डिमांड प्रो. नोट, आदि के छपे हुए प्रारूप; लाभार्थी के आधार केवाईसी से जुड़े खाते में ऋण राशि का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण आदि को शामिल किया जाए।"

5.12 यह पूछे जाने पर कि क्या ऋणों के वितरण में विलंब के लिए कोई शिकायत प्राप्त हुई है, मंत्रालय द्वारा समिति को सूचित किया गया था कि:-

"हाल के समय में एनएमडीएफसी के संज्ञान में ऐसा कोई संदर्भ नहीं आया है।"

5.13 ऋण की औपचारिकताओं को सरल बनाने के लिए किए गए उपायों के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत की:

"हाल ही में, एनएमडीएफसी के संज्ञान में ऐसा कोई संदर्भ नहीं आया है। एनएमडीएफसी योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए, एससीए को जमीनी हकीकत और मांग के आधार पर ऋण स्वीकृत और संवितरित करने के

लिए अपेक्षित स्वतंत्रता और लचीलेपन के साथ शक्तियाँ दी गई हैं। एनएमडीएफसी के ऋण कार्यक्रम के तहत न्यूनतम सरकार की अवधारणा को आगे बढ़ाने और अधिकतम शासन के लिए ऋण प्रक्रिया का सरलीकरण, धर्म, पारिवारिक आय, शिक्षा ऋण के संबंध में पिछले वर्षों की मार्कशीट, किसी भी अन्य शपथ पत्र आदि के संबंध में आवेदक द्वारा दस्तावेजों का स्व घोषणा/स्व प्रमाणन/स्व-सत्यापन का प्रावधान किया गया है। एससीए को यह भी सलाह दी गई है कि वे ऋण स्वीकृति के चरणों में कटौती करे और स्वीकृत किए जाने वाले ऋण की राशि के आधार पर विभिन्न पदानुक्रम में अधिकारियों को अधिकार सौंपें।"

5.14 यह पूछे जाने पर कि क्या राज्यों में सभी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियां फंसे हुए ऋणों की स्थिति के साथ-साथ लाभार्थियों को संवितरित निधियों की वसूली करने में सक्षम हैं, मंत्रालय द्वारा समिति को सूचित किया गया कि:-

"नहीं, राज्यों में सभी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियां लाभार्थियों को संवितरित निधियों का 100% वसूल नहीं कर पाई हैं। 31/03/2022 की स्थिति के अनुसार, 223.85 रुपये की राशि अतिदेय है जो राज्य सरकार की गारंटी द्वारा सुरक्षित है और एनएमडीएफसी की लेखा नीति के अनुसार, खराब और संदिग्ध ऋण के लिए 18.16 करोड़ रुपये (31/03/2022 की स्थिति के अनुसार) का प्रावधान किया गया है। एनएमडीएफसी अपनी ओर से नियमित रूप से उन एससीए से संपर्क कर रहा है जिन्होंने चूक की है, ताकि राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विधिवत समर्थित अपनी वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना के तहत अपने अतिदेय को निपटाने या अतिदेय के पुन: निर्धारण के तहत उनके अतिदेय का निपटान किया जा सके।"

5.15 ऋण प्राप्त करने के लिए अपनाए गए अवैध तरीकों को रोकने के लिए अपनाए गए तंत्र के बारे में पूछे जाने पर, समिति को अन्य बातों के साथ-साथ मंत्रालय ने जानकारी दी कि:-

"एनएमडीएफसी की योजनाओं के बारे में जानकारी का प्रचार-प्रसार करने के लिए एससीए को अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों और पिछड़े क्षेत्रों में जागरूकता

शिविर आयोजित करने की सलाह दी गई है। वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ही एनएमडीएफसी प्रत्येक एससीए को 10 जागरूकता शिविर आवंटित करती है। ऐसे शिविरों के आयोजन के लिए एनएमडीएफसी द्वारा अनुदान प्रदान किया जाता है। इन शिविरों में संभावित लाभार्थियों को आवेदन पत्र और योजनाओं के ब्रोशर भी प्रदान किए जाते हैं और उन्होंने आवेदन पत्र भरने में मदद की जाती है। इन शिविरों में भरे गए आवेदन पत्र एकत्र किए जाते हैं और शिविर में ही शुरूआती जांच के बाद आवेदकों को शॉर्टलिस्टिंग के अगले चरण के लिए समय और जगह के बारे में बता दिया जाता है। एससीए को निर्देश दिया गया है कि सभी ऋण इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण)डीबीटी (के माध्यम से वितरित किए जाने चाहिए। एनएमडीएफसी एक लोन ओरीजिनेशन सोल्यूशन बनाने की प्रक्रिया में है, जिसमें लाभार्थी ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और आवेदन को ट्रैक करने में सक्षम होंगे। एनएमडीएफसी अपनी क्रेडिट योजनाओं को नए लॉन्च किए गए पोर्टल जनसमर्थ पोर्टल यानी https://www.jansamarth.in पर भी जोड़ रहा है। जनसमर्थ पोर्टल एक अनूठा डिजिटल पोर्टल है जो सरकारी ऋण योजनाओं को सभी लाभार्थियों और हितधारकों तक आसानी से पहुंचाने के लिए एक मंच का कार्य करता है।"

5.16 ऋणों का पुनर्भुगतान न करने के लिए दंड प्रावधान के साथ-साथ वसूली तंत्र के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने सूचित किया कि:-

"ज्यादातर एससीए के पास अलग वसूली सेल है जो लाभार्थियों से वसूली की निगरानी के लिए सभी प्रकार के वसूली रिकॉर्ड रखता है। यदि लाभार्थी पहली बार चूक करता है, तो उसे बकाया राशि को जमा करने के लिए पत्र भेजा जाता है और यदि लाभार्थी नहीं मानता है, तो वसूली प्रकोष्ठ द्वारा नोटिस भी भेजा जाता है। यदि चूककर्ता लाभार्थी अभी भी जवाब नहीं देता है, तो चूक के कारणों का पता लगाने और लाभार्थी को जल्द से जल्द चूक को दूर करने के लिए राजी करने के लिए फोन या व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करके क्षेत्र स्तर के अधिकारी/वसूली सेल के अधिकारी द्वारा उनसे संपर्क किया जाता है। लाभार्थी द्वारा सामना की जाने वाली वास्तविक कठिनाई के मामले में, ऋण को पुनर्निर्धारित भी किया जाता है। अधिकतर, चूककर्ता लाभार्थी एससीए के

अधिकारियों के जाने से अपनी किस्त का भुगतान कर देते हैं। यदि लाभार्थी लगातार चूक करता रहता है, तो बकाया राशि के निपटान के लिए गारंटर से संपर्क किया जाता है। अंतिम उपाय के रूप में, ऋण संवितरण के समय प्राप्त उत्तर दिनांकित चेक बैंक को भेजा जाता है और यदि चेक डिसआनर होता है, तो एन. आई. अधिनियम के तहत कानूनी कार्यवाही शुरू की जाती है। राज्य सरकार के अनुमोदन से एससीए पुराने बकायादारों को ओटीएस भी प्रदान करता है जिसमें मूल और ब्याज राशि वापस करने पर चक्रवृद्धि ब्याज माफ कर दिया जाता है। हालांकि, ओटीएस केवल सीमित अवधि के लिए ही उपलब्ध है।"

5.17 ऋण की समय पर वसूली सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने जानकारी दी कि:-

"एससीए को लाभार्थियों से वसूली की अद्यतन स्थिति के साथ कम्प्यूटरीकृत ऋण रिकॉर्ड बनाए रखने की सलाह दी गई है। कुछ एससीए लाभार्थियों द्वारा ऋण की निगरानी और पुनर्भुगतान के लिए ईआरपी और अन्य सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। एससीए लाभार्थियों को देय तिथि पर ऋण की चुकौती करने के लिए एसएमएस तथा फोन भी करते हैं। कुछ एससीए लाभार्थी के बैंक खाते से सीधे वसूली के लिए ईसीएस भी अपनाते हैं। एक एससीए ने लाभार्थी के बैंक खाते से सीधे किस्त के रूप में ऋण वसूली के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के माध्यम से नेशनल आटोमेटिड क्लीयरिंग हाऊस (एनएसीएच) की शुरुआत की है । वसूली सेल द्वारा वसूली आंकड़े की बारीकी से निगरानी की जाती है और किस्त में एक बार की भी चूक होने पर इसके लिए लाभार्थी से समय पर किस्त जमा करने के लिए व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया जाता है।"

5.18 इस संबंध में, पाठ्यक्रम या विचार-विमर्श के दौरान एनएमडीएफसी के प्रतिनिधि ने जानकारी दी कि:

"छह राज्यों की चैनलाइजिंग एजेंसियों में लाभार्थियों से वसूली की दर 90 प्रतिशत से अधिक है और 11 एजेंसियां हैं, जिनकी वसूली दर 70 से

90 प्रतिशत से अधिक है। यह तालिका है। अत:, यह वे एजेंसियां हैं जिन्हें लाभार्थियों से बहुत अच्छी वसूली प्राप्त हुई है। लेकिन दुर्भाग्यवश, हमारा जो बकाया पैसा है, ओवरड्यूज हैं, अगर वे हमें समय पर वापस नहीं करगें तो हम उनको आगे पैसे कैसे दे सकते हैं। उनको तो पैसा देना पड़ेगा। हमने उन को वन टाइम सैटलमेंट का अवसर भी दिया हुआ है। हमने उनको कहा है कि अगर आप पूरा पैसा हमें वापस नहीं कर सकते हैं, तो जो भी पीनल इंट्रेस्ट है, उसको माफ करके केवल कि प्रिंसिपल ही वापस कर दीजिए। अगर एकमश्तु नहीं दे सकते हैं तो आप हमें इंस्टॉलमेंट में दे दीजिए।"

5.19 एससीए के सामने आने वाली वित्तीय समस्याओं और इस मुद्दे को हल करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने कहा कि:-

"असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा)25 में से एक (ए) (, नागालैंड, मिजोरम, पंजाब, पुडुचेरी, त्रिपुरा, एवं उत्तर प्रदेश राज्योंसंघ राज्य क्षेत्रों की एससीए द्वारा वर्तमान में / एनएमडीएफसी को भुगतान करने में चूक कर रहे हैं। संलग्नक4 में इसका ब्यौरा उपलब्ध है। संबंधित राज्य सरकारेंसंघ राज्य क्षेत्र प्रशासन इन एससीए द्वारा लिए / गए ऋण के लिए गारंटर होते हैं। एनएमडीएफसी ने एकमुश्त निपटान ओट)ीएस (/योजना के तहत संबंधित एससीएराज्य सरकारसंघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को बकाया / राशि को वापस करने के लिए राहत की पेशकश की है। इन एससीए ने एनएमडीएफसी द्वारा प्रस्तावित ओटीएस योजन के तहत बकाया राशि के नि्पटान की वित्तीय सहायता के लिए अपने राज्य सरकारसंघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से संपर्क / कियाहै। पूर्व में हरियाणा गुजरात (एचबीसीकेएन), जम्मूकश्मीर-, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, ओडिशा, पंजाब (आंशिक रूप से बकाया को वापस कर दिया है), उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों एनएमडीएफसी (बकाया को वापस कर दिया है आंशिक रूप से) की योजनाओं के कार्यान्वयन को फिर से शुरू करने के लिए बकाया राशिका निपटान करने के लिए सॉफ्ट लोन/अनुदान प्रदान करके अपने राज्यों से संबंधित एससीए की मदद की है।"

5.20 इस संबंध में, मंत्रालय ने आगे जानकारीद दी कि:

"एनएमडीएफसी की वन टाइम सेटलमेंट योजन, एससीए के लिए पहले से ही उपलब्ध है और लाभार्थियों से बकाया राशि की वसूली हेतु एससीए भी राज्य सरकार के अनुमोदन से ओटीएस योजना की पेशकश कर रहे हैं। यह योजना समय समय पर पेश की जाती है। सॉफ्टवेयर के विकास के लिए एनआईसीएसआई के साथ परामर्श जारी है। अधिकांश एससीए ने हेल्प डेस्क की स्थापना की है और लाभार्थी हेल्प डेस्क से अपनी रिकवरी स्थिति के बारे में जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, ज्यादातर एससीए तय तिथि पर ऋण की चुकौती के लिए एवं ऋण के बकायादारों के बारे में जानकारी लेने के लिए लाभार्थियों से टेलीफोन के साथ-साथ उनसे निजी तौर पर संपर्क में रहते हैं।"

5.21 एससीए के देय बकाये के बारे में पूछे जाने पर, समिति को सूचित किया गया कि:-

"एससीए की चूक का प्रमुख कारण लाभार्थियों से खराब वसूली और राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन से एससीए को मिलने वाली वित्तीय सहायता में कमी है। चूककर्ता एससीए को वन टाइम सेटलमेंट (ओ टी एस) की योजना की पेशकश की जा रही है और जहाँ बकाया मूल और ब्याज राशि को एक किस्त में चुकाया जाता है वहाँ एनएमडीएफसी द्वारा पूरे चक्रवृद्धि ब्याज को माफ कर दिया जाता है। ऐसे प्रस्ताव का पत्र राज्य सरकार को भी भेजा जाता है, क्योंकि यह एससीए द्वारा ली गई राशि के लिए गारंटर होता है। राज्य सरकार/एससीए को भी देय राशियों को जल्द से जल्द वापस करने के लिए कहा जाता है। बकाया राशि के चुकाए जाने तक चूककर्ता एससीए को आगे संवितरण नहीं किया जाता है।"

5.22 उन एससीए, जिनके खिलाफ देय राशि बकाया है, की वर्तमान स्थिति के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किए:

			राशि करोड़ ₹. में
क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**एससीए**	**चूक की गई राशि**
1	पंजाब	बीएसीकेएफआईएनसीओ	42.34

2	नगालैंड	एनआईडीसी	39.91
		एनएचएचडीसी	10.54
		एनएसएसडब्ल्यूबी	6.24
3	उत्तर प्रदेश	यूपीएमएफडीसी	30.09
4	बिहार	बीएसएमएफसी	26.99
5	मिजोरम	जेडआईडीसीओ	18.87
6	असम	एएमडीएफसी	14.35
7	पुदुच्चेरि	पीबीसीएमडीसी	10.49
8	राजस्थान	आरएमएफडीसीसी	7.51
9	त्रिपुरा	टीएमसीडीसी	5.41
10	गुजरात	जीएमएफडीसी	4.02
11	छत्तीसगढ़	सीएसएचएसीएफडीसी	3.87
12	हरियाणा	एमडीए	1.32

5.23 एससीए से वसूली के लिए उठाए गए कदमों के संबंध में, समिति को अन्य बातों के साथ-साथ सूचित किया गया कि:-

"इसके अलावा वसूली को बढ़ावा देने के लिए, सभी एससीए को एक रिकवरी सेल बनाने और लाभार्थियों की वसूली की स्थिति की वास्तविक समय में निगरानी के लिए कंप्यूटर पर ऋण संवितरण और वसूली आंकड़े बनाए रखने की सलाह दी गई है। कई एससीए द्वारा लाभार्थी को नियत तारीख पर एसएमएस या मैसेज भेजने की प्रणाली भी शुरू की गई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, एक किस्त में भी चूक होने पर वसूली सेल लाभार्थी के साथ लगातार संपर्क करके बकाया राशि की वसूली करता है। मंत्रालय अपनी ओर से लाभार्थी के साथ नियमित रूप से फोलोअप करने के लिए अनुबंध के आधार पर रिकवरी फील्ड स्टाफ की तैनाती के लिए अपनी अनुदान सहायता योजना (जीआईए) के तहत अनुदान प्रदान कर रहा है।

एनएमडीएफसी, संबंधित एससीए की चूक की निगरानी करता है। एससीए द्वारा ऋण चुकाने में की जाने वाली लगातार 3 तिमाहियों की चूक को एनपीए माना जाता है। चूक होने के मामले में एससीए के साथ नियमित रूप से अतिदेय राशि को वापस करने के लिए फोलोअप किया जाता है। राज्य

सरकार को भी एससीए के चूक करने के बारे में सूचित किया जाता है क्योंकि एनएमडीएफसी से एससीए द्वारा लिए गए ऋण के लिए राज्य सरकार एससीए की गारंटर होती है। संबंधित राज्य में गरीब व्यक्तियों के लिए एनएमडीएफसी द्वारा योजनाओं के कार्यान्वयन में निरंतरता के लिए राज्य सरकार / एससीए के अनुरोध पर अतिदेय राशि का पुनर्निर्धारण भी किया जाता है। लंबे समय से चूक करने वाले एससीए/राज्य सरकार को वन टाइम सेटलमेंट योजना (ओटीएस) की भी पेशकश की जाती है। अगर एससीए बकाया मूल एवं ब्याज राशि को एक ही किस्त में जमा कर देती है तो एनएमडीएफसी द्वारा पूरे चक्रवृद्धि ब्याज को माफ कर दिया जाता है।"

5.24 साक्ष्य के दौरान केवल एससीए के माध्यम से ऋण के वितरण के कारणों के बारे में पूछे जाने पर, समिति को सीएमडी, एनएमडीएफसी द्वारा सूचित किया गया कि:-

"यह सरकार की नीति का विषय है। जब से यह कॉर्पोरेशन बना है, तब से ही इन्होंने इस सिस्टम को लगाया है कि हम एससीएज के थ्रू ही देंगे, डायरेक्टली नहीं देंगे। सरकार ने यह तय कर लिया है कि इसे कैसे किया जाए। एनएमडीएफसी के पास कोई रीजनल ऑफिस नहीं है। सिर्फ दिल्ली में हमारा एक ऑफिस है। हमारा स्टेट लेवल पर कोई रीजनल ऑफिस नहीं है।"

5.25 नॉन परफार्मिंग एसेट्स (एनपीए) के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय द्वारा समिति को सूचित किया गया था कि 18.16 करोड़ रुपये की राशि एनपीए है। विवरण निम्नानुसार हैं:-

एससीए की एनपीए स्थिति 31.03.2020 तक (लेखा परीक्षित)

क्र. सं.	ब्यौरे	एससीए	एनपीए (करोड़ रुपए में)
1	असम	एएमडीएफसी	4.36
2	मिजोरम	जेडआईडीसीओ	4.56
3	पुदुच्चेरि	पीबीसीएमडीएफसी	0.54
4	एन.जी.ओ.	----	3.57
5	जनरल प्रोविजन	----	5.04

5.26 यह पूछे जाने पर कि क्या एनएमडीएफसी/एससीए में कर्मचारियों की संख्या एनएमडीएफसी की विभिन्न ऋण योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त है, मंत्रालय द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ समिति को सूचित किया गया कि:-

> "एनएमडीएफसी में कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त है। तथापि, अधिकांश एससीए में कर्मचारियों की संख्या अपर्याप्त है। एनएमडीएफसी ने हिमाचल प्रदेश, हरियाणा (मेवात), उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, नगालैंड (एनएसएसडब्ल्यूबी), पंजाब, राजस्थान राज्य में संबंधित एससीए के साथ इस मामले को उठाया है और एनएमडीएफसी स्कीमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रासंगिक अर्हता और अनुभव के साथ पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की तैनाती के लिए मामला उठाया है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय अपनी ओर से क्षेत्र स्तर पर वसूली प्रबंधन के लिए संविदा के आधार पर कर्मचारियों की तैनाती के लिए एससीए को एनएमडीएफसी के माध्यम से सहायता अनुदान योजना के अंतर्गत अनुदान प्रदान कर रहा है।"

5.27 एससीए के कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में प्रभाव अध्ययन में एपीआईटीसीओ लिमिटेड द्वारा की गई सिफारिश पर मंत्रालय/एनएमडीएफसी द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में पूछे जाने पर समिति को सूचित किया गया कि:

> "एनएमडीएफसी द्वारा एससीए के कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं:-
>
> (क) एनएमडीएफसी द्वारा दिनांक 27.09.2016 को एससीए की सर्वोत्तम प्रथाओं (बेस्ट प्रैक्टिसेस) को साझा " करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें जम्मू-कश्मीर की एससीए ने उद्यमिता प्रशिक्षण पर, बंगाल की एससीए ने जागरूकता शिविरों के आयोजन पर केरल की एससीए ने लाभार्थी पहचान और ऋण वसूली तथा एनएमडीएफसी के कार्यक्रम के तहत वित्तपोषित लाभार्थियों के बीमा पर अपने अनुभव साझा किए थे।
>
> (ख) दिनांक- 28.9.2016 को ऋण लेखांकन और शेष राशि की पुष्टि पर एससीए के स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया।

(ग) 08.7.2017 को वार्षिक सम्मेलन के दौरान "आपका दृष्टिकोण आपकी ऊंचाई तय करेगा" पर प्रेरक व्याख्यान आयोजित किया गया।

(घ) एनएमडीएफसी की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एमएसएमई और मुद्रा ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट और एससीए के साथ संभावित जुड़ाव पर 08.7.2017 को प्रस्तुतिकरण आयोजित किया गया था।

(ड.) एनएमडीएफसी की योजना के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत क्रेडिट लिंकेज पर प्रस्तुतिकरण दिनांक 08.7.2017 को आयोजित किया गया था।

(च) दिनांक- 17.07.2018 को वित्तीय प्रबंधन, वैधानिक अनुपालन और वसूली प्रबंधन पर कार्यशाला का आयोजन किया गया था।

(छ) दिनांक-14.10.2019 को "भावनात्मक बुद्धिमत्ता" पर कार्यशाला का आयोजन किया गया था।

2020 के दौरान कोविड महामारी के कारण कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया था।"

5.28 समिति नोट करती है कि एनएमडीएफसी की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों द्वारा नामित राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) द्वारा किया जाता है। ये एससीए कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत निगम हैं और एससीए को निधियां संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों द्वारा जारी सॉवरेन गारंटी के आधार पर दी जाती है। एनएमडीएफसी की 27 राज्यों और 8 संघ राज्य क्षेत्रों में 45 एससीए हैं। वर्तमान में 39 एससीए कार्यरत हैं जबकि 6 एसीए सामान्य करार लंबित होने और संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से सॉवरेन गारंटी नहीं दिए जाने जैसे कारणों से कार्यशील नहीं है। समिति नोट करती हैं कि एमडीएफसी के भरसक प्रयासों के बावजूद बड़ी संख्या में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों यथा असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, नागालैंड, मिजोरम, पंजाब, पुदुचेरी, त्रिपुरा, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कार्यशील नहीं बनाए जा सके क्योंकि वे बकाया राशि का निपटारा नहीं कर सके।

समिति पाती है कि एनएमडीएफसी ने अगस्त 2021 में अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए केनरा बैंक के साथ समझौता किया है। अब तक इस प्रयोग ने योजनाओं का क्रियान्वयन करने में सहायता दी है। तथापि समिति को आशंका है कि चूंकि बैंकों को अपना व्यवसाय भी चलाना होता है इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बैंक एनएमडीएफसी की योजनाओं को उचित ध्यान और महत्व दे। समिति यह भी महसूस करती है कि एनएमडीएफसी को अन्य क्षेत्रीय बैंकों के साथ समझौता करने की संभावना भी तलाशनी चाहिए। समिति का यह भी मत है कि राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की भूमिका एनएमडीएफसी की योजनाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि योजनाएं कल्याणोन्मुख हैं और इन योजनाओं का सफल क्रियान्वयन लक्षित वर्गो के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को परिलक्षित करता है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि न्यूनतम रूचि/उदासीनता दिखाने वाली सरकारों को योजनाओं के संभावी लाभों के बारे में समझाना चाहिए और उन्हें इसमें शामिल किया जाना चाहिए ताकि मुद्दे, यदि कोई हो, तो उनका समाधान हो सके और उनके द्वारा इन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा सके।

5.29 समिति यह नोट करने के लिए बाध्य है कि एनएमडीएफसी की एससीए ऋण स्वीकृत करने में 30 से 35 दिनों का समय लगता है जबकि एनएमडीएफसी के अन्य सहयोगी निगमों ने ऋण स्वीकृत करने और उसके वितरण के लिए 120 दिनों का समय निर्धारित किया है। यद्यपि यह थोड़ा लंबा समय है जबकि बैंक सामान्यत: ऋण स्वीकृत करने के लिए 15 से 20 दिनों का समय लेते हैं। समिति इस तर्क से सहमत नहीं है कि ऋण के स्वीकृत करने की धीमी प्रक्रिया एससीए के पास क्षेत्र संबंधी अवसंरचना और श्रम शक्ति की अनुपलब्धता और ऑटोमेशन की कमी के कारण है क्योंकि मंत्रालय के पास एससीए के ऋण परिदान प्रणाली और वसूली अवसंरचना को मजबूत बनाने के लिए सहायता अनुदान देने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, अब राज्यों ने वित्तीय कार्य के लिए सुदृढ़ ऑटोमेटेड प्रणाली विकसित की है। समिति का सुदृढ़ मत है कि ऋण प्रक्रिया को सरल बनाने/गति प्रदान करने के

लिए एनएमडीएफसी को एससीए के लिए उपयुक्त कदम का सुझाव देने की जरूरत है क्योंकि ऋण की स्वीकृति में लगने वाले समय को काफी कम किया जाना चाहिए। आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज को सरल बनाने और ऋण प्रक्रिया के ऑटोमेशन, ऋण स्वीकृति के लिए प्राधिकार को विकेन्द्रित करने आदि के लिए एससीए को जारी किए गए हाल के एडवाइजरी पर टिप्पणी करना समिति के लिए बहुत जल्दी हो सकता है जब तक कि एससीए/एनएमडीएफसी द्वारा ऋण स्वीकृति में वर्तमान में लिया जाने वाला समय वास्तव में घटाकर 15 से 20 दिन पहले न कर दिया जाए। इसलिए समिति करवाई चरण में इस एडवाइजरी के प्रभाव के बारे में जानना चाहेगी। समिति सिफारिश करती है कि एनएमडीएफसी ऋण प्रक्रिया की निगरानी के लिए तंत्र का विकास करने में अब समय न गवाएं और यह सुनिश्चित करें कि उनके सुझाव गए कदमों पर एससीए द्वारा अनुपालन किया जाए तथा ऋण स्वीकृत करने में लगने वाले समय में कमी की जाए।

5.30 समिति यह, देखकर काफी चिंतित है कि एनएमडीएफसी की गैर-निष्पादनकारी आस्तियां के एस.सी.ऐ./एन.जी.ओ. के संदर्भ में 18.16 करोड रुपए है और 31 मार्च 2022 तक की स्थिति के अनुसार राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र की प्रशासनों पर 223.85 करोड़ रुपये की राशि बकाया है। समिति यह नहीं समझ पा रही है कि एनएमडीएफसी का एनपीए क्योंर है और राज्यों/संघ राज्यम क्षेत्रों पर इतना अधिक बकाया राशि लंबित क्यों है, विशेषकर जबकि एनएमडीएफसी में एससीए के खातों के लिए एकबारगी निपटान योजना और लंबित बकाया राशि की भुगतान पुन: सूची बनाने का विकल्प है। इसके साथ ही, समिति को विश्वास है कि एनएमडीएफसी द्वारा शायद ही चूककर्ता एससीए को प्रतिबंधित किया जाता है क्योंकि केवल राज्यों द्वारा ही कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा सकती है। इसके बावजूद, प्रयास इस बात पर केंद्रित होना चाहिए कि प्रणाली का विकास किया जाए जो भुगतान में चूक करने के लिए उत्तेरदायी खामी को दूर किया जा सके। बकाया राशि की तीव्र गति से वसूली के लिए समिति चाहती है कि मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ एसएससी के

एनपीए/लंबित बकाया राशि के मामले को उठाए और उन्हेंज इस बात के लिए राजी करे कि वे अपने राज्यों में एनएमडीएफसी की योजनाओं के कार्यान्वजयन को शुरू करने के लिए बकाया राशि का निपटान करने के लिए आसान ऋण/अनुदान प्रदान करके अपने संबंधित एससीए की सहायता करे।

5.31 समिति यह देखकर आश्चर्यचकित है कि अधिकांश के एससीए में तैनात स्टाफ अपर्याप्त हैं जबकि एससीए के लिए सहायता अनुदान का प्रावधान है। समिति यह भी पाती है कि एससीए के स्टाफ का प्रशिक्षण पर्याप्त नहीं है क्योंकि 2016 से 2019 के बीच केवल 7 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसके बाद, कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया है। तथापि समिति यह भी पाती है कि एनएमडीएफसी ने एससीए के स्टाफ क्षमता या उनके प्रशिक्षण के लिए कोई दिशानिर्देश निर्धारित नहीं किया है। इसलिए, समिति चाहती है कि एनएमडीएफसी प्रत्येक एससीए के लिए न्यूनतम संख्या में स्टाफ निर्धारित करें और यह सुनिश्चित करें कि एसीए के रूप में उन्हें नियुक्त किए जाने से पहले प्रत्येक एससीए की स्टाफ क्षमता और अवसंरचना निर्धारित मानकों के अनुरूप हो। समिति यह भी चाहेगी कि एनएमडीएफसी एससीए स्टाफ के लिए आवधिक आधार पर प्रशिक्षण आयोजित करें और प्रत्येक एससीए को विशेष अंतराल पर स्थानीय आधार पर प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए निर्देश भी दे।

अध्याय - छह

राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को आनुदानिक सहायता

6.1 एससीए की अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए मंत्रालय ने वर्ष 2007-08 में जीआईए योजना शुरू की थी। इस स्कीम के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा एनएमडीएफसी के माध्यम से एससीए को 100% सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम में एससीए द्वारा जागरूकता शिविरों, आपूर्ति प्रणाली में सुधार, वसूली, स्कीम में निर्धारित कर्मचारियों के टीए/डीए जैसे कार्यकलापों के सेट के भीतर उनकी आवश्यकता के अनुसार निधियों के उपयोग का प्रावधान है। प्रत्येक एससीए को 5.00 लाख रुपये से लेकर 25.00 लाख रुपये तक की आनुदानिक सहायता प्रदान की जाती है ताकि वसूली सहित उनके प्रचालन में सुधार लाने के लिए एससीए के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ किया जा सके।

6.2 इस योजना के लिए मंत्रालय द्वारा आबंटित और जारी की गई राशि का ब्यौरा इस प्रकार है:-

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ब.अ.	सं.अ.	जारी की गई राशि
2014-15	2.00	2.00	2.00
2015-16	2.00	2.00	2.00
2016-17	2.00	2.00	1.27
2017-18	2.00	2.00	0.30
2018-19	2.00	2.00	2.00
2019-20	2.00	2.00	1.925
2020-21	2.00	0.965	0.965
2021-22 ***(31 दिसंबर, 2021***	**2.00**	**2.00**	**2.00**

तक)			

6.3 पिछले पांच वर्षों के दौरान एससीए द्वारा जारी और उपयोग की गई जीआईए निधियों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**एससीए का नाम**	**विगत पांच वर्षों के दौरान जीआईए निधि के अंतर्गत जारी की गई राशि (₹ लाख में)**	**विगत पांच वर्षों के दौरान जीआईए निधि के अंतर्गत उपयोग की गई राशि (₹ लाख में)**
1	गुजराज	जीएमडीएफसी	6.50	4.50
2	गोवा	जीएसएमएफडीसी	7.00	2.00
3	हरियाणा	एचबीसीकेएन	13.00	8.00
4	हिमाचल प्रदेश	एचपीएमएफडीसी	11.50	11.50
5	जम्मू एवं कश्मीर	जेकेडब्ल्यूडीसी	25.00	15.00
		जेकेएससीएसटीएफडीसी	7.00	5.00
		जेकेईडीआई	20.00	0.00
		जेकेएसएफसी	35.50	22.50
6	झारखंड	जेएसएएसवीएन	3.00	3.00
7	केरल	केएसबीसीडीसी	95.00	95.00
		केएसडब्ल्यूडीसी	78.00	78.00
		एमएटीएसवाईएएफईडी	49.00	49.00
		केएसएमडीएफसी	18.50	18.50
8	महाराष्ट्र	एमएएएवीएम	4.00	4.00
		एनएसएसडब्ल्यूबी	10.00	6.00
9	राजस्थान	आरएमडीएफसी	24.50	14.50
10	सिक्किम	एसएबीसीसीओ	12.00	2.00
11	तमिलनाडु	टीएएमसीओ	60.00	45.00
12	त्रिपुरा	टीएमसीडीसी	55.00	40.00
13	उत्तर प्रदेश	यूपीएमएफडीसी	20.00	0.00

14	उत्तराखंड	यूएकेडब्ल्यूवीएन	9.00	4.00
15	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीएमडीएफसी	70.00	45.00
	कुल		633.50	472.50

₹1.61 करोड़ की राशि उपयोग की प्रक्रिया के अधीन है।

6.4 एससीए, जिनमें अपने कार्यकलापों को करने के लिए बुनियादी ढांचे, जनशक्ति और संसाधनों की कमी है, को दी गई सहायता के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने जानकारी दी कि:-

> "राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों, राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधीन संस्थाएं हैं। इनका कार्य राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की योजनाओं को लागू करना है और जिन्हें वित्तीय, बुनियादी ढांचा एवं प्रशासनिक मदद मुख्य रूप से उनके संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से मिलती है। अपने मुख्य कार्य करने के अलावा इन राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को एनएमडीएफसी की योजनाओं को लागू करने के लिए भी मनोनीत किया गया है। मंत्रालय अपनी ओर से जीआईए योजना के तहत मौजूदा ऋण वितरण और वसूली तंत्र को मजबूत करने के लिए एससीए को अतिरिक्त सहायता प्रदान करता है। जिन एससीए के पास अपर्याप्त बुनियादी सुविधाएं है उनसे बार बार अनुरोध किया जाता है कि वे अपने राज्य सरकार। केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से बुनियादी ढांचे और पर्याप्त योग्य एवं अनुभवी कर्मचारी और वित्तीय सहायता देने के लिए अनुरोध करें, ताकि राज्य सरकार एवं एनएमडीएफसी की योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए उनकी क्षमता में इजाफा हो सके। इसके अलावा, एनएमडीएफसी द्वारा नामित किए गए एससीए को मजबूत करने के लिए उसके द्वारा राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के समक्ष इस विषय को नियमित रूप से रखा जाता है।"

6.5 यह पूछे जाने पर कि क्या सभी 39 कार्यात्मक एससीए की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 2 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान पर्याप्त है, मंत्रालय ने बताया कि:-

"राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों से इस निधि को बढ़ाने के अनुरोध और एमडीआई, गुडगांव द्वारा अपनी रिपोर्ट में इस निधि को बढ़ाने की सिफारिश के आधार पर मंत्रालय द्वारा जीआईए योजना के तहत आवंटन को बढ़ाकर 5.00 करोड़ रु. वार्षिक करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। अब प्रत्येक एससीए को जीआईए योजनाओं के तहत 5.00 लाख रु. से लेकर 25.00/ लाख रु. तक की राशि मिल सकती है।"

6.6 जीआईए स्कीम के अंतर्गत पर्याप्त प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए एनएमडीएफसी द्वारा एससीए को प्रदान की गई सहायता के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ-साथ बताया कि:-

"एनएमडीएफसी जीआईए योजना के तहत प्रस्तावों को प्रस्तुत करने में किसी भी कठिनाई का सामना करने के मामले में एससीए को मार्गदर्शन प्रदान करता है। एनएमडीएफसी द्वारा एससीए को इस मामले में पहले ही मार्गदर्शन दिया जा चुका है ताकि जीआईए योजना के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना करने पर उसका समाधान कर सके। उम्मीद है कि इस योजना के तहत बजट आवंटन और अनुमत क्रियाकलापों में बढ़ोतरी होने से एससीए प्रभावी ढंग से राशि का उपयोग करने में सक्षम हो जाएगा तथा उनके कामकाज में और अधिक कुशलता आ सकेगी।"

6.7 समिति नोट करती है कि मंत्रालय द्वारा एनएमडीएफसी के माध्यम से एससीए को वार्षिक रूप से निर्धारित 2.00 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है। तथापि, वर्ष 2016-17, 2017-18, 2019-20 के दौरान सहायता अनुदान के अंतर्गत स्वीकृत राशि क्रमशः 1.27 करोड़ रुपये, 0.30 करोड़ रुपये और 1.925 करोड़ रुपये थी और इसे वर्ष 2020-21 में 2.00 करोड़ रुपये से घटाकर आरई चरण में 0.965 करोड़ रुपये कर दिया गया था। समिति का दृढ़ विश्वास है कि चूंकि एनएमडीएफसी की विभिन्न स्कीमों को एससीए के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है, इसलिए एससीए के क्षमता निर्माण के लिए अवसंरचना, पर्याप्त जनशक्ति, कंप्यूटरीकरण और मजबूत तंत्र एनएमडीएफसी/मंत्रालय की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी

चाहिए। मंत्रालय ने समिति के समक्ष पहले ही स्वीकार कर लिया है कि एनएमडीएफसी की योजनाओं के खराब कार्यान्वयन का एक कारण एससीए की कमजोर अवसंरचना है। यह चिंता का विषय है कि निधियों की उपलब्धता के बावजूद इनका उपयोग नहीं किया गया। चूंकि एनएमडीएफसी निधियों का संवितरण करने वाला नोडल संगठन है, इसलिए उन्हें कमियों की जांच करनी चाहिए थी और उन्हें समय पर दूर करना चाहिए था ताकि एससीए के अवसंरचना निर्माण के लिए निर्धारित निधियों का पूरा उपयोग किया जा सके। समिति नोट करती है कि विगत पांच वर्षों के दौरान 15 राज्यों में एससीए ने सहायता अनुदान का लाभ उठाया है और इन एससीए को प्रदान की गई सहायता अनुदान का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया था क्योंकि एससीए को दिए गए 633.50 लाख रुपये में से केवल 404.50 लाख रुपये का उपयोग किया गया था। समिति यह जानना चाहती है कि क्या एनएमडीएफसी ने जारी की गई और उपयोग की गई निधियों के बीच इस बड़े अंतर के कारणों का पता लगाने के लिए कोई प्रयास किए हैं। समिति चाहती है कि मंत्रालय/एनएमडीएफसी अपेक्षित निरीक्षण विकसित करे ताकि सहायता अनुदान के लिए निर्धारित निधियों का पूरा उपयोग किया जा सके। समिति बजटीय आवंटन में 2.00 करोड़ रुपये से 5.00 करोड़ रुपये तक की वृद्धि के बारे में भी संतुष्ट नहीं है, विशेषकर जब 2016-17, 2017-18, 2019-20 में 2.00 करोड़ रुपये की उपलब्ध निधियों का उपयोग नहीं किया जा सका था। इसलिए समिति चाहती है कि मंत्रालय उचित कदम उठाए ताकि आबंटित निधियों का एससीए की अवसंरचना के उन्नयन के लिए पूर्ण उपयोग किया जा सके।

अध्याय - सात

लक्षित समूहों को वित्तीय सहायता

7.1 वार्षिक आय के अनुसार लक्षित समूहों की दो श्रेणियां हैं- (क) क्रेडिट लाइन-1 के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 98,000/- रुपए और शहरी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपए तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले व्यक्तियों के लिए लाभ उपलब्ध हैं।
(ख) क्रेडिट लाइन-2 के अंतर्गत 8.00 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले व्यक्तियों को लाभ उपलब्ध हैं।

7.2 पिछले 6 वर्षों के दौरान क्रेडिट लाइन-1 और 2 में एनएमडीएफसी की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वित्तपोषित लाभार्थियों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

क्रम सं.	राज्य	2017-2018 (क्रेडिट लाइन-1)		2017-2018 (क्रेडिट लाइन-2)		2018-2019 (क्रेडिट लाइन-1)		2018-2019 (क्रेडिट लाइन-2)		2019-2020 (क्रेडिट लाइन-1)		2019-2020 (क्रेडिट लाइन-1)	
		ग्रामीण लाभार्थी	शहरी लाभार्थी	ग्रामीण लाभार्थी	शहरी लाभार्थी	ग्रामीण लाभार्थी	शहरी लाभार्थी	ग्रामीण लाभार्थी	शहरी लाभार्थी	ग्रामीण लाभार्थी	शहरी लाभार्थी	ग्रामीण लाभार्थी	शहरी लाभार्थी
1	चंडीगढ़	1	39	0	0	2	57	0	2	0	60	0	0
2	छतीसगढ़	0	0	0	0	8	17	0	0	0	0	0	0
3	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0
4	गुजरात	0	0	0	0	162	121	14	3	119	164	0	19
5	हरियाणा	9	1	1	0	1	0	70	9	585	234	0	0
6	हिमाचल प्रदेश	88	7	3	0	95	23	0	0	119	3	0	0
7	जम्मू एवं कश्मीर	1837	316	304	66	1277	195	187	61	915	190	111	49
8	झारखण्ड	0	0	0	0	0	0	0	0	91	136	0	0
9	कर्नाटक	19	73	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0
10	केरल	20954	5393	401	77	4945	453	24122	2381	23665	3321	314	54
11	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	546	84	0	0
12	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	449	365	230	87	1	99
13	पंजाब	113	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	राजस्थान	73	152	10	12	0	0	0	0	0	0	0	0
15	तमिलनाडु	4265	2582	0	0	633	1413	3809	1853	3817	3321	0	1
16	त्रिपुरा	850	26	0	0	0	0	0	0	4	6	0	0
17	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	286	399	0	0
18	उत्तराखंड	0	0	0	0	15	60	0	0	0	2	0	0
19	पश्चिम बंगाल	113063	831	0	39	77336	44285	0	0	100906	9461	0	0
	कुल	141272	9424	720	199	84474	46624	28651	4674	131283	17480	426	222

7.3 यह पूछे जाने पर कि क्या लाइन-1 और 2 के तहत क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए निर्धारित वार्षिक पारिवारिक आय को समय-समय पर संशोधित किया जाता है और निगम यह कैसे सुनिश्चित करता है कि एनएमडीएफसी की योजनाओं का लाभ अधिकतम लोगों को मिले, समिति ने मंत्रालय ने मंत्रालय को बताया कि:-

> "गरीबी के अनुमान योजना आयोग)अब नीति आयोग (द्वारा जारी किए गए थे, जिसके आधार पर क्रेडिट लाइन 1 और 2 के तहत वार्षिक पारिवारिक आय को समय-समय पर संशोधित किया गया था। लक्षित लाभार्थियों की ज्यादा से ज्यादा संख्या को कवर करने के लिए एनएमडीएफसी ने वित्त वर्ष 2014-15 में ओबीसी मानदंड के आय पैटर्न पर एक और क्रेडिट लाइन यानी क्रेडिट लाइन 2 शुरू की है। हाल ही में क्रेडिट लाइन 2 की सीमा में संशोधन किया गया है। जिन परिवारों की वार्षिक आय 8.00 लाख रु .प्रति वर्ष है, वे भी अब एनएमडीएफसी की योजनाओं के तहत रियायती ऋण प्राप्त करने के पात्र हैं।"

7.4 लाभार्थियों को ऋण स्वीकृत करने के लिए शामिल प्रक्रिया के बारे में पूछे जाने पर समिति ने चर्चा के दौरान बताया कि:-

> "लोन एप्लीकेशंस या तो डिस्ट्रक्ट लेवल पर रिसीव किए जाते हैं या फिर स्टेट हेडक्वॉर्टर पर आते हैं। उसके बाद उनका चयन होता है। चयन करने के दो ही क्राइटरिआज़ हैं। एक तो उनकी आय और दूसरा उनको माइनोरटी कम्युनिटीज से बिलोंग करना है।"

7.5 एनएमडीएफसी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के बाद गरीबी रेखा से बाहर आने में सफल रहे अल्पसंख्यक लाभार्थियों की संख्या के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय द्वारा समिति को सूचित किया गया कि:-

> "एनएमडीएफसी की योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के बाद गरीबी रेखा पार करने वाले लाभार्थियों की स्थिति का पता एनएमडीएफसी योजना के प्रभाव

मूल्यांकन के दौरान एनएमडीएफसी द्वारा नियुक्त तीसरे पक्ष के परामर्श संगठन के माध्यम से किए गए नमूना अध्ययन के माध्यम से लगाया जाता है। 2018-19 में किए गए पिछले अध्ययन के अनुसार एनएमडीएफसी की योजनाओं के तहत वित्तपोषित लगभग 82% लाभार्थियों ने दोहरी गरीबी रेखा की आय पात्रता मानदंड को पार कर लिया है।"

7.6 यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार की लाभार्थियों से उच्च ब्याज दर के बोझ को कम करने की कोई योजना है, मंत्रालय द्वारा समिति को बताया गया कि:-

"क्रेडिट लाइन-1 के तहत वित्तपोषण अंतिम लाभार्थी/एसएचजी से 7% प्रति वर्ष की दर से है। एनएमडीएफसी एससीए/एनजीओ से 1% प्रति वर्ष ब्याज लेता है जबकि एससीए एसएचजी/लाभार्थी से प्रति वर्ष 7% का शुल्क लेता है और इस प्रकार 6% प्रति वर्ष ब्याज का मार्जिन प्राप्त करता है, यदि यह योजना को सीधे लागू करता है। यदि एससीए गैर-सरकारी संगठन के माध्यम से कार्यान्वित करता है, तो एससीए गैर-सरकारी संगठन से प्रति वर्ष 2% शुल्क लेता है और गैर-सरकारी संगठन बदले में एसएचजी/लाभार्थी से प्रति वर्ष 7% शुल्क लेता है जिससे 5% प्रति वर्ष ब्याज मार्जिन प्राप्त होता है। यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि एससीए/गैर-सरकारी संगठन को अधिक मार्जिन प्रदान किया जाता है ताकि उन्हें सूक्ष्म ऋण प्रदान करने से पहले और बाद में एसएचजी के गठन, पोषण और नियमित निगरानी के लिए व्यय को पूरा करने में मदद मिल सके। ब्याज मार्जिन में किसी भी प्रकार की कमी का एससीए/गैर-सरकारी संगठन के स्तर पर सूक्ष्म वित्त योजना के कार्यान्वयन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यहां यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि माइक्रो-फाइनेंस स्कीम के तहत ली जाने वाली ब्याज दर बाजार में सबसे कम है।"

7.7 यह पूछे जाने पर कि मंत्रालय एनएमडीएफसी की विभिन्न योजनाओं के तहत सभी अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण वितरित करना कैसे सुनिश्चित करता है, एनएमडीएफसी के प्रतिनिधि ने समिति के समक्ष चर्चा के दौरान बताया कि:-

"हमने राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) को उस विशेष राज्य में अल्पसंख्यक जनसँख्या के अनुपात में ऋण वितरित करने का निर्देश दिया है।"

7.8 किसी भी अप्रिय घटना के मामले में लाभार्थियों के लिए एनएमडीएफसी द्वारा अपनाए गए संरक्षण तंत्र के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने समिति को सूचित किया कि:-

"एससीए को वित्त पोषित लाभार्थी और उसकी संपत्ति का बीमा कराने की सलाह दी गई है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से लाभार्थी और उसके परिवार की रक्षा की जा सके। बीमा के लिए प्रीमियम को आम तौर पर पूंजीकृत किया जाता है और ऋण राशि का हिस्सा बनाया जाता है। बीमा एससीए और लाभार्थी के संयुक्त नाम से कराया जाता है। किसी भी अप्रिय घटना के मामले में, एससीए द्वारा दावा राशि की वसूली की जाती है और बकाया ऋण राशि के बाद बची राशि को मृतक लाभार्थी के परिवार के खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है। इस प्रकार मृतक लाभार्थी के परिवार पर ऋण चुकौती का कोई भार नहीं रहता है। संपत्ति के नुकसान के मामले में भी इसी तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें ऋण बकाया राशि के निपटान के बाद एससीए द्वारा लाभार्थी को दावा राशि प्रदान की जाती है।

बड़ी संख्या में एससीए ने ऋण के साथ बीमा प्रदान करना शुरू कर दिया है। जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड राजस्थान, गुजरात, केरल, तमिलनाडु त्रिपुरा, चंडीगढ़ छत्तीसगढ़, मिजोरम, दिल्ली आदि राज्यों में एससीए बीमा योजना लागू कर रहे हैं। गोवा और सिक्किम राज्यों में एससीए ने हाल ही में एनएमडीएफसी की योजनाओं को लागू करना शुरू किया है और उन्हें लाभार्थियों का बीमा कराने की सलाह दी गई है। यूपी में एससीए ने हाल ही में वित्तपोषण शुरू किया है और लाभार्थियों का बीमा हो रहा है। केरल की एससीए की तर्ज पर एक कोष का गठन करने के लिए पश्चिम बंगाल ने अपनी राज्य सरकार से संपर्क किया है और जल्द ही इसके द्वारा वित्तपोषित लाभार्थियों को बीमा कवर प्रदान करना शुरू कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र में एससीए ने भी बीमा योजना को लागू करने की स्वीकृति के लिए राज्य सरकार से संपर्क किया है।"

7.9 केरल मॉडल को दोहराने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछे जाने पर, जहां उन्होंने एनएमडीएफसी योजना के तहत वित्त पोषित लाभार्थियों को बीमा प्रदान करने के लिए एक कोष बनाया है, मंत्रालय ने समिति को बताया कि:-

> "एनएमडीएफसी योजना के तहत वित्तपोषित लाभार्थियों को बीमा प्रदान करने का केरल मॉडल संदर्भ मैनुअल में "सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना" शीर्षक के तहत प्रकाशित किया गया था और मॉडल को अपनाने के लिए सभी एससीए को वितरित किया गया था। केरल राज्य बीसी विकास निगम के मॉडल का अनुसरण केरल राज्य महिला विकास निगम और केरल राज्य मत्स्य पालन सहकारी संघ द्वारा किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में एससीए ने अपने द्वारा वित्तपोषित लाभार्थियों को बीमा प्रदान करने के लिए इसी तरह के मॉडल को अपनाने के लिए अपनी राज्य सरकार से संपर्क किया है। यह मॉडल एससीए द्वारा अपनाए जाने के लिए सबसे उपयुक्त है जो दावे के निपटान के लिए पर्याप्त कोष के निर्माण के लिए बड़ी संख्या में लाभार्थियों का वित्तपोषण करते हैं।"

7.10. निगम द्वारा अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किए गए उपायों और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में वे कहां तक सफल रहे हैं, इस बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय द्वारा समिति को बताया गया कि:-

> "एससीए को अपने स्तर पर ऋण स्वीकृत करने और वितरित करने की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। इसके अलावा, एससीए को सलाह दी गई है कि वे न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन को बढ़ावा देने के लिए धर्म का प्रमाण पत्र, पारिवारिक आय प्रमाण पत्र दस्तावेजों के मामलों में स्व-घोषणा/स्व प्रमाणन/स्व-सत्यापन लें तथा शैक्षिक ऋण के मामले में पिछले वर्षों की मार्कशीट, अन्य कोई ऐफिडेविट को स्वीकार करें। किसी अप्रिय घटना के कारण लाभार्थियों और एससीए को सुरक्षित रखने के लिए धन के संवितरण के समय लाभार्थियों और उनकी संपति का बीमा सुनिश्चित करने का निर्देश एससीए को दिया गया है। सभी ऋण एससीए द्वारा इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से वितरित किए गए हैं।"

7.11 समिति नोट करती है कि क्रेडिट लाइन-1 के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 98,000/- रुपये और शहरी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपये की वार्षिक पारिवारिक आय वाले अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। क्रेडिट लाइन-2 के अंतर्गत, उन व्यक्तियों के लिए लाभ उपलब्ध हैं जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹ 8.00 लाख तक है। तथापि, समिति यह जानकर आश्चर्यचकित है कि क्रेडिट लाइन-2 के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या क्रेडिट लाइन-1 की तुलना में काफी कम है क्योंकि क्रेडिट लाइन-1 और क्रेडिट लाइन-2 के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या 2017-18 से 2019-20 तक क्रमशः 4,30,557 और 34,892 थी। चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में क्रेडिट लाइन-1 के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या काफी कम है, इसलिए समिति महसूस करती है कि एनएमडीएफसी को क्रेडिट लाइन-1 में शहरी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास करना चाहिए। समिति यह भी चाहती है कि शहरी क्षेत्रों के लिए क्रेडिट लाइन-1 के अंतर्गत लाभार्थियों के लिए वार्षिक पारिवारिक आय सीमा को शहरी क्षेत्रों में बढ़ी हुई औसत वार्षिक पारिवारिक आय पर विचार करने के बाद बढ़ाया जाना चाहिए ताकि आर्थिक रूप से कमजोर अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित अधिक व्यक्तियों को एनएमडीएफसी की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कम ब्याज दर पर लाभ मिल सके। समिति यह भी चाहती है कि क्रेडिट लाइन-2 में गति नहीं आने के कारणों की जांच की जानी चाहिए क्योंकि 2014-15 में निर्धारित वार्षिक आय सीमा को व्यापक पहुंच के लिए 2019-20 में बढ़ा दिया गया था।

7.12 समिति ने पाया है कि केरल मॉडल के अंतर्गत एनएमडीएफसी स्कीमों के तहत वित्तपोषित लाभार्थियों को बीमा प्रदान करने के लिए एक कोष सृजित किया गया है। केरल मॉडल के अनुरूप, एससीए को लाभार्थी और परिसंपत्तियों के लिए बीमा प्राप्त करने की सलाह दी गई है, ताकि लाभार्थी और उसके परिवार को किसी भी अप्रिय घटना से बचाया जा सके। समिति महसूस करती है कि यदि सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा केरल मॉडल को दोहराया जाता है, तो यह बड़ी संख्या में लाभार्थियों के

वित्तपोषण का कार्य करने वाले एससीए को किसी भी चूक से बचाएगा क्योंकि किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में एससीए द्वारा दावे को वसूल किया जा सकता है। परामर्श के अनुरूप, एससीए ने अब हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, त्रिपुरा, चंडीगढ़, मिजोरम, जम्मू और कश्मीर और दिल्ली राज्यों में ऋण के साथ बीमा प्रदान करना शुरू कर दिया है। समिति सिफारिश करती है कि लाभार्थियों और उनकी परिसंपत्तियों के लिए बीमा के प्रावधान को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनाया जाना चाहिए और कार्यान्वित किया जाना चाहिए ताकि लाभार्थियों और एससीए की सुरक्षा की जा सके। समिति इस संबंध में हुई प्रगति से अवगत होना चाहेगी।

अध्याय - आठ

जागरूकता सृजन

8.1 मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, एससीए को एनएमडीएफसी की योजनाओं के बारे में सूचना का प्रसार करने के लिए अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों और पिछड़े क्षेत्रों में जागरूकता शिविर आयोजित करने की सलाह दी गई है। एनएमडीएफसी प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में प्रत्येक एससीए को 50,000/- रुपये प्रति शिविर की दर से 10 जागरूकता शिविर हेतु बजट आवंटित करता है। एनएमडीएफसी द्वारा ऐसे शिविरों के आयोजन के लिए अनुदान भी प्रदान किया जाता है। जागरूकता शिविरों के दौरान संभावित लाभार्थियों को योजनाओं के आवेदन पत्र और ब्रोशर प्रदान किए जाते हैं और आवेदन पत्र भरने में मदद की जाती है। इन शिविरों में आवेदन पत्र एकत्र किए जाते हैं। शिविर में ही प्रारंभिक जांच के बाद, आवेदकों को शॉर्ट लिस्टिंग के अगले चरण के लिए समय और स्थान को दर्शाते हुए पावती दी जाती है।

8.2 एससीए को सलाह दी गई है कि वे जिला प्रशासन की मशीनरी का उपयोग करते हुए एनएमडीएफसी की योजनाओं का समय-समय पर प्रचार करें। इसके अलावा, एनएमडीएफसी द्वारा लाभार्थियों की सफलता की कहानियों को प्रकाशित किया जाता है और प्रतिभागियों को उनके सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एनएमडीएफसी योजनाओं के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने हेतु ऐसे शिविरों में वितरित किया जाता है। एससीए एनएमडीएफसी की योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए स्थानीय समाचार पत्रों और स्थानीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी उपयोग करते हैं।

8.3 वर्ष 2015-16 और 2021-22 के दौरान आयोजित शिविरों के ब्यौरे के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत बताया:-

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	शिविरों की संख्या
1.	2015-16	85
2.	2016-17	92
3.	2017-18	147
4.	2018-19	163
5.	2019-20	514
6.	2020-21	0
7.	2021-22	76
कुल		**1077**

8.4 2015-16 से 2021-22 तक एससीए द्वारा जिन स्थानों पर जागरूकता शिविर आयोजित किए गए थे, उनका विवरण इस प्रकार है:-

		2015-16	
क्रम सं.	**राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र**	**संख्या**	**स्थान**
1	गुजरात	3	गोधरा, वडोदरा, अहमदाबाद
2	हरियाणा	5	करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकूला, यमुनानगर
3	हिमाचल प्रदेश	1	कुठार जिला, शिमला
4	जम्मू एवं कश्मीर	59	श्रीनगर, कुलगाम, बडगाम, जम्मू, बारामूला, अनंतनाग
5	केरल	17	एर्नाकुलम, इडुक्की, कोट्टायम, त्रिवेंद्रम, कोल्लम, एलेप्पी, त्रिशूर, मलप्पुरम, कोझिकोड, कन्नूर, कासरगोड
		2016-17	
क्रम सं.	**राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र**	**संख्या**	**स्थान**
1	गुजरात	1	अहमदाबाद
2	हरियाणा	13	करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकूला, सिरसा, यमुनानगर
3	जम्मू एवं कश्मीर	60	डोडा, कठुआ, जम्मू, कुपवाड़ा, बारामूला, अनंतनाग, श्रीनगर
4	केरल	18	कन्नूर, मलप्पुरम, त्रिवेंद्रम, पठानमथिट्टा, एर्नाकुलम, इडुक्की, कोल्लम, एलेप्पी, त्रिशूर, कोझिकोड, कासरगोड
		2017-18	
क्रम सं.	**राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र**	**संख्या**	**स्थान**
1	गुजरात	3	अहमदाबाद, मोडासा, हिम्मतनगर
2	हरियाणा	9	करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकूला, पानीपत, यमुनानगर
3	जम्मू एवं कश्मीर	106	अनंतनाग, बांदीपोरा, डोडा, गांदरबल, जम्मू, कठुआ, किश्तवाड़, कुपवाड़ा, पुंछ, पुलवामा, राजौरी, रामबन, रियासी, सांबा, शोपियां, श्रीनगर, उधमपुर, बारामूला, लेह, कारगिल
4	केरल	29	त्रिवेन्द्रम, कोझिकोड, एर्नाकुलम, त्रिवेंद्रम, कोल्लम, एलेप्पी, त्रिशूर, मलप्पुरम, कन्नूर, कासरगोड, पलक्कड़, अलाप्पुझा, वायनाड
		2018-19	

क्रम सं.	राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र	संख्या	स्थान
1	गुजरात	1	अहमदाबाद
2	हरियाणा	15	करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, सिरसा, यमुना नगर
3	जम्मू एवं कश्मीर	103	अनंतनाग, बांदीपोरा, डोडा, गांदरबल, जम्मू, कठुआ, किश्तवाड़, कुपवाड़ा, पुंछ, पुलवामा, राजौरी, रामबन, रियासी, सांबा, शोपियां, श्रीनगर, उधमपुर, लेह, कारगिल, बारामूला
4	केरल	33	कोझिकोड, अलाप्पुझा, त्रिवेंद्रम, कासरागोड, वायमाड, कोट्टायम, पथनमथिट्टा, कन्नूर, त्रिशूर, कोल्लम, अलाप्पी, एर्नाकुलम, मलप्पुरम, कोझिकोड
5	तमिलनाडु	11	त्रिची, कोयंबटूर, रामनाथपुरम, मदुरै, पुडुकोट्टई, तिरुवन्नामलाई, तिरुवल्लूर, तिरुपुर, नीलगिरी, करूर, डिंडीगुल
		2019-20	
क्रम सं.	**राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र**	**संख्या**	**स्थान**
1	गुजरात	14	कपडवांज, अंकलेश्वर, हलोल, सूरत, नाडियाद, बालासिनोर, अहमदाबाद, भिलोदा, पाटन, भुज-जुरा, भुज-अजरखपुर, अहमदाबाद, सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद
2	हरियाणा	26	अंबाला, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुरुग्राम, हिसार, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, पंचकूला, पानीपत, यमुना नगर
3	हिमाचल प्रदेश	2	किल्लर जिला, चंबा, केलांग जिला, लाहुल और स्पीति
4	जम्मू एवं कश्मीर	270	जम्मू रियासी, बारामूला, अनंतनाग, श्रीनगर
5	केरल	21	अलप्पी, कोल्लम, कोट्टायम, नेयत्तिनकारा, त्रिशूर, त्रिवेंद्रम, एर्नाकुलम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर
6	तमिलनाडु	181	चेन्नई, कांचीपुरम, तिरुवल्लूर, वेल्लोर, तिरुवन्नामलाई, कुड्डालोर, विल्लुपुरम, तंजावुर, नागापट्टिनम, तिरुवरूर, त्रिची, करूर, अरियालूर, पेरांबलूर, मदुरै, पुडुकोट्टई, थेनी, डिंडीगुल, विरुधुनगर, रामनाथपुरम, सिवगंगाई, तिरुनेलवेली, थूथुकुडी, कन्याकुमारी, सलेम, नमक्कल, धर्मपुरी, कृष्णागिरी, कोयंबटूर, थिरुपुर, इरोड
		2020-2021	
क्रम सं.	**राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र**	**संख्या**	**स्थान**
कोविड के कारण जागरूकता शिविरों का आयोजन नहीं किया गया था।			
		2021-2022	
क्रम सं.	**राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र**	**संख्या**	**स्थान**
1	उत्तराखंड	4	उधमसिंह नगर, नैनीताल, देहरादून और हरिद्वार
2	हिमाचल प्रदेश	1	मंडी
3	केरल	6	त्रिशूर, कासरगोड, पलक्कड़, पथनमथिट्टा, इडुक्की त्रिवेंद्रम और नेयत्तिनकारा
4	गुजरात	1	बालासिनोर
5	जम्मू एवं कश्मीर	29	रामबन, डोडा, कठुआ, सांभा, राजौरी, उधमपुर, किश्तवाड़, रियासी, श्रीनगर, जम्मू और राजौरी
6	तमिलनाडु	35	चेन्नई, कांचीपुरम, वेल्लोर, थिरुप्पाथुर, तिरुवन्नामलाई, कुड्डालोर, कल्लाक्कुरिची, नागपट्टिनम, त्रिची, करूर, अरियालूर, रामनाथपुरम, थूथुकुडी, कन्याकुमारी, सलेम, कृष्णागिरी, तिरुपुर, नीलग्रिस, धर्मपुरी, चेंगलपट्टू, रानीपेट, पेराम्बलूर, मदुरै, पुडुकोट्टई, थेनी, तिरुनेलवेली, तेनकासी, शिवगंगई, कोयंबटूर, तिरुवरूर, नमक्कल, विरुधुनगर, तिरुवल्लूर और इरोड

8.5 यह पूछे जाने पर कि क्या देश के अल्पसंख्यक बहुल जिलों में जागरूकता सृजन शिविर आयोजित किए गए हैं, मंत्रालय ने समिति को बताया कि:-

"एससीए को अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान कम से कम 10 जागरूकता शिविरों का आयोजन करने की सलाह दी गई है। एससीए द्वारा प्रत्येक जागरूकता शिविर के आयोजन के लिए 50,000/- रुपये का अनुदान दिया जाता है। अल्पसंख्यक बहुल जिलों/उन राज्यों में आने वाले क्षेत्रों में जहां एनएमडीएफसी योजनाएं चल रही हैं, को जागरूकता सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है।"

8.6 इस संदर्भ में, एनएमडीएफसी के प्रतिनिधि ने साक्ष्यों के दौरान बताया कि:-

"हमने वर्ष 2019-20 में ऐसे 514 अवेयरनेस कैंप किए थे, जिससे लोगों में इसका प्रचार-प्रसार हो सके। इसके अलावा वे अखबारों में एडवरटाइजमेंट भी देते हैं। उसी के द्वारा यह लाभार्थियों तक पहुँचता है।"

8.7 समिति को बताया गया था कि एनएमडीएफसी की योजनाओं के लाभार्थियों पर मैसर्स सेंटर फॉर मार्केट रिसर्च एंड सोशल डेवलपमेंट द्वारा किए गए प्रभाव अध्ययन में यह सिफारिश की गई है कि स्कीमों के दायरे का विस्तार करने और जागरूकता पैदा करने के लिए, सावधि ऋण के लाभार्थियों के साथ-साथ सूक्ष्म वित्त योजनाओं के लाभार्थियों की 'सफलता की कहानियों' का व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार किए जाने की आवश्यकता है। यह इन कहानियों को 'वर्ड-ऑफ-माउथ' और 'बिफोर एंड आफ्टर' परिदृश्यों पर आधारित लघु फिल्मों द्वारा प्रसारित करके किया जा सकता है। इस संबंध में की गई कार्रवाई के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने बताया कि:

"एनएमडीएफसी ने लाभार्थियों की सफलता की कहानियों को संकलित और प्रकाशित किया है, जैसे काम्याबियान- सपनों को पंख।

8.8 समिति नोट करती है कि एससीए को एनएमडीएफसी की योजनाओं के बारे में सूचना का प्रसार करने के लिए उच्च अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में जागरूकता शिविर

आयोजित करने की सलाह दी गई है। निर्धारित मानदंडों के अनुसार, प्रत्येक एससीए को प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 50,000/- रुपये प्रति शिविर की दर से 10 जागरूकता शिविर आवंटित किए जाते हैं। समिति यह नोट कर क्षुब्ध है कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर और उत्तराखंड राज्यों में 2015-16 और 2021-22 के बीच केवल 1077 शिविर आयोजित किए जा सके थे। 2015-16, 2016-17 और 2021-22 में केवल 85, 92 और 76 शिविरों का आयोजन किया गया था। समिति उन कारणों को समझना चाहेगी जिनके कारण परिकल्पना अनुसार जागरूकता शिविरों का आयोजन नहीं किया जा सका, जबकि प्रत्येक शिविर के आयोजन के लिए 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी । समिति सिफारिश करती है कि एनएमडीएफसी/मंत्रालय को देश में अल्पसंख्यक बहुल जिलों की पहचान करनी चाहिए जहां एनएमडीएफसी की योजनाएं अच्छी तरह से शुरू नहीं हो पाई हैं और विशेष रूप से उन जिलों/क्षेत्रों में और अधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए जाने चाहिए ताकि ये योजनाएं लक्षित आबादी को आकर्षित करने में सक्षम हो सकें।

अध्याय - नौ

निगरानी

9.1 एनएमडीएफसी द्वारा विभिन्न माध्यमों से स्कीमों के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन किया जाता है। निगरानी तंत्र की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं-

i. एनएमडीएफसी योजना कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) के साथ आवधिक बैठकों का आयोजन करता है।
ii. एनएमडीएफसी स्वतंत्र विशेषज्ञ एजेंसियों और अपने स्वयं के अधिकारियों की प्रतिनियुक्त के माध्यम से भी लाभार्थियों का सत्यापन और प्रभाव अध्ययन करता है।
iii. लाभार्थियों से संबंधित जानकारी एनएमडीएफसी की वेबसाइट पर डाल दी गई है। एससीए से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे अपने लाभार्थी डेटा को संबंधित वेबसाइट पर सार्वजनिक डोमेन में रखें।

9.2 एनएमडीएफसी की विभिन्न योजनाओं के तहत समय पर संवितरण सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध निगरानी तंत्र के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत बताया:-

> "एससीए आमतौर पर लाभार्थी की पहचान और यथा स्वीकृत ऋण मामलों के संदर्भ में अपनी तैयारियों के आधार पर एनएमडीएफसी से धन निकालते हैं। यह निधि एससीए द्वारा विभिन्न वित्तपोषण योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 3.5% प्रतिवर्ष की दर से अग्रिम के रूप में आहरित की जाती है। ऋण नीति के अनुसार, निधि का उपयोग आहरण की तारीख से 3 महीने के भीतर किया जाना है और लाभार्थियों की सूची के साथ उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है। उपयोग विवरण प्रस्तुत करने पर, एससीए द्वारा वास्तविक योजनावार निधि उपयोग के आधार पर ब्याज दर निर्धारित की जाती है। यदि निधि 3 महीने के बाद अप्रयुक्त रहती है, तो निधियों का समय पर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एससीए से 6.5% प्रति वर्ष की दर से उच्च ब्याज दर लिया जाता है। दुर्लभ स्थिति में, यदि निधि 6 महीने के बाद भी अप्रयुक्त रहती है, तो 8.5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लिया जाता है और अप्रयुक्त निधियों के तत्काल अभ्यर्पण के लिए राज्य सरकार को एक प्रति के साथ एससीए को रेड कार्ड

नोटिस भेजा जाता है। एनएमडीएफसी में इसकी नियमित रूप से निगरानी की जाती है और पहले से आहरित निधियों के लिए उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही एससीए को आगे निधि संवितरण पर विचार किया जाता है।"

9.3 लाभार्थियों से ऋण की वसूली की निगरानी के लिए एससीए द्वारा अपनाई गई पद्धति के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने बताया कि:-

"एससीए को लाभार्थियों की पहचान हेतु अपेक्षित स्वतंत्रता और लचीलापन, ऋण की स्वीकृति और वितरण हेतु शक्तियां प्रत्यायोजित की गई है, जिसके लिए ऋण नीति के तहत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। एससीए को सलाह दी गई है कि वे लाभार्थियों से वसूली का ट्रैक रखने और आवधिक निगरानी हेतु अपने कार्यालय के में अलग से एक वसूली प्रकोष्ठ बनाएं। इस प्रकार, एससीए को लाभार्थियों से ऋण की वसूली करने और एनएमडीएफसी को चुकाने का अधिकार प्रदान किया गया है। एनएमडीएफसी आवधिक प्रभाव अध्ययन के माध्यम से लाभार्थियों से वास्तविक वसूली के बारे में प्रतिक्रिया प्राप्त करता है और एससीए को पर्याप्त उपाय करके वास्तविक स्तर पर वसूली में सुधार करने की सलाह देता है।"

9.4 इस संबंध में, एनएमडीएफसी के सीएमडी द्वारा साक्ष्य के दौरान समिति को बताया गया था कि:-

“मैडम, हमने वर्ष 2019 में एक एमआईएस पोटर्ल बनाया है, जो कि लाइव है, जिसका एक्सेस हमने सारे स्टेट चैलनलाइज़िंग एजेंसीज़ को दे दिया है। आज तक 25 स्टेट चैनलाइज़िंग ऐजेंसीज़ उसके ऊपर रजिस्टर्ड हैं और 19 ऐसी हैं, जिन्होंने अपना एक्चअलु डेटा उसके ऊपर डाल दिया है। इस पोटर्ल के माध्यम से सेक्टर वाइज़, ट्रेड वाइज़ एक्टिविटीज़, आधार नंबर वाइज़, एसएजी वाइज़, कम्युनिटी वाइज़, जेंडर वाइज़, एरिया वाइज़, एससी वाइज़, सारे बेनेफिशरीज का डेटा और रिपोर्ट हम जेनेरेट कर सकते हैं। बाकी एससीए को भी हम पुरस्कार दे रहे हैं कि वे जल्दी से जल्दी अपने बेनेफिशरीज का डेटा इस पोटर्ल पर डाल दें।”

9.5 एनएमडीएफसी योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी के लिए विकास और अनुसंधान सेवा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सुझाए गए अनुसार राष्ट्रीय स्तर के पोर्टल और एससीए की वेबसाइटों की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने बताया कि:-

> "एनएमडीएफसी ने सॉफ्टवेयर के विकास के लिए बोलियां आमंत्रित करने के लिए एक खुली निविदा जारी की थी। यह प्रक्रिया मूर्त रूप नहीं ले सकी क्योंकि इसकी लागत ₹50.00 लाख से अधिक थी। मंत्रालय के अनुदेशों पर एनएमडीएफसी ने सॉफ्टवेयर के विकास के लिए एनआईसी/एनआईसीएसआई के साथ परामर्श शुरू कर दिया है। कोविड महामारी के कारण इस प्रक्रिया में देरी हुई है।"

9.6 जहां तक एससीए की वेबसाइटों की वर्तमान स्थिति का संबंध है, ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

क्रम सं.	राज्य	एससीए	वेबसाइट की स्थिति	वेबसाइट का यूआरएल
1	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एपीएसएमएफसी)	लाइव	https://apsmfc.ap.gov.in/
2	असम	असम अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एएमडीएफसी)	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
3	बिहार	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम (बीएसएमएफसी)	लाइव	https://bsmfc.org/
4	चंडीगढ़	चंडीगढ़ अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम (सीएससीबीसीएमएफडीसी)	लाइव	chdsw.gov.in
5	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यवसाई सहकारी वित्त एवं विकास निगम (सीजीएसएएसवीएन)	लाइव	www.cgscaantyavasai.com
6	दिल्ली	दिल्ली एससी/एसटी/ओबीसी अल्पसंख्यक एवं विकलांग वित्तीय एवं विकास निगम (डीएसएफडीसी)	लाइव	http://web.delhi.gov.in/wps/wcm/connect/doit_dsfdc/DSFDC/Home/
7	गुजरात	गुजरात अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम (जीएमएफडीसीसी)	लाइव	https://gmfdconline.gujarat.gov.in/
8	हरियाणा	मेवात विकास एजेंसी (एमडीए)	लाइव	www.mda.nic.in
9	हरियाणा	एचबीसीकेएन (हरियाणा पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम प्रा. लिमिटेड)	लाइव	https://hbckn.org.in/mainAll.php
10	हिमाचल प्रदेश	एच.पी. अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	लाइव	http://www.minority.hp.gov.

		(एचपीएमएफडीसी)		in/
11	झारखण्ड	झारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम (जेएसएमडीएफसी)	लाइव	http://www.jsmfdc.com/
12	जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू एवं कश्मीर महिला विकास निगम (जेकेडब्ल्यूडीसी) जम्मू एवं कश्मीर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और पि.व. विकास निगम (जेकेएससीएसटीबीसीडीसी) जम्मू-कश्मीर उद्यमिता विकास संस्थान (जेकेईडीआई)	वर्तमान में कार्य नहीं कर रही	www.jkwdc.com
13	जम्मू एवं कश्मीर		लाइव	www.jkscstbccorp.in
14	जम्मू एवं कश्मीर		लाइव	www.jkedi.org
15	जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख वित्त निगम (जेकेएलएफसी)	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
16	केरल	केरल राज्य पिछड़ा वर्ग विकास निगम (केएसबीसीडीसी)	लाइव	www.ksbcdc.com
17	केरल	केरल राज्य महिला विकास निगम (केएसडब्ल्यूडीसी)	लाइव	www.kswdc.org
18	केरल	केरल राज्य मत्स्य विकास सहकारी संघ (मत्सयफेड)	लाइव	https://matsyafed.in/
19	केरल	केरल राज्य अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (केएसएमडीएफसी) कर्नाटक अल्पसंख्यक विकास निगम (केएमडीसी) मौलाना आजाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास निगम (एमएएवीएम)	लाइव	www.ksmdfc.org
20	कर्नाटक		लाइव	http://kmdc.karnataka.gov.in/
21	महाराष्ट्र		लाइव	www.mamfdc.maharashtra.gov.in
22	मिजोरम	मिजोरम सहकारी एपेक्स बैंक (एमसीएबी)	लाइव	www.mizoapex.com
23		ज़ोरम औद्योगिक विकास निगम (जिडको)	लाइव	https://zidco.mizoram.gov.in/
24	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम	लाइव	http://bcwelfare.mp.nic.in/
25	मणिपुर	मणिपुर अल्पसंख्यक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक विकास सोसाइटी	लाइव	http://www.manipurminority.gov.in/
26	नागालैंड	नागालैंड औद्योगिक विकास निगम (एनआईडीसी)	लाइव	http://industry.nagaland.gov.in/
27	नागालैंड	नागालैंड हथकरघा और हस्तशिल्प विकास निगम (एनएचएचडीसी)	लाइव	-
28	नागालैंड	नागालैंड राज्य समाज कल्याण बोर्ड (एनएसएसडब्ल्यूबी)	लाइव	http://dsw.nagaland.gov.in
29	ओडिशा	ओडिशा पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहाकारी निगम (ओबीसीएफडीसी)	उपलब्ध नहीं	
30	पंजाब	पंजाब राज्य पिछड़ा वर्ग भूमि विकास एवं वित्त निगम (बैकफिनको)	लाइव	https://backfinco.punjab.gov.in/
31	पुडुचेरी	पुडुचेरी पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विकास निगम	कार्य नहीं कर रही	www.pbcmdc.gov.in

32	राजस्थान	राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम (आरएमएफडीसीसी)	लाइव	https://minority.rajasthan.gov.in/rmfdcc/Index.aspx
33	तमिलनाडु	तमिलनाडु अल्पसंख्यक आर्थिक विकास निगम (टैम्को)	लाइव	https://tamco.tn.gov.in/
34	त्रिपुरा	त्रिपुरा अल्पसंख्यक सहकारी विकास निगम (टीएमसीडीसीएल)	लाइव	https://tmcdcl.tripura.gov.in/
35	उत्तर प्रदेश	यूपीएमएफडीसी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
36	उत्तराखंड	उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम	लाइव	http://www.alpsankhyak.org.in/
37	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम	लाइव	https://www.wbmdfc.org/
38	गोवा	गोवा राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
39	सिक्किम	सिक्किम अजा, अजजा, अपिव विकास निगम लि.	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

9.7 यह पूछे जाने पर कि मंत्रालय सभी एससीए द्वारा एमआईएस पोर्टल पर अपलोड नहीं किए जा रहे डेटा की अनुपस्थिति में निगरानी को प्रभावी बनाने का प्रयोजन कैसे रखता है, मंत्रालय ने बताया कि:-

> "अब तक 19 एससीए ने एनएमडीएफसी के एमआईएस पोर्टल पर लाभार्थी डेटा ऑनलाइन अपलोड किया है। कोविड महामारी के कारण प्रक्रिया में देरी हुई है और शेष एससीए से लाभार्थी डेटा अपलोड करने का अनुरोध किया जा रहा है। वर्तमान में, एससीए से ईमेल के माध्यम से और हार्ड कॉपी में प्राप्त आंकड़ों का रखरखाव एनएमडीएफसी द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण एससीए द्वारा उनके द्वारा आहरित निधियों की तुलना में निधि के उपयोग का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा, एनएमडीएफसी द्वारा तीसरे पक्ष की स्वतंत्र एजेंसी को शामिल करके किए गए प्रभाव अध्ययन के दौरान लाभार्थी डेटा का उपयोग निगरानी हेतु नमूने के रूप में भी किया जाता है।"

9.8 पिछले तीन वर्षों के दौरान एनएमडीएफसी द्वारा प्राप्त शिकायतों की संख्या और प्रकृति के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने बताया कि:-

"पिछले तीन वर्षों के दौरान, एनएमडीएफसी में 38 शिकायतें प्राप्त हुई थीं और सभी को सुलझाया गया था और निपटान किया गया था। प्राप्त शिकायतों में ऋण की स्वीकृति के पूर्व अपने संसाधनों से भुगतान किए गए शिक्षा ऋण की पहली किस्त की प्रतिपूर्ती के लिए अनुरोध, हुनर हाट के दौरान स्टाल का आवंटन, अल्पसंख्यक समुदायों के संबंध में बैंकों द्वारा ऋण आवेदन के प्रसंस्करण में विलंब, ऋण आवेदन की अस्वीकृति शामिल है क्योंकि यह निर्धारित प्रारूप में और आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है, आदि।"

9.9 एनएमडीएफसी द्वारा शिकायत निवारण के लिए अपनाए गए तंत्र के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने निम्नवत बताया:-

"केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और प्रबंधन प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) एक वेब आधारित पोर्टल है जो नागरिकों को उनकी शिकायतों के निवारण के लिए एक मंच प्रदान करता है। सीपीजीआरएएमएस बॉटम-अप तंत्र का उपयोग करके संबंधित प्राधिकारी से सीधे किसी सेवा के विरुद्ध शिकायत का निवारण करता है। एनएमडीएफसी द्वारा समयबद्ध तरीके से शिकायत की नियमित रूप से निगरानी और निपटान किया जाता है।"

9.10 समिति ने पाया है कि एनएमडीएफसी स्कीमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने, स्वतंत्र विशेषज्ञ एजेंसियों के माध्यम से लाभार्थियों के सत्यापन और प्रभाव अध्ययन करने के लिए एससीए के साथ आवधिक बैठकों का आयोजन करता है और एससीए को सभी योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए संबंधित वेबसाइटों पर अपने लाभार्थी डेटा रखने का निर्देश देता है। समिति यह भी नोट करती है कि एनएमडीएफसी एससीए को वितरित की गई निधियों के उपयोग की निगरानी करता है क्योंकि आगे निधि संवितरण पहले आहरित निधियों के लिए उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर आधारित है। इसके साथ ही एससीए को लाभार्थियों की पहचान करने में अपेक्षित स्वतंत्रता और लचीलापन, ऋणों की स्वीकृति और संवितरण तथा वसूलियों के लिए प्रत्यायोजित शक्तियां प्रदान की गई हैं। समिति यह जानकर आश्चर्यचकित है कि एक कठोर निगरानी तंत्र के बावजूद, एससीए द्वारा चूक के कई उदाहरण हैं और लाभार्थियों की संख्या इतनी कम है कि 10513 करोड़ रुपये के

एनपीए हैं और लाभार्थियों पर 22385 करोड़ रुपये की राशि अतिदेय है। पंजाब, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, मिजोरम, असम, पुडुचेरी आदि जैसे कई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने चूक की है। समिति का यह दृढ़ मत है कि एक राष्ट्रीय स्तर का पोर्टल, जिसे विकसित करने का प्रस्ताव है, सूचना को आसानी से उपलब्ध कराने में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है और किसी भी चूक के मामले में त्वरित निर्णय लेने में मदद कर सकता है। तथापि, इस संदर्भ में समिति यह नोट कर व्यथित है कि एनएमडीएफसी ने सॉफ्टवेयर के विकास के लिए बोलियां आमंत्रित करने के लिए निविदाएं जारी की थीं लेकिन यह प्रक्रिया मूर्त रूप नहीं ले सकी क्योंकि इसकी लागत को काफी अधिक माना गया। समिति आशा करती है कि निविदाएं फिर से जारी की जाएंगी। समिति इसकी सराहना करेगी यदि इस मामले पर एनआईसी/एनआईसीएसआई के साथ परामर्श में तेजी लाई जाती है और सॉफ्टवेयर को बिना किसी विलंब के समयबद्ध तरीके से विकसित किया जाता है। समिति यह भी सुझाव देना चाहेगी कि एक बार विकसित हो जाने के बाद, सभी एससीए को एनएमडीएफसी के एमआईएस पोर्टल पर लाभार्थी डेटा ऑनलाइन अपलोड करने के लिए कहा जाना चाहिए ताकि निर्णय लेने और भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए जानकारी आसानी से सुलभ हो सके। समिति को राष्ट्रीय स्तर के पोर्टल के संबंध में किए गए उपायों और आने वाले समय में एनएमडीएफसी के एमआईएस पोर्टल पर लाभार्थी डेटा को अपलोड करने के परिणाम से अवगत कराया जाए।

नई दिल्ली; रमा देवी,

अगस्त, 2022 सभापति,

श्रावण, 1944 (शक) सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी

स्थायी समिति।

****

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति की मंगलवार, 2 अगस्त , 2022 को हुई चौदहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक 1030 बजे से 1100 बजे तक सभापति कक्ष संख्या 113, संसदीय सौध विस्तार भवन, नई दिल्ली में हुई ।

उपस्थित

श्रीमती रमा देवी- सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्रीमती संगीता आजाद
3. श्री भोलानाथ 'बी.पी. सरोज
4. श्रीमती प्रमिला बिसाई
5. श्री थोमस चाज़िकाडन
6. श्री वाई. देवेन्द्रप्पा
7. श्रीमती रंजीता कोली
8. श्रीमती गीता कोडा
9. श्री विजय कुमार
10. श्री अक्षयवर लाल
11. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले

राज्य सभा

12. श्रीमती रमिलाबेन बेचारभाई बारा
13. श्री अबीर रंजन बिस्वास
14. श्रीमती गीता उर्फ चंद्रप्रभा
15. श्री एन. चंद्रशेखरन
16. श्री नारायण कोरागप्पा

सचिवालय

1.	श्रीमती अनीता बी. पांडा	-	अपर सचिव
2.	श्री टी एस रंगराजन	-	संयुक्त सचिव
3.	श्रीमती ममता केमवाल	-	निदेशक
4.	श्री कृषेन्द्र कुमार	-	उप सचिव

2. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें अवगत कराया कि बैठक निम्नलिखित प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार करने और उन्हें स्वीकार करने के लिए बुलाई गई है:

(i) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का 'राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एनएमडीएफसी) के कार्यकरण की समीक्षा' विषय संबंधी 35वां प्रतिवेदन।

(ii) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) से संबंधित दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन के लिए योजना का मूल्यांकन (एसआईपीडीए) विषय पर समिति के तैंतीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 36वां प्रतिवेदन।

(iii) जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदान की मांगों (2022-23) संबंधी समिति के तीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 37वां प्रतिवेदन।

3. तत्पश्चात्, सभापति ने सदस्यों से अनुरोध किया कि वे प्रतिवेदनों के प्रारूप पर अपने सुझाव, यदि कोई हों, दें। समिति द्वारा प्रतिवेदन को बिना किसी संशोधन के स्वीकार किया गया।

4. तत्पश्चात्, समिति ने सभापति को प्रारूप प्रतिवेदन के तथ्यात्मक सत्यापन से उत्पन्न होने वाले परिणामी परिवर्तनों के आलोक में प्रतिवेदन के प्रारूप को अंतिम रूप देने और इसे दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया।

<u>तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।</u>

परिशिष्ट

प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों /सिफारिशों का विवरण

क्रम सं.	पैरा सं.	टिप्पणियां/ सिफारिशों
1	2.10	समिति यह पाती है कि 1994 में एनएमडीएफसी की शुरूआत से अब तक इसकी इक्विटी संरचना में छह बार संशोधन किया गया है और यह 500 करोड़ रूपये से 3000 करोड़ रुपये हो गई है। अंतिम संशोधन फरवरी 2015 में किया गया था। तथापि, केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों की अधिकृत शेयर पूंजी अब तक अंतिम स्तर तक नहीं पहुंची है। 31.05.2022 तक केंद्र सरकार ने 89.95 प्रतिशत का योगदान किया है जबकि राज्य सरकारों ने 49.79 प्रतिशत मात्र का योगदान दिया है। समिति यह नोट कर व्यथित है कि कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों यथा अरुणाचल प्रदेश, गोवा, लक्षद्वीप, मेघालय, सिक्किम, तेलंगाना तथा अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह में एनएमडीएफसी की इक्विटी में एक पैसे का भी योगदान नहीं किया। समिति यह भी नोट करती है कि आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश ने अत्यंत कम धनराशि का योगदान दिया है। समिति यह नोट कर आश्चर्य व्यक्त करती है कि एनएमडीएफसी द्वारा राज्य सरकारों की इक्विटी को अधिकतम करने के लिए किए गए सारे प्रयत्न व्यर्थ हो गए। समिति यह बात अब तक समझ नहीं पायी है कि बार-बार सम्पर्क किए जाने के बावजूद राज्य सरकारों का व्यवहार इस प्रकार असहयोगात्मक रहा है। संभव है, राज्य इससे अच्छी तरह अवगत हैं कि निधियों की उपलब्धता से एनएमडीएफसी राज्यों में रहने वाले लक्षित वर्गों के हित में सरकार की कल्याण योजनाओं को वित्तपोषित करने की अपनी क्षमता को बढ़ाने में सफल होगा। इसलिए उन्हें योगदान करना चाहिए। इसलिए समिति सिफारिश करती है इस मुद्दे को उच्चतम स्तर पर उठाया जाना चाहिए ताकि योगदान करने में चूक गये राज्यों से

		योगदान लिया जा सके। समिति यह भी चाहती है कि मंत्रालय एनएमडीएफसी की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के वंचित तबकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए उचित उपाय करे। समिति नोट करती है कि एनएमडीएफसी ने अधिकृत शेयर पूंजी को 3000 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5000 करोड़ रुपये करने के लिए मंत्रालय से संपर्क किया है। समिति इच्छा व्यक्त करती है कि समिति इसकी अविलम्ब जांच करें और इस पर निर्णय लें ताकि एनएमडीएफसी की अधिकृत पूंजी के वृद्धि करने संबंधी प्रस्ताव मंजूर हो सके।
2	3.25	समिति यह नोट करने को विवश है कि एनएमडीएफसी की क्रेडिट योजनाएं नामत: सावधि ऋण योजना, शिक्षा ऋण योजना, विरासत योजना और लघु-वित्तपोषण योजना जो स्वरोजगार और आय-सृजन क्रियाकलापों के लिए रियायती दरों पर ऋण प्रदान करने के लिए है, से अधिसूचित अल्पसंख्यक आबादी को लाभ नहीं मिला है जिनकी संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 23 करोड़ से अधिक है। समिति यह भी नोट कर व्यथित है कि महाराष्ट्र, बिहार, असम, उड़ीसा और तेलंगाना जहां अल्पसंख्यक आबादी पर्याप्त मात्रा में है, में भी एनएमडीएफसी की सभी ऋण योजनाओं के अंतर्गत कोई लाभग्राही नहीं है। समिति को दी गई जानकारी के अनुसार सावधि ऋण योजना 17 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, शिक्षा ऋण योजना 14 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और विरासत योजना मात्र 3 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तक पहुंची है। समिति महसूस करती है शायद इन योजनाओं के क्रियान्वयन में ही दोष है क्योंकि ऐसा नहीं माना जा सकता कि सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में अल्पसंख्यक समुदायों की तरफ से कोई मांग नहीं है। इसलिए समिति महसूस करती है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को अपनी क्रियान्वयन रणनीति की पुन: जांच करने की आवश्यकता है और उन कारकों को पहचानने की जरूरत है जो सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इन योजनाओं को लोकप्रिय बनाने में बाधा बन गये है तथा कमियों को दूर करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की जरूररत है।

		समिति यह भी सुझाव देती है कि शायद राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही इसी तरह की समान योजनाएं अधिक सफल है, इसलिए एनएमडीएफसी योजनाओं की उपयोगिता की जांच राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा चलाई जा रही समान योजनाओं के आलोक में की जाए तथा यदि ऐसा पाया जाता है कि इन योजनाओं को राज्य सरकार की समान योजनाओं के ऊपर वरीयता नहीं दी जा रही है तो इन्हें समाप्त कर दिया जाए/नवीनीकृत किया जाए। समिति को इस बारे में मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई के परिणामों से अवगत कराया जाए।
3	3.26	एनएमडीएफसी अल्पसंख्यक समुदायों के पात्र व्यक्तियों को रोजगारोन्मुख शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए आशय से शिक्षा ऋण प्रदान करता है। समिति यह जानकर आश्चर्यचकित है कि गत पांच वर्षों में केवल 16011 लाभग्राहियों ने एनएमडीएफसी की शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त की है। इसके अलावा मंत्रालय ने 14 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से ही शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत लाभग्राहियों की जानकारी दी। समिति यह नोट कर अत्यंत क्षुब्ध है कि अल्पसंख्यक समुदायों की विशाल आबादी वाले राज्यों यथा महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब और असम में शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत एक भी लाभार्थी नहीं है और आश्चर्य व्यक्त करती है कि क्या योजना के बारे में पर्याप्त जागरूकता नहीं है। समिति यह भी पाती है कि शिक्षा ऋणों के लिए प्राप्त कुछ आवेदनों पर आवश्यक कागजात जमा नहीं करने के कारण विचार नहीं किया गया। समिति यह महसूस करती है कि आवेदकों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए एनएमडीएफसी/एससीए द्वारा हर प्रयत्न किया जाऐ ताकि उनके आवदेन कागजातों की कमी के कारण अस्वीकार न किए जाए, विशेषकर इस स्थिति में जबकि शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत उपलब्धि अत्यन्त निराशाजनक है। समिति इस बात पर अत्यंत नाराजगी व्यक्त करती है कि एससीए के पास उन अभ्यर्थियों का आंकड़ा नहीं है जिन्होंने एनएमडीएफसी से प्राप्त ऋण से अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद लाभप्रद रोजगार प्राप्त किया हैं क्योंकि इस प्रकार

		के आंकड़े से न केवल योजना के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की सफलता का पता चलेगा बल्कि यह भी सुनिश्चित होगा कि स्वीकृत ऋण को लाभार्थियों द्वारा लौटाया जाता है अन्यथा लाभार्थियों के लम्बे समय तक बेरोजगार रहने के मामले में ऋण के वापस न होने की स्थिति बन सकती है। समिति की दृढ मत है कि शिक्षा की बढ़ती लागत के मद्देनजर शिक्षा ऋण की मात्रा का आवधिक आधार पर आकलन किए जाने की आवश्यकता है ताकि ऋण प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को अपने अध्ययन के दौरान वित्तीय संकट का सामना न करना पड़े और वे बीच में अपनी शिक्षा अधूरी न छोड़ दें।
4	3.27	समिति यह नोट करती है कि 2018-19 में विरासत योजना की शुरूआत कारीगरों को कार्यशील पूंजी के संदर्भ में क्रेडिट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की गई थी क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय के अनेक कारीगर कच्ची सामग्री खरीदने के लिए कार्यशील पूंजी को पूरा करने में नकदी के संकट का सामना करते हैं। समिति को ऐसा लगता है कि शुरूआत में यह योजना नही चली क्योंकि 2018-19 और 2019-20 में क्रमश: इस योजना के तहत जम्मू-कश्मीर से मात्र 8 व्यक्ति और गुजरात से 73 व्यक्ति इसका लाभ ले सकें। तथापि बाद में इस योजना में केनरा बैंक के सहयोग से गति आई क्योंकि उन्होने कथित तौर पर 2021-22 में 298 कारीगरों को सहायता प्रदान की। समिति को विश्वास है कि चूंकि योजना सापेक्षिक रूप से नई है और 2018-2021 की अवधि के अधिकांश भाग के दौरान कोविड महामारी फैली थी इसलिए यह योजना अच्छी तरह से कार्यनिष्पादित नहीं हो पायी। तथापि लाभार्थियों की संख्या में हाल में काफी वृद्धि होने से समिति को आशा है कि योजना सफल होगी क्योंकि केनरा बैंक के सहयोग से इसमें उत्साहजनक परिणाम देखने को मिले हैं। समिति चाहती है कि योजना के साथ और अधिक सरकारी क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जुड़े ताकि पूरे देश के शिल्पकारों और परंपरागत कारीगर इसका लाभ उठा सके। समिति यह भी चाहेगी कि मंत्रालय कारीगरों के बीच विशेषकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रभावी उपाय करें ताकि कई क्षेत्रीय परंपरागत शिल्पकारी जो

		विलुप्त होने के कगार पर है उन्हें बचाया जा सके। मंत्रालय को अल्पसंख्यक समुदाय के कारीगरों के बीच योजना को ओर बढावा देने के लिए अपेक्षित सुधार लाने हेतु सभी हितधारकों से फीडबैक/सुझाव भी लेने चाहिए।
5	3.28	समिति यह देखकर चिंतित है कि केवल आठ राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से लाभार्थियों ने सूक्ष्म वित्तीय योजना के अंतर्गत 2015-16 से ऋण लिया है और योजना के अंतर्गत स्वीकृत ऋण पर लिया गया ब्याज दर क्रेडिट लाइन-1 ने 7 प्रतिशत और क्रेडिट लाइन-2 में 10 प्रतिशत है। अधिकतम लाभार्थी पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और जम्मू और कश्मीर से संबंधित हैं। समिति का दृढ मत है कि राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों द्वारा लाभार्थियों से लिया गया 7 प्रतिशत और 10 प्रतिशत ब्याज दर थोड़ा अधिक है क्योंकि योजना का उद्देश्य स्वसहायता समूह के गरीब सदस्यों की जरूरतों को पूरा करना है जिससे वे अपनी आजीविका चला सके। विशेषकर जब एनएमडीएफसी द्वारा प्रभावित ब्याज एससीएस से केवल 1 प्रतिशत है। सूक्ष्म वित्तीय योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए समिति का मत है कि लिये जाने वाले ब्याज दर की पुन: जांच और समीक्षा करने की जरूरत है ताकि बड़ी संख्या में लोगों को योजना की ओर आकर्षित किया जा सके। समिति सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए किए गये उपायों से अवगत होना चाहेगी।
6	4.7	एनएमडीएफसी देश में राज्यल चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से प्रोत्साहनात्मक योजनाएं यथा महिला समृद्धि योजना और बाजार सहायता योजना चला रही है। महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत किसी उपयुक्त महिला अनुकूल क्राफ्ट क्रियाकलाप में लगभग 20 महिलाओं के समूह को प्रशिक्षण दिया जाता है जबकि बाजार सहायता योजना में एनएमडीएफसी राज्यं चैनलाइजिंग एजेंसियों को चुनिंदा स्थानों में राज्य /जिला स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन करने में सहायता देती है। समिति यह देखकर आश्चयर्यचकित है कि पिछले 5 वर्षों के दौरान महाराष्ट्र, राजस्थाआन, त्रिपुरा, उत्तराखंड, जम्मू व कश्मीर और उत्तर प्रदेश से केवल 1214 महिलाएं योजना से लाभान्वित हुई। समिति

		आयोजित प्रदर्शनियों की बारंबारता से भी आश्च2र्यचकित है क्योंकि बाजार सहायता योजना के अंतर्गत 2016-17 से 2020-21 की 6 वर्ष की अवधि में जम्मू व कश्मीर, केरल, गुजरात, नागालैंड और राजस्थान में केवल 17 प्रदर्शनी आयोजित की गई। समिति इन योजनाओं की धीमी प्रगति के कारण और योजनाओं के खराब निष्पादन के लिए जिम्मेदार खामियों को दूर करने के लिए एनएमडीएफसी की परिकल्पित कार्य के बारे में अवगत होना चाहती है। समिति महसूस करती है कि केवल राज्य् चैनलाइजिंग एजेंसियों को इन योजनाओं के खराब क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए क्योंकि मंत्रालय से आशा की जाती है कि वह अपनी योजनाओं को सफल बनाने के लिए ठोस और लगातार प्रयास करेगी। चूंकि योजनाओं के समग्र निष्पादन की जिम्मेदारी मंत्रालय और एनएमडीएफसी की है इसलिए समिति चाहती है कि वे कार्रवाई करें ताकि अल्पसंख्यक महिलाओं को पर्याप्त प्रशिक्षण देने के बाद सूक्ष्म ऋण सहायता और अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को विपणन संबंधी सहायता देने का उच्चर उद्देश्यप असफल न हो।
7	5.28	समिति नोट करती है कि एनएमडीएफसी की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों द्वारा नामित राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) द्वारा किया जाता है। ये एससीए कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत निगम हैं और एससीए को निधियां संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों द्वारा जारी सॉवरेन गारंटी के आधार पर दी जाती है। एनएमडीएफसी की 27 राज्यों और 8 संघ राज्य क्षेत्रों में 45 एससीए हैं। वर्तमान में 39 एससीए कार्यरत हैं जबकि 6 एसीए सामान्य करार लंबित होने और संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से सॉवरेन गारंटी नहीं दिए जाने जैसे कारणों से कार्यशील नहीं है। समिति नोट करती हैं कि एमडीएफसी के भरसक प्रयासों के बावजूद बड़ी संख्या में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों यथा असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा,

		नागालैंड, मिजोरम, पंजाब, पुदुचेरी, त्रिपुरा, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कार्यशील नहीं बनाए जा सके क्योंकि वे बकाया राशि का निपटारा नहीं कर सके। समिति पाती है कि एनएमडीएफसी ने अगस्त 2021 में अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए केनरा बैंक के साथ समझौता किया है। अब तक इस प्रयोग ने योजनाओं का क्रियान्वयन करने में सहायता दी है। तथापि समिति को आशंका है कि चूंकि बैंकों को अपना व्यवसाय भी चलाना होता है इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बैंक एनएमडीएफसी की योजनाओं को उचित ध्यान और महत्व दे। समिति यह भी महसूस करती है कि एनएमडीएफसी को अन्य क्षेत्रीय बैंकों के साथ समझौता करने की संभावना भी तलाशनी चाहिए। समिति का यह भी मत है कि राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की भूमिका एनएमडीएफसी की योजनाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि योजनाएं कल्याणोन्मुख हैं और इन योजनाओं का सफल क्रियान्वयन लक्षित वर्गो के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को परिलक्षित करता है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि न्यूनतम रूचि/उदासीनता दिखाने वाली सरकारों को योजनाओं के संभावी लाभों के बारे में समझाना चाहिए और उन्हें इसमें शामिल किया जाना चाहिए ताकि मुद्दे, यदि कोई हो, तो उनका समाधान हो सके और उनके द्वारा इन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा सके।
8	5.29	समिति यह नोट करने के लिए बाध्य है कि एनएमडीएफसी की एससीए ऋण स्वीकृत करने में 30 से 35 दिनों का समय लगता है जबकि एनएमडीएफसी के अन्य सहयोगी निगमों ने ऋण स्वीकृत करने और उसके वितरण के लिए 120 दिनों का समय निर्धारित किया है। यद्यपि यह थोड़ा लंबा समय है जबकि बैंक सामान्यत: ऋण स्वीकृत करने के लिए 15 से 20 दिनों का समय लेते हैं। समिति इस तर्क से सहमत नहीं है कि ऋण के स्वीकृत करने की धीमी प्रक्रिया एससीए के

		पास क्षेत्र संबंधी अवसंरचना और श्रम शक्ति की अनुपलब्धता और ऑटोमेशन की कमी के कारण है क्योंकि मंत्रालय के पास एससीए के ऋण परिदान प्रणाली और वसूली अवसंरचना को मजबूत बनाने के लिए सहायता अनुदान देने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, अब राज्यों ने वित्तीय कार्य के लिए सुदृढ़ ऑटोमेटेड प्रणाली विकसित की है। समिति का सुदृढ़ मत है कि ऋण प्रक्रिया को सरल बनाने/गति प्रदान करने के लिए एनएमडीएफसी को एससीए के लिए उपयुक्त कदम का सुझाव देने की जरूरत है क्योंकि ऋण की स्वीकृति में लगने वाले समय को काफी कम किया जाना चाहिए। आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज को सरल बनाने और ऋण प्रक्रिया के ऑटोमेशन, ऋण स्वीकृति के लिए प्राधिकार को विकेन्द्रित करने आदि के लिए एससीए को जारी किए गए हाल के एडवाइजरी पर टिप्पणी करना समिति के लिए बहुत जल्दी हो सकता है जब तक कि एससीए/एनएमडीएफसी द्वारा ऋण स्वीकृति में वर्तमान में लिया जाने वाला समय वास्तव में घटाकर 15 से 20 दिन पहले न कर दिया जाए। इसलिए समिति करवाई चरण में इस एडवाइजरी के प्रभाव के बारे में जानना चाहेगी। समिति सिफारिश करती है कि एनएमडीएफसी ऋण प्रक्रिया की निगरानी के लिए तंत्र का विकास करने में अब समय न गवाएं और यह सुनिश्चित करें कि उनके सुझाव गए कदमों पर एससीए द्वारा अनुपालन किया जाए तथा ऋण स्वीकृत करने में लगने वाले समय में कमी की जाए।
9	5.30	समिति यह देखकर काफी चिंतित है कि एनएमडीएफसी की गैर-निष्पादनकारी आस्तियां के एस.सी.ऐ./एन.जी.ओ. के संदर्भ में 18.16 करोड रुपए है और 31 मार्च 2022 तक की स्थिति के अनुसार राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र की प्रशासनों पर 223.85 करोड़ रुपये की राशि बकाया है। समिति यह नहीं समझ पा रही है कि एनएमडीएफसी का

		एनपीए क्योंर है और राज्यों/संघ राज्यम क्षेत्रों पर इतना अधिक बकाया राशि लंबित क्यों है, विशेषकर जबकि एनएमडीएफसी में एससीए के खातों के लिए एकबारगी निपटान योजना और लंबित बकाया राशि की भुगतान पुन: सूची बनाने का विकल्प है। इसके साथ ही, समिति को विश्वास है कि एनएमडीएफसी द्वारा शायद ही चूककर्ता एससीए को प्रतिबंधित किया जाता है क्योंकि केवल राज्यों द्वारा ही कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा सकती है। इसके बावजूद, प्रयास इस बात पर केंद्रित होना चाहिए कि प्रणाली का विकास किया जाए जो भुगतान में चूक करने के लिए उत्तेरदायी खामी को दूर किया जा सके। बकाया राशि की तीव्र गति से वसूली के लिए समिति चाहती है कि मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ एसएससी के एनपीए/लंबित बकाया राशि के मामले को उठाए और उन्हेंज इस बात के लिए राजी करे कि वे अपने राज्यों में एनएमडीएफसी की योजनाओं के कार्यान्वजयन को शुरू करने के लिए बकाया राशि का निपटान करने के लिए आसान ऋण/अनुदान प्रदान करके अपने संबंधित एससीए की सहायता करे।
10	5.31	समिति यह देखकर आश्चर्यचकित है कि अधिकांश के एससीए में तैनात स्टाफ अपर्याप्त हैं जबकि एससीए के लिए सहायता अनुदान का प्रावधान है। समिति यह भी पाती है कि एससीए के स्टाफ का प्रशिक्षण पर्याप्त नहीं है क्योंकि 2016 से 2019 के बीच केवल 7 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसके बाद, कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया है। तथापि समिति यह भी पाती है कि एनएमडीएफसी ने एससीए के स्टाफ क्षमता या उनके प्रशिक्षण के लिए कोई दिशानिर्देश निर्धारित नहीं किया है। इसलिए, समिति चाहती है कि एनएमडीएफसी प्रत्येक एससीए के लिए न्यूनतम संख्या में स्टाफ निर्धारित करें और यह सुनिश्चित करें कि एसीए के रूप में उन्हें नियुक्त किए जाने से पहले प्रत्येक एससीए की स्टाफ क्षमता और अवसंरचना निर्धारित मानकों के अनुरूप हो। समिति यह भी चाहेगी कि एनएमडीएफसी एससीए स्टाफ के लिए आवधिक आधार पर प्रशिक्षण आयोजित करें और प्रत्येक

		एससीए को विशेष अंतराल पर स्थानीय आधार पर प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए निर्देश भी दे।
11	6.7	समिति नोट करती है कि मंत्रालय द्वारा एनएमडीएफसी के माध्यम से एससीए को वार्षिक रूप से निर्धारित 2.00 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है। तथापि, वर्ष 2016-17, 2017-18, 2019-20 के दौरान सहायता अनुदान के अंतर्गत स्वीकृत राशि क्रमशः 1.27 करोड़ रुपये, 0.30 करोड़ रुपये और 1.925 करोड़ रुपये थी और इसे वर्ष 2020-21 में 2.00 करोड़ रुपये से घटाकर आरई चरण में 0.965 करोड़ रुपये कर दिया गया था। समिति का दृढ़ विश्वास है कि चूंकि एनएमडीएफसी की विभिन्न स्कीमों को एससीए के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है, इसलिए एससीए के क्षमता निर्माण के लिए अवसंरचना, पर्याप्त जनशक्ति, कंप्यूटरीकरण और मजबूत तंत्र एनएमडीएफसी/मंत्रालय की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। मंत्रालय ने समिति के समक्ष पहले ही स्वीकार कर लिया है कि एनएमडीएफसी की योजनाओं के खराब कार्यान्वयन का एक कारण एससीए की कमजोर अवसंरचना है। यह चिंता का विषय है कि निधियों की उपलब्धता के बावजूद इनका उपयोग नहीं किया गया। चूंकि एनएमडीएफसी निधियों का संवितरण करने वाला नोडल संगठन है, इसलिए उन्हें कमियों की जांच करनी चाहिए थी और उन्हें समय पर दूर करना चाहिए था ताकि एससीए के अवसंरचना निर्माण के लिए निर्धारित निधियों का पूरा उपयोग किया जा सके। समिति नोट करती है कि विगत पांच वर्षों के दौरान 15 राज्यों में एससीए ने सहायता अनुदान का लाभ उठाया है और इन एससीए को प्रदान की गई सहायता अनुदान का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया था क्योंकि एससीए को दिए गए 633.50 लाख रुपये में से केवल 404.50 लाख रुपये का उपयोग किया गया था। समिति यह जानना चाहती है कि क्या एनएमडीएफसी ने जारी की गई और उपयोग की गई निधियों के बीच इस बड़े अंतर के कारणों का पता लगाने के लिए कोई प्रयास किए हैं। समिति चाहती है कि मंत्रालय/एनएमडीएफसी अपेक्षित निरीक्षण विकसित करे ताकि सहायता अनुदान के लिए निर्धारित

		निधियों का पूरा उपयोग किया जा सके। समिति बजटीय आवंटन में 2.00 करोड़ रुपये से 5.00 करोड़ रुपये तक की वृद्धि के बारे में भी संतुष्ट नहीं है, विशेषकर जब 2016-17, 2017-18, 2019-20 में 2.00 करोड़ रुपये की उपलब्ध निधियों का उपयोग नहीं किया जा सका था। इसलिए समिति चाहती है कि मंत्रालय उचित कदम उठाए ताकि आबंटित निधियों का एससीए की अवसंरचना के उन्नयन के लिए पूर्ण उपयोग किया जा सके।
12	7.11	समिति नोट करती है कि क्रेडिट लाइन-1 के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 98,000/- रुपये और शहरी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपये की वार्षिक पारिवारिक आय वाले अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। क्रेडिट लाइन-2 के अंतर्गत, उन व्यक्तियों के लिए लाभ उपलब्ध हैं जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹ 8.00 लाख तक है। तथापि, समिति यह जानकर आश्चर्यचकित है कि क्रेडिट लाइन-2 के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या क्रेडिट लाइन-1 की तुलना में काफी कम है क्योंकि क्रेडिट लाइन-1 और क्रेडिट लाइन-2 के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या 2017-18 से 2019-20 तक क्रमशः 4,30,557 और 34,892 थी। चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में क्रेडिट लाइन-1 के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या काफी कम है, इसलिए समिति महसूस करती है कि एनएमडीएफसी को क्रेडिट लाइन-1 में शहरी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास करना चाहिए। समिति यह भी चाहती है कि शहरी क्षेत्रों के लिए क्रेडिट लाइन-1 के अंतर्गत लाभार्थियों के लिए वार्षिक पारिवारिक आय सीमा को शहरी क्षेत्रों में बढ़ी हुई औसत वार्षिक पारिवारिक आय पर विचार करने के बाद बढ़ाया जाना चाहिए ताकि आर्थिक रूप से कमजोर अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित अधिक व्यक्तियों को एनएमडीएफसी की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कम ब्याज दर पर लाभ मिल सके। समिति यह भी चाहती है कि क्रेडिट लाइन-2 में गति नहीं आने के कारणों की जांच की जानी चाहिए क्योंकि 2014-15 में निर्धारित वार्षिक आय सीमा को व्यापक पहुंच के लिए 2019-20 में बढ़ा दिया गया था।
13	7.12	समिति ने पाया है कि केरल मॉडल के अंतर्गत एनएमडीएफसी स्कीमों

		के तहत वित्तपोषित लाभार्थियों को बीमा प्रदान करने के लिए एक कोष सृजित किया गया है। केरल मॉडल के अनुरूप, एससीए को लाभार्थी और परिसंपत्तियों के लिए बीमा प्राप्त करने की सलाह दी गई है, ताकि लाभार्थी और उसके परिवार को किसी भी अप्रिय घटना से बचाया जा सके। समिति महसूस करती है कि यदि सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा केरल मॉडल को दोहराया जाता है, तो यह बड़ी संख्या में लाभार्थियों के वित्तपोषण का कार्य करने वाले एससीए को किसी भी चूक से बचाएगा क्योंकि किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में एससीए द्वारा दावे को वसूल किया जा सकता है। परामर्श के अनुरूप, एससीए ने अब हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, त्रिपुरा, चंडीगढ़, मिजोरम, जम्मू और कश्मीर और दिल्ली राज्यों में ऋण के साथ बीमा प्रदान करना शुरू कर दिया है। समिति सिफारिश करती है कि लाभार्थियों और उनकी परिसंपत्तियों के लिए बीमा के प्रावधान को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनाया जाना चाहिए और कार्यान्वित किया जाना चाहिए ताकि लाभार्थियों और एससीए की सुरक्षा की जा सके। समिति इस संबंध में हुई प्रगति से अवगत होना चाहेगी।
14	8.8	समिति नोट करती है कि एससीए को एनएमडीएफसी की योजनाओं के बारे में सूचना का प्रसार करने के लिए उच्च अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में जागरूकता शिविर आयोजित करने की सलाह दी गई है। निर्धारित मानदंडों के अनुसार, प्रत्येक एससीए को प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 50,000/- रुपये प्रति शिविर की दर से 10 जागरूकता शिविर आवंटित किए जाते हैं। समिति यह नोट कर क्षुब्ध है कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर और उत्तराखंड राज्यों में 2015-16 और 2021-22 के बीच केवल 1077 शिविर आयोजित किए जा सके थे। 2015-16, 2016-17 और 2021-22 में केवल 85, 92 और 76 शिविरों का आयोजन किया गया था। समिति उन कारणों को समझना चाहेगी जिनके कारण परिकल्पना अनुसार जागरूकता शिविरों का आयोजन नहीं किया जा सका, जबकि प्रत्येक शिविर के आयोजन के लिए 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी ।

		समिति सिफारिश करती है कि एनएमडीएफसी/मंत्रालय को देश में अल्पसंख्यक बहुल जिलों की पहचान करनी चाहिए जहां एनएमडीएफसी की योजनाएं अच्छी तरह से शुरू नहीं हो पाई हैं और विशेष रूप से उन जिलों/क्षेत्रों में और अधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए जाने चाहिए ताकि ये योजनाएं लक्षित आबादी को आकर्षित करने में सक्षम हो सकें।
15	9.10	समिति ने पाया है कि एनएमडीएफसी स्कीमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने, स्वतंत्र विशेषज्ञ एजेंसियों के माध्यम से लाभार्थियों के सत्यापन और प्रभाव अध्ययन करने के लिए एससीए के साथ आवधिक बैठकों का आयोजन करता है और एससीए को सभी योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए संबंधित वेबसाइटों पर अपने लाभार्थी डेटा रखने का निर्देश देता है। समिति यह भी नोट करती है कि एनएमडीएफसी एससीए को वितरित की गई निधियों के उपयोग की निगरानी करता है क्योंकि आगे निधि संवितरण पहले आहरित निधियों के लिए उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर आधारित है। इसके साथ ही एससीए को लाभार्थियों की पहचान करने में अपेक्षित स्वतंत्रता और लचीलापन, ऋणों की स्वीकृति और संवितरण तथा वसूलियों के लिए प्रत्यायोजित शक्तियां प्रदान की गई हैं। समिति यह जानकर आश्चर्यचकित है कि एक कठोर निगरानी तंत्र के बावजूद, एससीए द्वारा चूक के कई उदाहरण हैं और लाभार्थियों की संख्या इतनी कम है कि 10513 करोड़ रुपये के एनपीए हैं और लाभार्थियों पर 22385 करोड़ रुपये की राशि अतिदेय है। पंजाब, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, मिजोरम, असम, पुडुचेरी आदि जैसे कई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने चूक की है। समिति का यह दृढ़ मत है कि एक राष्ट्रीय स्तर का पोर्टल, जिसे विकसित करने का प्रस्ताव है, सूचना को आसानी से उपलब्ध कराने में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है और किसी भी चूक के मामले में त्वरित निर्णय लेने में मदद कर सकता है। तथापि, इस संदर्भ में समिति यह नोट कर व्यथित है कि एनएमडीएफसी ने सॉफ्टवेयर के विकास के लिए बोलियां आमंत्रित करने के लिए निविदाएं जारी की थीं लेकिन यह प्रक्रिया मूर्त रूप नहीं ले सकी

		क्योंकि इसकी लागत को काफी अधिक माना गया। समिति आशा करती है कि निविदाएं फिर से जारी की जाएंगी। समिति इसकी सराहना करेगी यदि इस मामले पर एनआईसी/एनआईसीएसआई के साथ परामर्श में तेजी लाई जाती है और सॉफ्टवेयर को बिना किसी विलंब के समयबद्ध तरीके से विकसित किया जाता है। समिति यह भी सुझाव देना चाहेगी कि एक बार विकसित हो जाने के बाद, सभी एससीए को एनएमडीएफसी के एमआईएस पोर्टल पर लाभार्थी डेटा ऑनलाइन अपलोड करने के लिए कहा जाना चाहिए ताकि निर्णय लेने और भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए जानकारी आसानी से सुलभ हो सके। समिति को राष्ट्रीय स्तर के पोर्टल के संबंध में किए गए उपायों और आने वाले समय में एनएमडीएफसी के एमआईएस पोर्टल पर लाभार्थी डेटा को अपलोड करने के परिणाम से अवगत कराया जाए।